लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र / Fourth Session]

[खंड 16 में अंक 41 से 50 तक हैं / Vol. XVI contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 44, बुधवार, 17 अप्रैल, 1968/ चैत्र 28, 1890 (शक)
No. 44, Wednesday, April 17, 1968/ Chaitra 28, 1890 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1257. हिमाचल प्रदेश में सीमावर्ती सड़कें	Border Roads in Himachal Pradesh	.. 567—569
1259. राज्यों को अनुदान	Grants to States	.. 569—571
1260. कच्चाटीवू द्वीप में वार्षिकोत्सव	Annual Festival in Kachchativu Island	.. 571
1262. यात्रियों को कच्चाटीवू द्वीप जाने की अनुमति देना	Clerance for Pilgrims to Kachchativu Island	.. 571—572
1263. संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजे गये संसद सदस्य	Members of Parliament Sent to UNO	.. 578—582
1264. जार्डन पर इसराइली आक्रमण	Israeli Attack on Jordon	.. 582—584
1269. कच्चाटीवू द्वीप में जाने से रोके गये भारतीय यात्री	Indian Pilgrims prevented from going to Kachchativu Island	.. 572—577
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1258. विदेशों से प्रत्यावर्तित भारतीय	Indian Repatriates from Foreign Countries	.. 584—585
1261. हिन्द महासागर में शक्ति शून्यता के बारे में ब्रिटेन के समाचार-पत्रों में प्रचार	Propaganda in British Press about Power Vacuum in Indian Ocean	.. 585

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1265. भारत में आने वाले भारतीय परिवार	Indian Families Coming to India ..	585
1266. छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों को विज्ञापन	Advertisements to Small and Medium Newspapers ..	586
1267. राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के बारे में सिद्धान्त	Principles governing Central Assistance to States ..	586—587
1270. ब्रिटिश आप्रवास अधिनियम में परिवर्तन	Changes in U. K. Immigration Act	587
1271. कीनिया में भारत द्वारा आरम्भ किये गये विकास कार्य	Development Works Undertaken by India in Kenya ..	588
1272. सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of Officers in the Armed Forces ..	588
1273. एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसर	Emergency Commissioned Officers ..	588—589
1274. परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी करार पर भारत का दृष्टिकोण	India's stand on nuclear non-proliferation treaty ..	589
1275. दिल्ली स्थित वियतनाम के महावाणिज्य दूत को हनोई से पुस्तकों और पत्रिकाओं की सप्लाई	Supply of Books and Magazines from Hanoi to consulate General of Vietnam in Delhi ..	590
1277. परमाणु हथियार	Nuclear Weapons ..	590
1278. पश्चिमोत्तर सीमान्त सड़क का निर्माण	Construction of North West Border Road ..	591
1279. सोमासिला, आन्ध्र प्रदेश में अणु संयंत्र	Atomic Plant at Somasila, Andhra Pradesh ..	591
1280. इलाहाबाद में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में समाचार का प्रसारण	Broadcast of News about Communal Riots in Allahabad ..	591
1281. जम्मू रेडियो स्टेशन	Radio Jammu ..	592
1282. पाकिस्तानियों द्वारा सीमा के खम्भों का गिराया जाना	Demolition of Border Pillars by Pakistanis ..	592—593
1283. नागालैंड में शान्ति पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव	Proposals submitted by Nagaland peace observers ..	593

विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1284. कार्यक्रम निर्माण निकाय	Programme Drawing set up	.. 593—594
1285. टेलीविजन कर्मचारियों को विशेषीकृत प्रशिक्षण	Specialised Training in Television for Staff	.. 594
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7490. हज यात्रियों के लिये प्रयोग में लाये गये जहाज	Ships Employed for Haj Pilgrims	.. 594—596
7491. विदेशों को सहायता	Aid to Foreign Countries	.. 596—597
7492. विज्ञापनों पर खर्च	Expenditure on Advertisements	.. 597—598
7494. पश्चिम पाकिस्तान के साथ लगी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था	Defence Arrangements at Border with West Pakistan	.. 598
7495. केन्द्रीय सूचना सेवा	Central Information Service	.. 599
7496. अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के निरीक्षण केन्द्र	Inspection Centres of International Central Commission	.. 599—600
7497. तिब्बती शरणार्थी	Tibetan Refugees	.. 600
7498. मारवाड़ी सहायता समिति द्वारा वियतनाम को भेजे गये उपहार	Gifts sent by Marwari Relief society to Vietnam	.. 600—601
7499. भारत तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच बातचीत	Indo West German Talks	.. 601
7500. आकाशवाणी में वर्क मुंशी	Work Munshis in AIR	.. 601
7501. आकाशवाणी में वर्क मुंशी	Work Munshis in AIR	.. 602
7502. भारत नेपाल करार	Indo Nepal Agreement	.. 602—603
7503. बर्मा के साथ द्विपक्षीय सम्बन्ध	Bilateral Relations with Burma	.. 603
7504. भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिये भोजन	Diet for Indian Armed Forces	.. 603
7505. आयोजन के सिद्धान्त	Principles of Planning	.. 603—604
7506. राज्यों की आय	State Income	.. 604
7507. आकाशवाणी के पटना वाराणसी केन्द्रों से विविध भारती कार्यक्रम का प्रसारण	Broadcast of 'Vividh Bharati' Programme from Patna/Varanasi Stations of AIR	.. 604—605

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7509. विदेशों में राजपत्रित पदों पर काम कर रहे भारतीय लोग	Indians Abroad Working Against Gazetted Posts ..	605
7510. ट्रांसमिटर बनाने वाले कारखाने	Transmitter Manufacturing Factories ..	605—606
7511. भारतीय विमानों के लिये ईंधन	Fuel for Indian Aircrafts ..	606
7512. आकाशवाणी केन्द्र, दरभंगा	AIR Station Darbhanga ..	606—607
7513. दरभंगा रेडियो स्टेशन	Darbhanga Radio Station ..	607
7514. केन्द्रीय संगीत तथा नाटक प्रभाग का क्षेत्रीय केन्द्र	Regional Centre of Central Song and Drama Division ..	607—608
7515. गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारी	Non-Commissioned Officers ..	608
7516. चलचित्रों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earned by Export of Films ..	609
7517. बिक्री के लिये कारतूस देना	Release of Catridges for Sale ..	609
7518. अमरीका तथा रूस द्वारा भूमिगत परमाणु परीक्षण	Underground Nuclear Tests by USA and USSR ..	609
7519. देहाती कार्यक्रम प्रसारण में भूतपूर्व संसद् सदस्यों की वार्ताएं	Talks by Ex. M. Ps. in Rural programme Broadcasts ..	610
7520. नेपाल नागरिकता अधिनियम	Nepal Citizenship Act ..	610—611
7521. चीन और पाकिस्तान के साथ हुए संघर्षों में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवारों को पेंशन	Pension to Families of Military Personnel Killed during conflicts with China and Pakistan ..	611
7522. भारतीय वायु सेना के हैलीकोप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना	IAF Helicopter Crash ..	611
7523. भारतीय सांख्यिकी संस्था कर्मचारी संगठन	Indian Statistical Institute Workers Organisation ..	612
7524. थुम्बा स्टेशन से दूसरे राकेट का छोड़ा जाना	Launching of Second Rocket from Thumba Station ..	612
7525. भारतीय प्रतिरक्षा संस्थानों में विदेशी लोग	Foreigners in Indian Defence Establishments ..	613

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7526.	मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि का आवंटन	Land for ex-servicemen in Madhya Pradesh ..	613
7527.	मध्य प्रदेश के लिये केन्द्रीय योजना	Central Scheme for Madhya Pradesh ..	613
7528.	जबलपुर गन फैक्टरी में प्रशिक्षु	Apprentices in Jabalpur Gun Factory ..	614
7529.	टेलिविजन सम्बन्धी कामों के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी	Trained Personnel for TV jobs ..	614
7530.	टेलिविजन में विशेष प्रशिक्षण	Specialised Training in Television ..	615
7531.	सैनिक मोटर गाड़ियां बनाने का कारखाना	Factory for Manufacturing Military Vehicles ..	615
7532.	बुलन्दशहर में सिनेमा के प्लाट	Cinema Plots in Bulandshahr ..	616
7533.	कच्चाटीवू द्वीपसमूह में उत्सव	Festival in Kachchativu Island ..	616
7534.	भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के लिये हिन्दी की परीक्षा	Hindi Examination for IFS Officers ..	616—617
7535.	प्रतिरक्षा अधिकारियों के लिये किराये पर लिये गये भवन	Buildings for Defence Offices taken on Rent ..	617
7536.	अनुसन्धान तथा विकास संगठन में पदोन्नतियां	Promotion in Research and Development organisation ..	617
7537.	अनुसन्धान तथा विकास संगठन	Research and Development organisation ..	618
7538.	चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप	Draft Fourth Five Year Plan ..	618
7539.	चलचित्र वित्त निगम	Film Finance Corporation ..	618—619
7541.	लन्दन में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण	Unveiling of Mahatama Gandhi's Statue in London ..	619—620
7542.	परमाणु बम लेकर भारत के ऊपर से उड़ने वाले विमान	Planes Carrying Nuclear Bomb over flying India ..	620
7543.	योजना आयोग द्वारा काम का वर्गीकरण	Job Classification by Planning Commission ..	620—621

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7544. योजना आयोग के अन्तर्गत प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्थाएं	Training and Research Institutes under Planning Commission ..	621
7545. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की शौर्य परम्पराएं	Martial Traditions of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	621—622
7546. भारत पाकिस्तान वार्ता	Indo Pak. Talks ..	622
7547. जम्मू और काश्मीर में सैनिक इंजीनियरी सेवा के असैनिक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी	Thereat of Strike from MES Civilian Personnel in Jammu and Kashmir ..	622—623
7548. वृत्त चित्र	Documentary Films ..	623—624
7549. प्रेम पुजारी चलचित्र तैयार करना	Shooting of Prem Pujari Film ..	624
7550. नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	International Film Festival, New Delhi ..	624
7551. आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioned Officers ..	624—625
7552. समाज विज्ञान अनुसंधान समिति	Committee on Social Science Research ..	625
7553. विदेश स्थित भारतीय राजदूतों के लिये मार्गदर्शी नियम	Guidelines for Indian Ambassadors Abroad ..	626
7555. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग में निरीक्षकों की पदोन्नति	Promotion of Inspectors in National Sample Survey ..	626
7556. चलचित्रों का निर्यात	Export of Films ..	626—627
7557. अमरीकी सैनिक दल की यात्रा	Visit of US Military Team ..	627
7558. विदेश भेजी गई फिल्मों के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for films sent abroad ..	627—629
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
अमरीका के स्थायी वीजा प्राप्त भारतीयों को वियतनाम युद्ध में अमरीकी सेना में भर्ती होने पर मजबूर करने का, संयुक्त-राष्ट्र अमरीका का कथित फैसला	Reported decision by USA to force Indians holdings permanent US visas to join US Army in Vietnam War ..	629—631

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 632
प्राक्कलन समिति— कार्यवाही सारांश	Estimate Committee— Minutes	.. 632
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति— अठाइसवां प्रतिवेदन	Committee on Private Member's Bills and Resolutions— Twenty eighth Report	.. 632
कार्य-मंत्रणा समिति— सत्रहवां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee— Seventeenth Report	.. 632—633
अनुदानों की मांगें, 1968-69	Damands for Grants, 1968-69	.. 633—668
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	Ministry of Information and Broadcasting	.. 633—642
श्री पें वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	.. 633—635
श्री जार्ज फरनेंडीज	Shri George Fernandes	.. 635
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinkar Desai	.. 636—637
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	.. 637—638
श्री के० के० शाह	Shri K. K. Shah	.. 638—641
परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय	Ministry of Transport and Shipping	.. 642—668
श्री मी० रु० मसानी	Shri M. R. Masani	.. 643—644
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	.. 644—645
श्री रामसिंह आयरवाल	Shri Ram Singh Ayarwal	.. 646
श्री नरदेव स्नातक	Shri Nar Deo Snatak	.. 646—647
श्री कमलनाथन	Shri Kamalanathan	.. 647—648
श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad	.. 652—653
श्री चन्द्रशेखर सिंह	Shri Chandra Shekhar Singh	.. 653—654
श्री भक्त दर्शन	Shri Bhakt Darshan	.. 654—656
श्री गुणानन्द ठाकुर	Shri Gunanand Thakur	.. 656—657
श्री अरमुगम	Shri Arumugam	.. 657—658
श्री स० चं० सामन्त	Shri S. C. Samanta	.. 658
श्री हेमराज	Shri Hem Raj	.. 658—659
श्री चक्रपाणि	Shri C. K. Chakrapani	.. 659
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	.. 659—660

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री राम चरण	Shri Ram Charan	.. 660—661
श्री दत्तात्रय कुंटे	Shri Dattatraya Kunte	.. 661—662
डा० वी० के० आर० वी० राव०	Dr. V. K. R. V. Rao	.. 663—668
हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion re. Haldia-Barauni Pipeline	.. 668—671
श्री स० चं० सामन्त	Shri S. C. Samanta	.. 668—669
श्री रघुरामैया	Shri Raghu Ramaiah	.. 670—671

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 17 अप्रैल, 1968/28 चैत्र, 1890 (शक)
Wednesday, April 17, 1968/Chaitra 28, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हिमाचल प्रदेश में सीमावर्ती सड़कें

*1257. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में हिमाचल प्रदेश में सीमावर्ती सड़कें बनाने का क्या लक्ष्य निश्चित किया गया था तथा उपरोक्त अवधि के लिये सड़क निर्माण हेतु कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) वर्ष 1967 में कितने मील लम्बी सड़क बनाई गई है; और

(ग) क्या सीमावर्ती सड़कों का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सीमा सड़क विकास बोर्ड के फोरी कार्यक्रम में शामिल हिमाचल प्रदेश में सड़कों के निर्माण की योजना और 1967-68 में अलाट की गई राशि तथा 1968-69 में कैपिटल ओटले के अन्तर्गत खर्च की प्रस्तावित राशि इस प्रकार है :

	तल निर्माण				अलाट की गई ।
	विरचना कटाई	सोलिंग	मेटलिंग	तारकोल बिछाना	अंकित की गई राशि (लाख रुपयों में)
1967-68	55.6	61	61	96	328.91
1968-69	59.8	68	68	71	370.28

(ख) उपरोक्त योजना के विरुद्ध 1967-68 के दौरान निष्पत्ति नीचे दर्शाई गई है :

विरचना कटाई (नवीं श्रेणी)		57.00 मील
तल निर्माण	सोलिंग	40.00 मील
	मेटलिंग	63.00 मील
	कोलतार बिछाना	88.00 मील

(ग) 1967-68 में जनरल रिजर्व इंजीनियर दल के लिए तल निर्माण के संबंध में निर्धारित लक्ष्य का अतिलंघन हो गया था, परन्तु हिमाचल प्रदेश की पी० डब्लू० डी० उसे निष्पन्न न कर सकी । तल निर्माण में जनरल रिजर्व इंजीनियर दल और पी० डब्लू० डी० दोनों के संबंध में कुछ कमी रह गई थी । इसका कारण थी आकस्मिक भारी वर्षा, और बर्फानी स्थितियां ।

Shri Prem Chand Verma : Whether the targets fixed in this regard could not be achieved due to the reluctance of officials to go to the border areas of Lahaul, Spiti and Kinnour districts of Himachal Pradesh ? If so, the number of such engineers as came back after having been posted there during the last year ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह कार्य दो संस्थाओं, सीमा सड़क विकास संस्था और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग । पहली संस्था एक सैनिक संस्था है जिस का कोई इंजीनियर वापस नहीं आया । दूसरी के बारे में सदस्य महोदय अधिक जानते होंगे । जैसा मैंने बताया लक्ष्यों की पूर्ति न हो सकने का कारण इस वर्ष अधिक हिमपात था ।

Shri Prem Chand Verma : I want to know the action taken to make Lana-Buta, Akhnar, Mandi Road, Kangra, Nadaun, Hamirpur, Simla, Mandi and Kulu Road military traffic-worthy so as to fortify our border contiguous with China and Tibet as has been done in Pathankot, Amritsar, Jullundur, Gurdaspur to be defended against Pak agression ? If not, why ? Whether Government propose to conduct an enquiry by experts to examine all aspects in regard to these roads ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस समय हमारा ध्येय भारत-तिब्बत सड़क पूरा करने का है और साथ ही पठानकोट-मंडी-कुल्लू-मनाली-रोहतांग सड़क पूरी करनी है । शेष सड़कें तो इन्हीं से संबद्ध हैं ।

श्री हेमराज : क्योंकि नाकंडा वर्ष भर हिममग्न रहता है, अतः इस क्षेत्र के लिये सतलुज के साथ-साथ कीरतपुर से एक और सड़क बनाने का प्रस्ताव था । क्या इसे हाथ में लिया गया है और यदि हां तो क्या प्रगति हुई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : कीरतपुर-बिलासपुर सड़क लगभग पूरी हो चुकी है किन्तु इसे सतलुज के साथ-साथ आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to know the reasons for delay in completing the Mandi-Pathankot-Manali Road and secondly, if H. P. P. W. D. is not able to complete the work in time, whether the Border Roads organisation propose to take over the work from them ?

श्री स्वर्ण सिंह : मनाली तक इस सड़क को चौड़ा करने और उन्नत करने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। किन्तु रोहतांग-कीलिंग भाग काफी कठिन है इसमें से भी कठिनतम भाग सीमा सड़क संगठन के पास है। इस वर्ष आशानुकूल प्रगति न कर सकने का कारण भारी हिमपात है। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण भाग काफी अच्छा कार्य कर रहा है और उन्हें जब भी जितनी सहायता अपेक्षित होगी दी जाएगी।

Shri Jharkhande Rai : I want to know whether by constructing roads in Hilly terrains, we are not making our enemies to pounce upon us more easily in the event of our retreat. These border areas, in my opinion, should be made more and more difficult of access. What has Government to say in this regard ?

श्री स्वर्णसिंह : यह एक अजीब बात है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं और मेरा अनुरोध है कि सदस्य महोदय भी ऐसे विचार करना छोड़ दें। यह विचित्र बात है कि यदि हम अपनी सड़कों को सुधारते हैं तो हम शत्रु को सुविधा प्रदान करते हैं।

राज्यों को अनुदान

*1259. **श्री बैं० ना० कुरील :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कुछ राज्य अपनी विभिन्न योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता न ले सके थे क्योंकि वे तीसरी योजना अवधि में और 1967-68 के अन्त तक उसके बाद की अवधि में राज्य के भीतर बराबर के अनुदानों का प्रबन्ध न कर सके थे; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन से राज्य हैं और वे कौन-कौन सी योजनाएं हैं जिनके लिये अनुदान नहीं लिये गए थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में वित्त मंत्रालय द्वारा ऋणों और अनुदानों के रूप में सहायता का आवंटन किया जाता है, और यह धनराशि राज्यों को किस्तों में दी जाती है। अनुदानों के वास्तविक उपयोग के बारे में अन्तिम समायोजन राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध परीक्षित खर्चे के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।

तीसरी योजना अवधि के सम्बन्ध में और 1967-68 के अन्त तक के पूरे परीक्षित आंकड़ों की अभी राज्य सरकारों से इन्तजारी की जा रही है।

Shri B. N. Kureel : Whether attention of Central Government has been drawn to the fact that the U. P. Government had closed down welfare schemes for women and Harijans in 1967-68 on the plea that as the State Government was not giving matching grants, the centre had stopped giving grants for this purpose ?

Shri B. R. Bhagat : If this question had been transferred to the Ministry of Finance, the Members would have obtained full detail in this regard.

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Smt. Indira Gandhi) : Yes Sir, such schemes were discontinued there.

Shri B. N. Kureel : Whether schemes regarding granting pension to old persons and rural housing have also been stopped on this very ground ?

Shri B. R. Bhagat : I require notice for that.

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether attention of Government has been drawn to the press reports to the effect that Non-Congress Governments have alleged non-co-operation by the Centre in running such Governments in various States by denying adequate assistance to them ? If so, the names of such states ?

Shri B. R. Bhagat : Regarding Central assistance, all State Governments—whether Congress or Non-Congress feel like-wise. But assistance is granted to States on the basis of guidelines drawn by the Planning Commission and on the advice of National Development Council. Therefore, it is not fair to allege that Non-Congress Governments are discriminated against in this regard.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश को जिसकी जन-संख्या देश की कुल जनसंख्या का 17 प्रतिशत है और जिसकी अर्थ-व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई है, कुल धन का केवल 5 अथवा 6 प्रतिशत दिया जाता है ? क्या राज्य की सरकारों ने इसके लिये बल नहीं दिया ?

श्री ब० रा० भगत : 70 प्रतिशत अर्थ-सहायता जनसंख्या के आधार पर और शेष सहायता अन्य बातों के आधार पर दी जाती है । सभी राज्यों पर यही सिद्धान्त लागू होता है और किसी राज्य के प्रति भेदभाव नही बर्ता जाता ।

श्री उमानाथ : क्या सहायता का किसी परियोजना विशेष पर खर्च किया जाना और उतनी ही पूंजी राज्य द्वारा उपलब्ध करने की शर्त हटाई नहीं जा सकती जिसके अभाव में परियोजना बन्द कर देनी पड़ती है ?

श्री ब० रा० भगत : यह शर्त केवल कुल केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर ही लागू होती है । क्योंकि राज्य द्वारा धन उपलब्ध न करने पर इन पर प्रभाव पड़ता ही है ।

Shri K. N. Tiwary : I want to know the number of States not providing matching grants in this regard ? Will the figures laid on the Table when available ?

Shri B. R. Bhagat : Certainly these will be placed when received.

Shri Shiv Chandra Jha : I want to know the criteria fixed for extending assistance to States—whether it is on the basis of population or needs of the States. In this regard may I know the amount granted to Bihar for nuclear potentialities and development of raw-materials during the last three Plans ?

Shri B. R. Bhagat : A statement is being submitted in reply to another question No, 1267 showing the basis therefor and the extent of assistance given.

श्री चेंगलराया नायडू : योजना आयोग द्वारा कौन-कौन सी मार्गदर्शी शर्तें निश्चित की गई हैं ? जहां कुछ राज्यों में गांवों में बिजली पहुंचाने और पेय जल की व्यवस्था करने के लिये अधिक धन दिया जाता है वहां आंध्र प्रदेश में ये योजनाएं धन के अभाव में बन्द करनी पड़ रही हैं । इसका क्या कारण है ? क्या सरकार ये कार्य पूरे करने के लिए अधिक धन जुटाएगी ?

श्री ब० रा० भगत : ये शर्तें हैं—कुल सहायता की 70 प्रतिशत राशि का प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाना। शेष 30 प्रतिशत इन परिस्थितियों को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाएगा (एक) जम्मू-कश्मीर, असम और नागालैंड की विशेष आवश्यकताएं ; (दो) चल रही सिंचाई तथा विद्युत योजनाएं और (तीन) कुछ पिछड़े क्षेत्रों के शीघ्र विकास की आवश्यकताएं ।

अध्यक्ष महोदय : अगले प्रश्न संख्या 1260, प्रश्न संख्या 1262 और 1269 भी इसी विषय पर हैं । अतः इन्हें भी साथ ही ले लिया जाए । श्री पाटोदिया उपस्थित नहीं हैं, परन्तु इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि श्री हेम बरुआ उपस्थित हैं ।

कच्चाटीवू द्वीप में वार्षिकोत्सव

*1260. **श्री स्वैल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चाटीवू द्वीप में इस वर्ष वार्षिकोत्सव मनाया गया था;

(ख) भारत से कितने यात्री उस द्वीप की यात्रा के लिये गये थे; और

(ग) क्या विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए तथा सामान्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्सव शान्तिपूर्ण समाप्त हो जाये, कोई भारतीय अधिकारी यात्रियों के साथ गये थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसी खबर मिली हैं कि 2000 से अधिक भारतीय तीर्थयात्री इस द्वीप में गये थे ।

(ग) पिछले वर्षों के समान ही, कोई भारतीय अधिकारी इस द्वीप में आनें वाले तीर्थ-यात्रियों के साथ नहीं गया था ।

यात्रियों को कच्चाटीवू द्वीप जाने की अनुमति देना

*1262. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार ने कच्चाटीवू द्वीप में हाल ही में हुये कैथोलिक उत्सव की अवधि के लिये सादे कपड़े में पुलिस कर्मचारी भेजे थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस द्वीप में दाखिल होने से पहले यात्रियों को इन पुलिस कर्मचारियों से अनुमति पत्र लेना पड़ता था; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सरकार ने इस आशय की कुछ खबरें अखबारों में देखी हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कच्चाटीवू द्वीप में जाने से रोके गये भारतीय यात्री

*1269. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने लगभग 2000 भारतीय यात्रियों को कच्चाटीबू द्वीप में वहां हाल में ही हुए उत्सव में भाग लेने के लिए जाने से रोका था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री स्वैल : इस वर्ष इस द्वीप में मनाये गये इस त्यौहार के बारे में समाचार देते हुए दैनिक समाचार पत्र 'स्टेट्समैन' के विशेष संवाददाता ने, जो यहां से कच्चाटीवू गया था, लिखा है :

"रामेश्वरम से 'मोटर लाँच' द्वारा दो घण्टे की यात्रा करके जब मैं कच्चाटीवू पहुंचा तो सबसे पहले मैंने देखा कि श्रीलंका की नौसेना की गश्त लगाने वाली एक किश्ती यात्रियों के उतरने के स्थान से पश्चिम में बंधी हुई थी । अब तक श्रीलंका के अधिकारी ऐसी कार्यवाही नहीं किया करते थे ।"

फिर उनका कहना है कि :

"द्वीप के पूर्वी भाग पर कई "मोटर लांच" और मछली पकड़ने वाली नावें खड़ी थीं--जहां पर श्रीलंका के यात्री उतरते हैं और उनमें से बहुत से लोग खाना पका रहे थे । श्रीलंका के एक अन्य नौसेना 'लांच' में एक अस्थायी बेतार स्टेशन था । प्रति 30 मिनट के बाद श्री लंका की वायुसेना का जासूसी करने वाला एक विमान इस द्वीप पर उड़ान नीची करता है, जबकि श्रीलंका के गुप्तचर भारतीय यात्रियों पर निगरानी रखते हैं । वास्तव में वहां पर भारतीय अधिकारी कोई नजर ही नहीं आता और जो वहां पर हैं वे भी सरकारी काम से नहीं बल्कि भ्रमण करने के लिये आये हुए दिखाई देते हैं । इस प्रकार के वातावरण से स्पष्ट पता चलता है कि उपरोक्त द्वीप पर वास्तव में किसका नियन्त्रण है ।"

इससे पहले श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने भी वहां की संसद में कहा था कि इस द्वीप पर श्रीलंका का प्रभावशाली नियंत्रण है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार इस स्थिति को स्वीकार करने के लिये तैयार है ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने वह सारा ब्योरा पूछा है जिसका इस द्वीप के विवाद के साथ सम्बन्ध है। इन सब बातों के विषय में कुछ कहना लोकहित में नहीं होगा। श्री लंका सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वे कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेंगे जो वे अब तक नहीं करते थे और हमने भी इसी प्रकार का आश्वासन उन्हें दिया है कि त्यौहार के समय हम ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। हमने इस वर्ष कोई नयी कार्यवाही नहीं की है और श्रीलंका सरकार भी अपने दिये गये आश्वासन पर बाध्य है। यदि उन्होंने कोई कार्यवाही की है तो हम उसकी जांच करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया है, इस विषय पर श्रीलंका सरकार से बातचीत होगी। इससे अधिक कुछ कहना हमारे हित में नहीं होगा।

श्री स्वैल : यदि यह द्वीप भारत का है तो क्या सरकार का कर्त्तव्य यह नहीं है कि वह उस क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करे ? यदि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है तो वह यह बताये कि क्या समाचार-पत्र में प्रकाशित यह समाचार सही है या नहीं और क्या श्रीलंका से ये लोग कच्चाटीवू आये हैं। क्या वे अपने आप आये हैं या उन्होंने सरकार से अनुमति प्राप्त की है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के लिये अनपेक्षित सूचना देना आवश्यक नहीं। वह केवल गश्त लगाने वाली किश्तियों के बारे में बता दें या श्रीलंका और भारत के सरकारी कर्मचारियों के विषय में बता दें।

श्री ब० रा० भगत : जहां तक गश्त लगाने का सम्बन्ध है हम भी गश्त लगाते रहे हैं। हम भी यह सुनिश्चित करते रहे हैं कि श्रीलंका से भारत में कोई गैर-कानूनी आप्रवास न होने पाये।

Shri Onkar Lal Berwa: We want to know whether we are patrolling this area even now ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैंने सभा में यह बताया है कि यह द्वीप विवादग्रस्त है और इस सम्बन्ध में हम श्रीलंका की सरकार से बातचीत करेंगे। हमें सूचना मिली है कि वहां नौसेना की किश्तियां गश्त लगा रही हैं और यात्रियों के लिये पानी प्राप्त करने के लिये भी कुछ किश्तियों का प्रयोग किया गया है क्योंकि वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वे वहां पर गैर-कानूनी आप्रवास का भी ध्यान रखते हैं। हमारे राज्य मंत्री ने जो कुछ कहा है, उसका अर्थ यह है कि जब हम बातचीत करने जा रहे हैं तो हमें काफी सावधान रहना चाहिये।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि साम्राज्ञी विक्टोरिया ने उद्घोषणा की थी कि कच्चाटीवू

भारत का अंग है और क्या यह भी सच है कि भारत और श्रीलंका की सरकारों के सम्मेलन में, जो वर्ष 1921 में हुआ था, दोनों सरकारों ने रामनद के राजा के स्वामित्व संबंधी अधिकार जारी रहने पर सहमति व्यक्त की थी, और क्या यह भी सच है कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गत वर्ष इस स्थिति को स्वीकार किया था कि हालांकि रामनद के राजा के स्वामित्व संबंधी अधिकार जारी रहेंगे, कच्चाटीवू श्रीलंका का है और इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है?

श्री ब० रा० भगत : इस प्रकार के ब्योरे में मैं नहीं जाना चाहता। उद्घोषणा के बारे में हमें जानकारी है। रामनद के राजा के अधिकारों के विषय में तर्क वितर्क करना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि इससे हमारा मामला बिगड़ जायेगा।

श्री प्र० न० सोलंकी : फिर इस प्रश्न की स्वीकृति ही नहीं दी जानी चाहिये थी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सूचना के लिये कह सकते हैं परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकते। अभी उनकी बातचीत होगी।

श्री हेम बरुआ : 7 मई, 1966 को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के तत्कालीन राज्य-मंत्री श्री दिनेश सिंह ने कहा था कि कच्चाटीवू द्वीप रामनद के राजा की सम्पदा का अंग है और इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। अब वर्ष 1968 में प्रधान मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि यहां विवाद है। अब बात यह है कि इस त्यौहार के समय श्रीलंका सरकार की गश्ती टुकड़ियां वहां पर गश्त लगाती हैं और वे उस तटवर्ती प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं ये समाचार समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। परन्तु भारत सरकार उस द्वीप से अनुपस्थित है।

प्रधान मंत्री कहती हैं कि विवाद है और उन्होंने यह भी कहा है कि वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। परन्तु वह इस बात को भूल गयी हैं कि भारतीय यात्रियों को पीने के पानी के अभाव में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा था।

इस संदर्भ में क्या मैं पूछ सकता हूं कि जब एक प्रदेश का विवाद है और उसके शान्तिपूर्ण समाधान के लिये बातचीत चल रही है, तो क्या ऐसे प्रदेश से जिसे 'किसी का भी प्रदेश नहीं' समझा जाना चाहिए, भारत सरकार स्वयं वहां से हट गई है जबकि उन्होंने श्रीलंका की सरकार को वहां ठहरने दिया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अभी इस समय कोई बातचीत नहीं चल रही है। हमने श्रीलंका सरकार से कहा है और उन्होंने कहा है, कि दोनों सरकारों के समझौते के अनुसार इस प्रकार के सभी मामलों पर बातचीत की जा सकती है और शान्तिपूर्ण समाधान निकाला जा सकता है, अभी बातचीत नहीं हुई है।

जहां तक श्री दिनेश सिंह के वक्तव्य का सम्बन्ध है मैं उस विषय में तब तक कुछ नहीं कह सकती जब तक मैं उस समूचे वक्तव्य को न पढ़ लूं।

यह कहा गया कि हम वहां पर नहीं जाते। इस सम्बन्ध में मैंने बताया है कि वर्ष में एक

बार वहां सेंट एंथनी त्यौहार मनाया जाता है और इसी अवसर पर लोग वहां जाते हैं। इनमें अधिकतर लोग कैथोलिक होते हैं और इनके अतिरिक्त अन्य यात्री भी होते हैं। यह त्यौहार मार्च में होता है। बहुत से लोग इस अवसर पर अपने मित्रों और सम्बन्धियों से मिलते हैं जो श्रीलंका से आते हैं। यह ठीक है कि वहां पर नौसेना 'लांच' थीं और एक विमान भी गश्त लगा रहा था।

श्री हेम बरुआ : परन्तु श्रीलंका के यात्रियों के साथ श्री लंका सरकार के अधिकारी भी सब प्रकार की सामग्री से सुसज्जित होकर वहां पर उपस्थित रहते हैं, परन्तु भारत सरकार की कोई व्यवस्था वहां नहीं होती है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वास्तव में कठिनाई यह है कि इस द्वीप का प्रयोग गैर-कानूनी आप्रवास और श्रीलंका में चोरी छिपे वस्तुएं ले जाने के लिये होता है। इसीलिये उनके लिये जानना आवश्यक है कि कौन आता है और कौन जाता है। परन्तु भारतीय यात्री वहां पर थे।

श्री हेम बरुआ : क्या भारत के सभी तस्कर व्यापारी इसी द्वीप के रास्ते श्रीलंका को जाते हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कठिनाई यह है कि इस द्वीप को अवैध आप्रव्रजन तथा लंका में तस्करी के लिये प्रयोग में लाया जाता है, इसीलिये वे निगरानी करते हैं कि कौन वहां जाता है। किन्तु भारतीय यात्री वहां थे।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा हमने अपनी समुद्री सीमा 12 मील तक बढ़ा दी है। क्या मैं यह जान सकता हूं, कि यह द्वीप राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित समुद्री सीमा के अन्तर्गत आता है या नहीं ?

श्री ब० रा० भगत : यह अलग प्रश्न है। परन्तु इस प्रदेश की समुद्री सीमा का विस्तार करने के लिये श्रीलंका की सरकार से परामर्श करने की आवश्यकता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जहां पर समुद्र की चौड़ाई निर्धारित सीमा से कम होती है वहां पर सीमा बीच में मान ली जाती है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have a copy of Lease Deed entered into between Secretary of State and Raja of Ramnad according to which it is quite clear that Raja of Ramnad had proprietory rights over Kachchativu island.

Shrimati Indira Gandhi : He should have supplied that document to us.

Shri Atal Bihari Vajpayee : This is the way we supply such papers.

"In Palk Bay—All the chank beds off the mainland of the Zamindari together with those of Kachchateevu island and off the northern and eastern coasts of Rameswaram." It is apparent from the lease deed concluded in 1913 that Kachchateevu island was under the possession of Raja Ramnad. The point stated by Shri Swell is not clear and I would like to point out that Mr. Pereera, the Secretary of Ceylonese Cabinet, had referred to the procla-

mation of Victoria and had admitted in his statement on 10th May, 1966, that Kachchateevu belonged to India, I want to know whether Government are trying to get any information in regard to these facts and strengthening their claim on this island or whether we should treat this island as having been lost.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : विभिन्न प्रकार के दस्तावेज हैं जिनमें से कुछ तो हमारे पास हैं और कुछ नहीं और उन्हें पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इन सभी कागजों की जांच की जा रही है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : श्रीलंका सरकार ने इस द्वीप पर अपने दावे की ओर भारत सरकार का ध्यान पहली बार कब आकर्षित किया था। भारत सरकार ने यह पहली बार कब कहा कि उसके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है और यह कब स्वीकार किया कि उसके बारे में विवाद है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जैसा कि मैं पहले भी एक बार कह चुकी हूं, कि यह विवाद कुछ अधिकारियों द्वारा.....**(अन्तर्बाधा)**

श्री एस० कण्डप्पन : इस द्वीप के बारे में सरकार का जो रवैया है उसमें पूरा जोर नहीं हैं और कई मौकों पर परस्पर विरोधी है। इस सभा में डा० लोहिया द्वारा यह मामला कुछ साल पहले उठाया गया था। उस समय भी यह कहा गया था कि यह विवादास्पद क्षेत्र है और इसके बारे के श्रीलंका सरकार से बातचीत की जायेगी। उसके बाद क्या हमारी सरकार ने श्रीलंका की सरकार से इसके बारे में कोई बातचीत करने और इस मामले को हमेशा के लिये तय करने का प्रयास किया है। इस सम्बन्ध में मैं बता देना चाहता हूं कि यदि इस क्षेत्र पर हमने एक बार भी श्रीलंका की प्रभुसत्ता मान ली तो उसका व्यापक प्रभाव हमारे अधीनस्थ समुद्री क्षेत्र पर, मछली पकड़ने के अधिकारों पर, मोती निकालने के धंधे पर और प्रस्तावित सेतुसमुद्रम पर पड़े बिना न रहेगा। इस विवाद को तय करते समय इन सभी महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना है। मुझे खेद है कि श्री हेम बरुआ के मुख्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने सभा को पूरी तरह गलत जानकारी दी है। इस द्वीप को जाते समय तीर्थ यात्रियों का हमारे बन्दरगाह तूतीकोरन में और रामेश्वरम के निकट दो दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है। उन्होंने इस समूचे तथ्य को तोड़मरोड़ कर सिर्फ 'न' में उत्तर दे दिया है। मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि बन्दरगाह के अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को दो दिन तक रोके रखा। इसके कारण क्या थे और क्या यह विरोध बन्दरगाह अधिकारियों ने अपनी मरजी से किया या इसके लिये केन्द्र से हिदायतें मिली हुई थीं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : केन्द्र की ओर से कोई हिदायत नहीं दी गई थी। जहां तक हमें ज्ञात है, बन्दरगाह के अधिकारियों ने यह अनुभव किया था कि जिन नावों में यात्रियों को जाना था उनमें जीवन-सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी और इसलिए उन्हें रोक लिया।

श्री एस० कण्डप्पन : श्रीमन, क्या यह बात पहली बात के विपरीत नहीं है ? मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन्, क्या हम श्री मोरारजी देसाई के शब्दों पर चलेंगे कि इस द्वीप के बारे में पीछे जो कुछ हुआ है वह बीती बात है ।

श्री ब० रा० भगत : बन्दरगाह के अधिकारियों ने उन्हें जाने दिया था ।

श्री एस० कण्डप्पन : आपने गत चार वर्षों में क्या किया है ? इस मामले में अपनी ओर से कार्यवाही करने में पहल क्यों नहीं की गई ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम निश्चय ही इस प्रश्न की जटिलता को मानते हैं और इसलिए इस पर पूरा गौर करना चाहते हैं । बिना पूरी जांच किये हम यहां कोई वक्तव्य देना नहीं चाहते पर माननीय सदस्य स्पष्ट उत्तर मांग रहे हैं ।

श्री एस० कण्डप्पन : चार वर्ष पहले भी यह सवाल इस सभा में उठाया गया था ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या माननीय मंत्री सभा को ऐसा पक्का आश्वासन देंगे कि समुद्री क्षेत्र को बढ़ाना कानून के अन्तर्गत आता है और भारत द्वारा इस क्षेत्र के अन्दर या बाहर या विदेशी सरकार के साथ की गई बातचीत पर निर्भर नहीं करेगा ?

श्री ब० रा० भगत : जहां पर निर्धारित दूरी 12 मील से कम है वहां पर खींची गई रेखा उसे दो बराबर हिस्सों में बांटती है । यही सामान्य नियम है । अत: रेखा कहां होनी चाहिए परस्पर सहमति से निर्धारित किया जायेगा ।

Shri George Fernandes : It has been stated that there is no water and inhabitation in Kachchateevu island and in view of this Government have formed an idea that this island does not carry any importance. A journalist has written to me as below :

"Hardly one-fourth square mile in area, Kachchateevu is half coral and half sand in its physical composition ; and its only vegetation is thriving crop of cactus. But the barren land promises to become famous one day, for it is believed that there are valuable petroleum deposits in its seabed."

Is Government aware of the fact that there are huge deposits of petroleum in this island or its seabed ? I want to know the time since this dispute has been going on. In 1949 and thereafter many times the Indian Navy has used this island for bombardment practice. The journalist has further stated :

"A new situation arose early in the sixties, when the Governor of Ceylon raised the question of using the island as an aerial practice and firing range and sought the cooperation of the Indian civil authorities in the interests of general safety."

What steps have been taken to settle the dispute since it was originated ?

Shrimati Indira Gandhi : I do not know whether there are petroleum deposits in this island but I know that this island was not used by Indian Air Force for bombardment practice. Ceylon had used it for this purpose during the last war,

संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजे गये संसद सदस्य

+

*1263. **श्री श्रीधरन :**

श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में संसद् सदस्यों को भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितने संसद् सदस्यों को भेजा गया है ; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ में संसद् सदस्यों को सरकार द्वारा क्या रुतबा दिया गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सत्रों के लिए जो हमारे प्रतिनिधिमंडल गये उनमें अनेक संसद् सदस्यों को शामिल किया गया है।

(ख) 69.

(ग) उन्होंने प्रतिनिधियों, वैकल्पिक प्रतिनिधियों और संसदीय सलाहकार के रूप में कार्य किया है।

श्री श्रीधरन : संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजे गये भारतीय प्रतिनिधि मंडल के कुछ सदस्य इस प्रकार चुने गये ताकि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का सुखद भ्रमण हो सके और इसलिए उनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था है जहां भाषण देने से ही काम नहीं बन सकता। वहां तो राजनयिक प्रभाव डालने के लिए राजनीतिक अनुभव की आवश्गकता है। यह देखते हुए क्या सरकार ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को विशेष रूप से संसद् सदस्यों को तथा सामान्य रूप में प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों को चुनने की कोई कसौटी अपनाई है।

श्री ब० रा० भगत : कसौटी यह है कि सदस्य उसके उपयुक्त हों और उन्हें अनुभव हो। ये सरकारी प्रतिनिधि मंडल हैं और हमारे प्रतिनिधि मंडलों की काफी प्रशंसा की गई है।

श्री श्रीधरन : मेरे विचार से संसार में कोई भी समझदार व्यक्ति हमारे प्रतिनिधियों के कार्य की प्रशंसा नहीं करेगा। जहां तक संसद् सदस्यों का सम्बन्ध है उन्हें कई हैसियत से काम करने का अनुभव है। चूंकि हमारे प्रभुसत्ता प्राप्त राष्ट्र की उच्चतम संस्था संसद् में संसद् सदस्य देश का प्रतिनिधित्व करते हैं क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है कि भविष्य में संसद् सदस्य प्रतिनिधि मंडल के पूर्णरूपेण सदस्य होंगे ?

श्री ब० रा० भगत : संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के अनुसार केवल 5 प्रतिनिधि और 5 एवजी प्रतिनिधि हो सकते हैं। हम आरम्भ से इसका ध्यान रखते आये हैं कि पर्याप्त संसद् सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने और चर्चाओं में भाग लेने का सुयोग मिले। सभी को यह अवसर देना तो सम्भव नहीं है।

Shri Kameshwar Singh: I want to know why the MPs who went to U.N.O. in the capacity of advisors last time ; were given this secondary status.

Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Planning and External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : This status is not secondary in any way but it is above alternates.

श्री तिरुमलराव : प्रतिनिधियों, एवजी प्रतिनिधियों और संसदीय सलाहकारों के रुतबे और कामों में क्या अंतर है ?

श्री ब० रा० भगत : हर समिति में जब प्रतिनिधि मौजूद होते हैं, वे बैठते हैं। उनकी अनुपस्थिति में एवजी प्रतिनिधि भाग लेते हैं। संसद् सदस्य वास्तव में संसदीय सलाहकार हैं। जब भी वे समिति में काम करते हैं, उन्हें दूसरों से प्रधानता दी जाती है।

Shri Kanwar Lal Gupta: Is it a fact that one such person was sent as a Member of the last U. N. delegation who had worked with Mr. Jinnah as his P. A. and who was arrested for antinational activities? My second question is whether Shri Tiwary, who was a member of that delegation had submitted a report to the Government stating therein that our representatives were not at all working properly and whether Government had taken any action on his report and if so the details thereof?

Shrimati Indira Gandhi: It is possible that one member might have had relations with Mr. Jinnha, but after that he has been serving the nation very faithfully.

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या उसे गिरफ्तार किया गया था अथवा नहीं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं नहीं समझती कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था, परन्तु मैं पूरे तौर से कुछ नहीं कह सकती। वह मंत्री रहे हैं तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूं कि श्री तिवारी ने मुझे एक पत्र लिखा है। उन्होंने कुछ मत व्यक्त किया है जिस पर पूर्ण विचार किया जायेगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : उनके पत्र का ब्योरा क्या है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उनका पत्र समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है। माननीय सदस्य नियमित रूप से समाचार पढ़ते हैं तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें उसकी जानकारी है। परन्तु श्री तिवारी ने जो कुछ लिखा है मैं उससे पूर्णतया सहमत नहीं हूं।

श्री बलराज मधोक : यदि माननीय सदस्यों को समाचारपत्रों से ही जानकारी प्राप्त करनी है, तो मंत्रियों का क्या लाभ है ? माननीय प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है, वह सभा का अवमान है। उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है सब पत्रों को सभा-पटल पर न रखा जा सकता हो।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि उस प्रतिनिधि मंडल का नेता कौन था तथा उस शिष्ट मंडल के साथ ऐसे कितने संसद सदस्य थे, जिन्होंने पहले इस सभा में वैदेशिक-

कार्य मंत्रालय के वादविवाद में भाग लिया था अथवा उस मंत्रालय के काम में रुचि दिखाई थी ?

श्री ब० रा० भगत : पिछले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता प्रतिरक्षा मंत्री थे। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं संयुक्त राष्ट्र संघ में अब तक कुल 69 संसद् सदस्य भेजे गये हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने संसद् सदस्य भेजे गए हैं, उनमें से कितने सदस्यों ने इस सभा में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के वाद विवाद में भाग लिया है तथा कितने वैदेशिक मामलों से सुपरिचित हैं ?

श्रीकृष्ण मूर्ति : मैंने वह समाचार-पत्र नहीं पढ़ा है, जिसमें श्री तिवारी का पत्र प्रकाशित हुआ है। क्या प्रधानमंत्री यह बतायेंगी कि श्री तिवारी ने शिष्ट मंडल पर क्या-क्या आरोप लगाये हैं तथा भविष्य में इस सम्बन्ध में वह क्या कार्यवाही करेंगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उसमें ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया हैं। वह एक सूचना है। वह एक पत्र है।

श्री कंवर लाल गुप्त : पत्र में लिखा क्या है ? आप उसे बताती क्यों शरमा रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह कोई इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है। यदि कोई व्यक्ति श्री गुप्ता को पत्र लिखता है, तो क्या उसे सभा पटल पर रखा जायेगा। उस पत्र को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री हेम बरुआ : मैं आपसे सहमत नहीं हूं। वह पत्र महत्वपूर्ण है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उस पत्र में लिखी हुई बातों को बताने में मुझ कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं तो सभा का समय बचाना चाहती थी। उस पत्र में कोई आरोप नहीं लगाये गये हैं। सर्व प्रथम उन्होंने यह लिखा है कि उन्हें प्रतिनिधि अथवा वैकल्पिक प्रतिनिधि की बजाय सलाहकार क्यों बनाया गया। दूसरी बात उन्होंने यह लिखी है कि स्वदेश लौटते समय उन्होंने विभिन्न दूतावासों का दौरा किया था और वह उनके बारे में रिपोर्ट देना चाहते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : वह रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उन्होंने लिखा है कि बाद में मैं आपके पास आऊंगा और रिपोर्ट दूंगा। पत्र में कुछ नहीं लिखा है।

उन्होंने लन्दन तथा अन्य स्थानों में स्थित सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के कार्यालयों का भी दौरा किया है तथा उन्होंने कहा है कि वह आंकड़े तथा तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं और उन्हें पेश करेंगे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इस बात में कितनी सचाई है कि भारत का सम्मान गिर रहा है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : एक महत्वपूर्ण सदस्य ने यह मत व्यक्त किया है कि हमारे प्रतिनिधि ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं तथा भारत का दृष्टिकोण ठीक प्रकार से पेश नहीं किया जा रहा है। इस बात को देखते हुए यह आवश्यक है कि इस मामले की जांच कराई जाये। क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या इस सारे मामले की जांच कराई जायेगी तथा संसद् को उससे अवगत कराया जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे शिष्टमण्डल तथा स्थाई प्रतिनिधि ने बहुत अच्छा काम किया है। महासचिव सहित सबने उनकी सराहना की है। जांच की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हम नियमित रूप से यह प्रयास करते रहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा हमारे दूतावासों में कार्य में सुधार किया जाय। इसका हम नियमित अभ्यास करते रहते हैं।

Shri Onkar Lal Berwa: The Hon. Minister has just stated that so far 69 members have been sent. I want to know whether any scheduled caste member has ever been sent and whether any illiterate member has also been sent?

Shri B. R. Bhagat: Yes, Sir.

Shri Onkar Lal Berwa: Their names, please?

Shri B. R. Bhagat: Shri P. N. Naskar and some others are also there.

श्री कार्तिक ओरांव : 69 की इस संख्या के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि यह संख्या किस आधार पर निश्चित की जाती है तथा क्या प्रति वर्ष इस संख्या में वृद्धि अथवा कमी की जाती है अथवा सदा यही संख्या रहती है ?

श्री ब० रा० भगत : यह उस विशेष वर्ष के कार्य पर निर्भर है।

अध्यक्ष महोदय : 69 सदस्य इस वर्ष नहीं गये हैं। यह आंकड़े सब वर्षों से सम्बन्धित हैं।

श्री ब० रा० भगत : वर्ष 1947 से लेकर।

श्री बलराज मधोक : एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि उनका कोई निश्चित आधार नहीं है।

श्री ब० रा० भगत : मैंने यह शब्द इस्तेमाल नहीं किये।

श्री बलराज मधोक : परन्तु आपने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मेरा प्रश्न यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन प्राय: विशेष समस्याओं को लेकर होते हैं और क्या प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का चयन करते समय आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि उन सदस्यों को उन विषयों की जानकारी है, जिन पर संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा होगी अथवा उन्हें ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशनों में बैठने और घूमने के लिए भेज दिया जाता है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्यों के लिए यह कहना कि वे वहां बैठे रहते हैं और घूमते रहते हैं उनका अपमान करना है।

श्री बलराज मधोक : यह माननीय सदस्यों का अपमान नहीं है, अपितु उनका अपमान है, जो उनका चयन करते हैं ।

जार्डन पर इसराइली आक्रमण

+

*1264. **श्री शिव चन्द्र झा :**

श्री रवि राय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जार्डन पर हाल ही के इसराइली आक्रमण का मामला भारत ने सुरक्षा परिषद में उठाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और विशेष रूप से भारत के प्रस्ताव के बारे में अन्य राष्ट्रों की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र में जार्डन के स्थायी प्रतिनिधि की इस प्रार्थना पर कि इसराइल के आक्रमण के कारण उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिये सुरक्षा परिषद की तत्काल एक बैठक बुलाई जानी चाहिए, सुरक्षा परिषद में विचार-विमर्श हुआ था । इसी तरह इसराइल के स्थायी प्रतिनिधि ने भी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का अनुरोध किया था । इसलिये भारत ने इस सवाल को नहीं उठाया जैसा कि प्रश्न के भाग (क) में सुझाव दिया गया है । इसलिए, प्रश्न के भाग (ख) और (ग) का भी प्रश्न नहीं उठता । सुरक्षा परिषद ने 24 मार्च, 1968 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव स्वीकार किया था जो कि 10-4-68 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6613 के उत्तर के संबंध में सदन की मेज पर रखा गया था जिसका उत्तर प्रधान मंत्री ने दिया था ।

Shri Shiv Chandra Jha : In an interview with the Chief Editor of "Look" magzine, the Prime Minister has given a statement which has been published in yesterday's "Times of India". I am quoting a few lines from that :

"If Israel has to live in peace, she can always do so in friendship with her neighbours. She cannot do so with the help of a country far away. That is the point."

She means to say that if Israel wants to live in peace, she can do so with the help of her neighbouring countries and not with the help of those countries which are far away. America has been giving economic and military assistance to Israel. On 21st March a resolution was passed by U. N. Security Council, in which aggression committed by Israel was unanimously condemned. While participating in the discussion on the Resolution, the American representative, Mr. Goldberg had said that whatever had been done by Israel, it was done after provocation, though it was much more than the provocation. It means that the provocation was made by Jordan and Israel had acted only afterwards. So it is evident from the Resolution that though it was passed unanimously, America had indirectly supported Israel. I want to

know whether our representative there had a talk with the American representative, Mr. Goldsberg and asked him why he had given such a misleading statement and if so the results thereof?

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री प्रश्न को समझ सकते हों, तो उसका उत्तर दें। मैं तो कुछ समझ नहीं सका हूं। माननीय सदस्य छोटा एवम् स्पष्ट प्रश्न पूछें।

Shri Shiv Chandra Jha: My question is clear. U. S. A. had signed the resolution and it was a unanimous resolution. But at the same time U. S representative, Mr. Goldsberg had supported Israel by saying that whatever was done by her, it was done after provocation, though her action was more than the provocation. I want to know whether our representative had talked with the U. S. representative, Mr. Goldsberg and had asked him the reasons for supporting Israel by giving such statement.

Prime Minister, and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi): Our represeniative always discusses matters with other representatives on all subjects.

Shri Shiv Chandra Jha: The main problem of West Asia is that occupied territory should be got vacated. I want to know whether India wants to move a resolution in the U. N. fixing a time limit for the vacation of occupied territory by Israel and if Israel does not vacate the occupied territory by that date. drastic action will be taken against her by U. N. O.

Shrimati Indira Gandhi: The situation there is very delicate and as you know Mr. Jarring is trying his utmost to have a settlement. So it is not proper for us to move any such resolution at present.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इस बात को देखते हुए कि जारिंग मिशन सफल सिद्ध नहीं हुआ है तथा इस बात को देखते हुए कि स्वैज नहर का खुलना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मैं जानना चाहता हूं कि इसराइल और अरब देशों के बीच तनाव कम करने के लिये भारत का और क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मिस्टर जारिंग के प्रयत्न अभी जारी हैं और हमें उसके निष्कर्षों की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : भारत तथा इसराइल के बीच दुर्भावना बढ़ती जा रही है। क्या सरकार का विचार इसराइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करके इस दुर्भावना को कम करने का है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं नहीं समझती कि दुर्भावना बढ़ती जा रही है।

श्री वेदव्रत बरुआ : क्या असम्बद्ध राष्ट्रों अथवा किसी अन्य देश द्वारा कोई और पहल की गई है और इसराइल को इस बात पर सहमत करने का प्रयत्न किया गया है कि वह अरब देशों के उन क्षेत्रों को खाली करे जिस पर उसने अधिकार किया हुआ है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह तो केवल इस बात पर निर्भर है कि "पहल" शब्द का आप क्या अर्थ लगाते हैं। ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। जैसाकि माननीय सदस्यों को पता है कुछ सुझाव दिये गये हैं कि लोगों को मिलकर ऐसे मामलों पर विचार-विमर्श करना चाहिये।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि मिस्टर जारिंग का नवीनतम प्रस्ताव यह है कि इसराइल को जोर्डन नदी के पश्चिमी तट सहित सब कब्जा किये हुए क्षेत्रों को खाली करना चाहिये तथा खाली किये गये उन क्षेत्रों को अधिकार रहित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिये और वहां संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनायें तैनात की जानी चाहिये, और यदि हां, तो मिस्टर जारिंग के इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सरकार ऐसे समझौते का स्वागत करेगी जो सब सम्बद्ध लोगों को मान्य हो तथा जिससे किसी पक्ष का अवमान न होता हो। मिस्टर जारिंग विभिन्न प्रस्ताव पेश कर रहे हैं और समझौता कराने का प्रयत्न कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशों से प्रत्यावर्तित भारतीय

*1258. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में विभिन्न देशों से प्रत्यावर्तित भारतीयों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन प्रत्यावर्तित भारतीयों को कहां और किस प्रकार पुनः बसाया गया है और क्या वे अभी बिना रोजगार के हैं ;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों ने यह इच्छा व्यक्त की है कि उनको उन राज्यों, जिनके वह मूल निवासी हैं, के बजाय अन्य राज्यों में बसा दिया जाये ; और

(घ) इन प्रत्यावर्तित लोगों के पुनर्वास पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जिन महत्वपूर्ण देशों से देश प्रत्यावर्तन हुआ है, उनके बारे में आंकड़े नीचे लिखे अनुसार हैं :

देश	देश प्रत्यावर्तियों की संख्या	
बर्मा	1,59,806	30.3.68 तक
श्रीलंका	4,614	
मोजाम्बिक	2,300	
अदन	4,140	(1967 के दौरान)
कीनिया, उगांडा और तंजानिया के पूर्व अफ्रीकी देशों	10,000	अनुमानतः

अन्य देशों के बारे में आंकड़ इकट्ठ किय जा रहे हैं।

(ख) राज्यवार सुलभ आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और सदन की मेज पर रख दिये जाएंगे।

(ग) सूचना सुलभ नहीं है। सामान्यतः देशप्रत्यावर्ती अपने मूल राज्य में ही बसने की इच्छा व्यक्त करते हैं।

(घ) 467.56 लाख रुपये।

हिन्द महासागर में शक्ति शून्यता के बारे में ब्रिटेन के समाचार-पत्रों में प्रचार

*1261 **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटेन के समाचार-पत्रों में किए गये इस प्रचार की ओर दिलाया गया है कि भारत का विचार हिन्द महासागर से ब्रिटेन के हट जाने से उत्पन्न शक्ति शून्यता को पूरा करने का है और भारत रूस को वहां अड्डे देने के लिए तैयार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वास्तविक स्थिति/तथ्य क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय ब्रिटेन के अखबारों की कतिपय खबरों से है जिनमें भारतीय नौसेनाध्यक्ष का गलती से एक बयान के साथ नाम जोड़ा जा रहा था जोकि हिन्द महासागर के तथाकथित रिक्त स्थान को भरने के विषय में भारत की मांग के बारे में था। माननीय सदस्य का ध्यान लोक सभा में 10-4-1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 1141 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है जोकि रक्षा मंत्री ने दिया था।

भारत में आने वाले भारतीय परिवार

*1265. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगने की तिथि से कितने भारतीय परिवार भारत में आये हैं ; और

(ख) उन परिवारों को सहायता तथा राहत देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). राष्ट्र-मण्डल आप्रवास अधिनियम के अन्तर्गत लगाई गई पाबन्दियों का भारतीय राष्ट्रिकों पर असर नहीं पड़ता। वे सामान्य रूप से ही भारत आते रहे हैं और इसलिये उन्हें कोई सहायता या राहत देने का प्रश्न नहीं उठता। भारत सरकार को ऐसे लोगों के बारे में ठीक-ठीक सूचना नहीं है जो भारत में आ गये हैं।

छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों को विज्ञापन

*1266. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों की पर्याप्त संख्या में सरकारी विज्ञापन देने के बारे में लघु समाचार-पत्र सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

छोटे और मध्य दर्जे के समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन अधिक मात्रा में देने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(1) परिवार नियोजन जैसे अधिक प्रचार करने वाले विज्ञापनों को छोटे और मध्य दर्जे के समाचार-पत्रों के लिए, जो अधिकतर भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते हैं, रखा गया है ;

(2) बड़े विज्ञापन छोटे और मध्य दर्जे के समाचार-पत्रों को भेजे जाते हैं और छोटे विज्ञापन बड़े समाचार-पत्रों को भेजे जाते हैं :

(3) परिवार नियोजन पखवाड़े जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर जारी किये जाने वाले विशेषांक छोटे और मध्य दर्जे के समाचार-पत्रों को भेजे जाते हैं ;

(4) यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया और अल्प-बचत जैसे अभियानों की भाषा सूची में काफी विस्तार कर दिया गया है जिससे उनका भारतीय भाषाओं वाले अधिक समाचार-पत्रों में प्रकाशन हो सके । ताकि अधिक लोग और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पढ़ें ; और

(5) संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विज्ञापन अब कम स्थान में प्रकाशित किए जाते हैं और शेष स्थान का उपयोग छोटे और मध्य दर्जे के समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने के लिये किया जाता है ।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के बारे में सिद्धान्त

*1267. **श्री अम्बचेजियान** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने मुख्य मंत्रियों की एक समिति चौथी योजना में राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के सिद्धान्तों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने किस कसौटी का सुझाव दिया था और क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने उन पर विचार कर लिया है ; और

(ग) इस बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा क्या सिफारिशें की गई थीं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान-मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने, अपनी अगस्त, 1966 को सम्पन्न बैठक में सहायता की प्रणाली के अध्ययन के लिए मुख्य मंत्रियों की एक समिति गठित की। राज्यों को केन्द्रीय सहायता के वितरण के सिद्धान्त के प्रश्न पर राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा उसी बैठक में विचार किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में किसी प्रकार के सम्मत निष्कर्षों पर पहुंचा नहीं जा सका। अतः योजना आयोग से कहा गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद् के विचार-विमर्श के आधार पर वे इस विषय में विचार करें।

योजना आयोग के निम्न मार्गदर्शक सिद्धान्त निश्चित किये हैं, जिनके आधार पर जुलाई, 1966 में परिकल्पित किया गया, राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय सहायता का निश्चय किया गया ;

(1) प्रत्येक राज्य को पहले कुल वितरित की जाने वाली धनराशि का 70 प्रतिशत जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्राप्त होगा।

(2) बाकी धनराशि फिर दोबारा वितरित कर दी जाएगी। परन्तु (1) जम्मू तथा काश्मीर, असम और नागालैंड की विशेष आवश्यकताओं, (2) जारी सिंचाई व बिजली परि-योजनाओं और (3) कतिपय पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाय।

Changes in U. K. Immigration Act

*1270. **Shri O. P. Tyagi:** **Shri Kanwar Lal Gupta:**
Shri Brij Bhushan Lal: **Shri Sharda Nand:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any changes have been effected in the British Immigration Act and in the policies adopted by the Government of U. K. and Kenya recently in regard to the persons of Indian origin holding British passports, consequent to efforts made by the Government of India in this regard ; and

(b) if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat): (a) and (b). Some minor changes were incorporated in the Commonwealth Immigrants Bill and some assurances were given in the British Parliament as a result of our discussion with the U. K. Government. The Kenya Government also have extended the validity of work permits from one year to two years subject to renewal.

Development Works Undertaken by India in Kenya

*1271. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have set up paper, cloth and other factories for the development of Kenya inspite of treatment meted out to Indians there ; and

(b) if so, the reasons therefor and the details about the development work undertaken by the Government of India in Kenya and the number of Indians working in such factories?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों की भर्ती

*1272. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं में सीधे भर्ती किये गये तथा जवानों से पदोन्नत हुए अधिकारियों का अनुपात इस समय कितना-कितना है ;

(ख) क्या सरकार का विचार जवानों से पदोन्नत किये जाने वाले अधिकारियों का अनुपात बढ़ाने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सशस्त्र सेनाओं के तीनों पक्षों में सीधे भर्ती किए गये अफसरों और अन्य श्रेणियों से पदोन्नत हुए अफसरों का अनुपात लगभग इस प्रकार है :

सेना	4 : 1
वायुसेना	10 : 1
नौसेना	5 : 2

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सेवा कर रहे सैनिकों के लिए कमीशन पद तक उन्नति करने के लिए पहले से पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं ।

एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसर

*1273. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकाल में (1) सरकारी कर्मचारियों (2) अन्य कर्मचारियों (3) विद्यार्थियों (4) व्यापारियों तथा (5) थल, वायु तथा नौसेना के सैनिकों में से कुल कितने एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी भर्ती किये गये ;

(ख) 31 मार्च, 1968 तक उनमें से श्रेणीवार कितने व्यक्तियों को सेवामुक्त किया गया है और कितने व्यक्तियों को स्थायी कमीशन दिया गया है ;

(ग) कितने सेवामुक्त किये गये एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को अब तक सीमा सुरक्षा दल, काश्मीर मिलिशिया रेलवे सुरक्षा दल, सीमा सड़क संगठन और राज्यों की पुलिस सेवा में लिया गया है ;

(घ) इनमें से कितने अधिकारियों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार सेवा में ले लिया गया है ;

(ङ) क्या सरकार को एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों से उन्हें उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्त करने के मामले में रेलवे सहित विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभागों के असहायक रवैये के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(च) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). आवश्यक सूचना देने वाले दो विवरण सभा के पटल पर रख दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०**-911/68]

(ङ) जी हां।

(च) हमने सेवा से विमुक्त ई० सी० ओज़० को यथासम्भव खपा लेने की वांछनीयता के लिए विभिन्न रोजगार दिलाऊ अधिकरणों पर जोर डाला है।

परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी करार पर भारत का दृष्टिकोण

*1274. **श्री शशि भूषण वाजपेयी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी करार के बारे में भारतीय निर्णय पर रूस और अमरीका की सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) विश्व के उन अन्य देशों के नाम क्या हैं जो इस करार से सहमत हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ दोनों ने परमाणु अस्त्रों के विस्तार और प्रसार को रोकने से सम्बद्ध संधि का जो मसौदा पेश किया है उस पर अप्रैल-मई 1968 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में विचार किये जाने की उम्मीद है। संयुक्त राज्य अमरीका और सेवियत संघ ने स्वभावतः यह आशा प्रकट की है कि परमाणु अस्त्र विहीन सभी देश इस संधि पर हस्ताक्षर करेंगे।

(ख) यह सूचना इस समय सुलभ नहीं है। अन्य देशों की स्थिति महासभा के अधिवेशन के समय मालूम पड़ेगी।

दिल्ली स्थित वियतनाम के महावाणिज्य दूत को हनोई से पुस्तकों और पत्रिकाओं की सप्लाई

*1275. **डा० रानेन सेन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 19 मार्च, 1968 के "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया था कि भारत सरकार ने दिल्ली स्थित वियतनाम के लोकतंत्रात्मक गणराज्य के महावाणिज्य दूत को हनोई से पत्रिकाओं और पुस्तकों को सप्लाई अक्तूबर 1967 से बन्द कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) माननीय सदस्य ने अखबार की जिन खबरों का जिक्र किया है, उन्हें सरकार ने देखा है। सरकार ने वियतनाम लोकगणराज्य के प्रधान कोंशलावास द्वारा हनोई से पत्रिकाएं और पुस्तकें मंगाने पर रोक लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। बहरहाल ; कस्टम प्राधिकारियों से और पूछ-तांछ की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु हथियार

*1277. **श्री समर गुह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है विभिन्न परमाणु शक्तियों ने परमाणु बमों के अतिरिक्त स्थल युद्ध में प्रयोग के लिए अन्य सामरिक परमाणु हथियारों तथा परमाणु तोपखाना, परमाणु राकेट बनाये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन्हीं प्रयोजनों के लिए चीन ऐसे सामरिक परमाणु हथियार बना रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अमरीका, रूस, ब्रिटेन तथा फ्रांस को सैनिक शिष्टमण्डल भेजने का है जिससे भारतीय प्रतिरक्षा सेवाओं को इन सामरिक परमाणु हथियारों की तकनीक के बारे में जानकारी हो जाये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). कुछ देशों ने स्थल युद्ध के लिए उपयुक्त टेक्नीकल नाभिकीय आयुधों का विकास किया है। ऐसा असम्भाव्य नहीं कि चीन ने भी ऐसे आयुधों के विकास की योजनाएं बनाई हों। अगरचे विदेश में कोई सैनिक मिशन भेजने का प्रस्ताव नहीं, और न ही ऐसा आवश्यक नजर आता है, सरकार अन्यत्र ऐसे हो रहे विकासों की जानकारी प्राप्त करने का यत्न करती है।

Construction of North-West Border Road

*1278. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the difficulties being experienced in constructing the North-West Border Road to ensure that the rebels in the Eastern Border of Nagaland do not establish any contacts with China ; and

(b) the reasons for which this road could not be constructed so far ?

The Minister of Defence (Shri Swarn Singh): (a) and (b). There is no proposal to construct a road by this name. I will, however enquire about it if the Hon. Member gives a clear idea about the road which is in his mind.

सोमासिला, आंध्र प्रदेश में अणु संयंत्र

*1279. **श्री क० नारायण राव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में सोमासिला में एक अणु बिजली घर स्थापित करने के लिये आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने केन्द्रीय सरकार से बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में एक परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के बारे में वहां की राज्य सरकार ने प्रार्थना की है ।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान नये परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के बारे में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा अध्ययन आरम्भ किये जा चुके हैं, जिनकी पूर्ति पर आन्ध्र प्रदेश में परमाणु बिजलीघर लगाने सम्बन्धी प्रार्थना पर अन्य राज्यों से प्राप्त ऐसी ही प्रार्थनाओं के साथ-साथ गौर किया जायेगा ।

Broadcast of News about Communal Riots in Allahabad

*1280. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the news regarding the recent communal riots in Allahabad was broadcast by the Pakistan Radio esrlier than the All-India Radio ; and

(b) if so, the reasons for A. I. R. lagging behind in the matter ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) No, Sir. The disturbances in Allahabad were first mentioned by All-India Radio in its English news bulletion at 13.30 hours on the 16th March, 1968. The Pakistan Radio noticed the riots for the first time in its Kashmiri transmission at 18.05 hours on the same date i. e. March 16, 1968. Thus All-India Radio put out the item four and a half hours earlier than Radio Pakistan.

(b) Does not arise.

Radio Jammu

*1281. **Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a senior officer of Jammu Radio Station had refused to broadcast a talk on Swami Dayanand on the eve of last "Shivaratri", when a request to this effect was made to him by the Arya Samaj authorities; and

(b) if so, the action taken against the officer concerned for his refusal to broadcast a talk on Swami Dayanand in view of the fact that talks are broadcast in the cases of other great men?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) The position with regard to special anniversary programmes was explained by the Station Director of Jammu Radio Station to the Arya Samaj authorities, who offered to arrange a special programme on Rishi Dayanand Saraswati on any day other than the day of Shivaratri; the programme structure of Jammu Station did not admit of any modification.

(b) Does not arise.

Demolition of Border Pillars by Pakistanis

*1282. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 272 on the 27th November, 1967 and state:

(a) whether Government did not send any protest note at that time against the demolition of border pillars by Pakistanis in the Nadia District of East Pakistan;

(b) whether it is a fact that the Pakistan Government had opposed the attempts by Government of India to re-erect the border pillars at that time;

(c) whether these border pillars have since been re-erected;

(d) whether a guarantee has been given by the Government of Pakistan that such incidents would not recur in future; and

(e) if not, the messures contemplated to be taken by Government to prevent the recurrence of such incidents in future?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat): (a) to (e): Protests were lodged with the Pakistan authorities at the District and State Government levels.

At their meeting held in July, 1965, the Directors of Land Records and Surveys of West Bengal and East Pakistan arrived at an agreed procedure for biennial inspections of boundary pillars and their repair or replacement.

The pillars were not repaired or replaced, because of the intervention of the Indo-Pakistani conflict. In the subsequent meetings of the Directors of Land Records and Surveys, the East Pakistan Survey authorities maintained the stand that the commencement of this or any other field work would not be possible unless demarcation of Berubari was also taken up. However, in September, 1967 they agreed to restore some of the missing pillars in Nadia and Kushtia border. In spite of this agreement, the East Pakistan side unilaterally withdrew their field staff.

Efforts are being made to enlist the co-operation of the Pakistan authorities in accordance with the agreed procedure.

नागालैण्ड में शान्ति पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

*1283. **श्रीवेणीशंकर शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर और नागालैण्ड में युद्ध-विराम सम्बन्धी करार की समूची स्थिति का पुनर्विलोकन करने के उद्देश्य से एक संयुक्त बैठक बुलाने के हेतु नागलैण्ड में शान्ति पर्यवेक्षकों ने सरकार और छिपे नागाओं को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) नागालैण्ड के गवर्नर से इस मामले को देखने की प्रार्थना की गई थी । भारत सरकार को सूचित किया गया है कि 20 अप्रैल, 1968 को दीनापुर में बैठक होना निश्चित हुआ है ।

कार्यक्रम निर्माण निकाय

*1284. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को उनके राज्यों में कार्यक्रम निर्माण निकाय में शामिल करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को आकाशवाणी केन्द्रों से सम्बद्ध सभी सलाहकार समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमन्त्रित किया जाता है । उदाहरण के लिये सूचना निदेशक या राज्य सरकार के किसी समकक्ष अधिकारी को केन्द्र पर होने वाली कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए हमेशा आमन्त्रित किया जाता है । कृषि विभाग तथा ऐसे अन्य विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों को ग्रामीण सलाहकार समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमन्त्रित किया जाता है । इसी प्रकार श्रमिक कल्याण से संबंधित अधिकारी औद्योगिक मजदूर कार्यक्रम सम्बन्धी सलाहकार समितियों से सम्बन्धित रहते हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्कूल प्रसारण सलाहकार पेनलों से सम्बन्धित रहते हैं । राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और अधिक मात्रा में भाग लें, इसके लिए

प्रत्येक राज्य के आकाशवाणी केन्द्रों की कार्यक्रम सलाहकार समितियों को फिर से गठित करने की एक योजना पर विचार हो रहा है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

टेलीविजन कर्मचारियों को विशेषीकृत प्रशिक्षण

*1285. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीविजन में काम करने वाले कर्मचारियों को टेलीविजन में विशेषीकृत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पश्चिम जर्मनी, इटली और इंगलैंड भेजा जा रहा है और उपरोक्त देश इसके लिये उन्हें छात्रवृत्तियां दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण के लिये स्टाफ आर्टिस्टों में से श्रेणीवार कितने-कितने प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स तकनीशियन और अन्य श्रेणी के लोग अब तक भेजे गये हैं; और

(ग) इन छात्रवृत्तियों के लिये उम्मीदवारों को चुनने के लिये क्या तरीका अपनाया जाता है और क्या अब तक चुने गये उम्मीदवारों के मामलों में इस तरीके का कड़े रूप से पालन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख)

1.	प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव	8
2.	प्रोड्यूसर (स्टाफ आर्टिस्ट)	1
3.	इन्जीनियर	8
4.	स्टाफ की अन्य श्रेणियां	—

(ग) चुनाव के लिये ये बातें देखी जाती हैं कि तकनीकी दृष्टिकोण से उम्मीदवार कितना योग्य है और किसी विशेष क्षेत्र में उसका अनुभव क्या है और किसी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वह अधिकारी नौकरी में कितना उपयोगी सिद्ध होगा। जहां तक सम्भव हो सके, अधिकारियों को प्रशिक्षण पर विदेश भेजने के लिए इन आम सिद्धान्तों को पालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति देने के लिये अर्हतायें, अनुभव आदि की शर्तों का होना भी जरूरी है।

हज यात्रियों के लिये प्रयोग में लाये गये जहाज

7490 **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) कितने मुस्लिम यात्री प्रतिवर्ष हज के लिये जाते हैं और इस कार्य के लिये कितने जहाज काम में लाये जाते हैं।

(ख) जहाज में विभिन्न श्रेणियों के लिये भारत से जद्दाह तक तथा जद्दाह से भारत तक का प्रति व्यक्ति औसतन किराया क्या है।

(ग) गत तीन वर्षों में हज यातायात से प्रति वर्ष कुल कितनी आय हुई है और कम्पनी-वार प्रत्येक नौवहन कम्पनी का यातायात का हिस्सा क्या था; और

(घ) क्या सरकार प्रति यात्री कोई कर लगाती है और यदि हां, तो कितना ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा-गांधी) : (क) पिछले तीन वर्ष में जितने मुसलमान यात्री हज पर गए थे, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, उनकी संख्या नीचे दी गई हैं :

1966	15,533
1967	15,544
1968	15,171

ऊपर वर्षवार जो आंकड़े दिए गए हैं, उनमें से समुद्री जहाज से और हवाई जहाज से जाने वालों की संख्या नीचे दी गई है :

	समुद्री जहाज से	हवाई जहाज से
1966	14,524	1,009
1967	14,450	1,094
1968	14,176	995

समुद्री जहाज से जाने वाले तीन जहाजों से गए थे और इन जहाजों ने 1966 और 1967 में 10-10 चक्कर लगाए थे और 1968 में 11.

हवाई जहाज से जाने वालों को 1966 के हज में एयर इंडिया कैरेवील्स और सऊदी एयरलाइन्स द्वारा 10 बार में, 1967 के हज में एयर इंडिया के बोइंग द्वारा 7 बार में और 1968 में एयर इंडिया तथा अरब एयर लाइन्स द्वारा 6 बार में (बोइंग से) ले जाया गया था।

(ख) मुगल लाइन्स लिमिटेड जो कि समुद्री मार्ग से हज यातायात पर ले जाने वालों की एक यात्रा जहाजरानी कम्पनी है—द्वारा निर्धारित किराया नीचे लिखे अनुसार है :

जहाज का दर्जा	वर्ष	आने-जाने का किराया जिसमें खाना भी शामिल है।
	1966	
डैक दर्जा		479.85 रु०
पहला दर्जा		1,335.60 रु०
पहला दर्जा (मय गुसलघर के)		1,375.60 रु०

1967-68

डैक दर्जा	600.00 रु०
पहला दर्जा	1,670.00 रु०
पहला दर्जा (मय गुसलघर के)	1,720.00 रु०
हवाई जहाज	**किराया (आने-जाने का)**
1966	1,622.00 रु०
1967	2,100.00 रु०
1968	2,233.00 रु०

(ग) मुगल लाइन लिमिटेड की जो कि समुद्री मार्ग से जाने-आने वाले सारे हज यात्रियों को ले गया था, पिछले दो वर्षों की आमदनी (रुपयों में) नीचे दी गई हैं।

1966	76,50,646.40
1967	95,41,990.27

1968 के आंकड़े अभी तैयार किए जा रहे हैं।

1967 की आमदनी की वृद्धि अवमूल्यन के कारण यात्री किराए में 25% की वृद्धि हो जाने की वजह से हुई है।

(घ) सरकार हज यात्रियों पर किसी तरह का कर नहीं लगाती। हज समिति, बंबई, 10/-रु० प्रति यात्री के हिसाब से रजिस्ट्री की फीस लेती है। इससे जो पैसा इकट्ठा होता है, उसे हज समिति, बंबई और जेद्दा में यात्रियों के कल्याण कार्यों पर खर्च करती है। इस रकम का एक भाग विभिन्न राज्य हज समितियों को भी हज यात्रा से संबंद्ध कार्यों पर खर्चने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है।

विदेशों को सहायता

7491 **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा इण्डोनेशिया, अफगानिस्तान, ईराक, सीरिया, यमन, जोर्डन, ईरान, कुवैत, लेबनान, सऊदी अरब, सूडान, संयुक्त अरब गणराज्य तथा तुर्की को पिछले तीन वर्षों में देश-वार, विभिन्न प्रकार की क्या-क्या और कितनी-कितनी राशि की सहायता दी गई; और

(ख) जब स्वयं भारत के पास धन की कमी है तथा हमें सहायता की आवश्यकता है, तो यह सहायता इनको किस आधार पर दी गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन इन देशों को भारत ने जो सहायता दी है उसका एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में**

रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-902/68] सहायता इस रूप में दी गई है, जैसे तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं सुलभ कराना, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना, मशीनरी और उपकरण, ऋण इत्यादि देना ।

(ख) हमारा यह विश्वास रहा है कि विकासशील देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कहीं अधिक सहयोग होना चाहिए और अपने इस विश्वास की अभिव्यक्ति हमने उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तथा अन्यत्र भी की है । इस सहयोग का एक रूप यह है कि वे देश जो औद्योगिक, प्राद्योगिकीय तथा वैज्ञानिक विकास की अपेक्षाकृत उन्नत अवस्थाओं में पहुंच चुके हैं । वे अपनी जानकारी, विशेषज्ञता तथा सुविधाओं से अन्य देशों को भी लाभान्वित करें । परन्तु, इस प्रकार की सहायता का आकार-प्रकार छोटा है और सरकार का दृष्टिकोण यह है कि स्वयं हमारे विदेशी सहायता प्राप्त करने अथवा हमारे पास निधियों का अभाव होने का जो तथ्य है, वह विकासशील देशों के बीच पारस्परिक लाभकारी सहयोग के मार्ग में बाधक नहीं होना चाहिए ।

विज्ञापनों पर खर्च

7492. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री म० ला० सोंधी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं में सरकारी विज्ञापनों पर, वर्ष-वार, कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि में भाषावार कितने समाचार-पत्र तथा पत्रिकाओं को विज्ञापन दिये गये;

(ग) प्रचार का माध्यम चुनने का आधार क्या है; और

(घ) विज्ञापन अभिकरणों के नाम क्या हैं, और उनके माध्यम से प्रतिवर्ष कितने रुपये का कारोबार दिया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) आपेक्षित जानकारी नीचे दी हुई है :

1963-64	66,37,057 रुपए
1964-65	68,98,028 रुपए
1965-66	82,43,560 रुपए
1966-67	77,78,409 रुपए
1967-68	49,13,192 रुपए

(दिसम्बर, 1967 तक)

(ख) गत पांच वर्षों में जिन पत्र-पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल किया गया, उनकी संख्या संलग्न (अंग्रेजी उत्तर के साथ देखें) । विवरण में दी हुई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । वेखिये संख्या एल० टी०-903/68**]

(ग) विज्ञापनों के लिए पत्र-पत्रिकाओं का चयन करते समय निम्नलिखित सिद्धान्त ध्यान में रखे जाते हैं :

1. प्रभावी खपत सामान्यत: 1000 से कम विक्री वाले समाचार-पत्रों का उपयोग नहीं किया जाता ।
2. प्रकाशन में नियमितता (लगातार 6 महीने का प्रकाशन आवश्यक है) ।
3. पाठकों की श्रेणी ।
4. पत्रकारिका सम्बन्धी नैतिकता के स्वीकृति स्तरों का पालन तथा अन्य बातें जैसे छपाई स्तर, उपलब्ध धन के अन्दर-अन्दर किन-किन भाषाओं और क्षेत्रों में विज्ञापन देने हैं ।

सरकारी विज्ञापन देते समय इस बात का विचार नहीं किया जाता कि कोई पत्र किस राजनीतिक दल से सम्बधित है या उसकी नीति क्या है । सरकारी विज्ञापनों के लिए सभी राजनीतिक दलों से सम्बन्ध रखने वाले और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का समर्थन करने वाले पत्रों का उपयोग किया जाता है । अलबत्ता ऐसे समाचार-पत्रों को विज्ञापन नहीं दिये जाते, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा विषैला प्रचार करते हैं जिससे साम्प्रदायिक घृणा और हिंसा को उकसावा मिले या सार्वजनिक शीलता की सामाजिकतौर से स्वीकृत संहिता का उल्लंघन करें या उन पत्रों को जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाना हो ।

(घ) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय पत्र और पत्रिकाओं को सीधे ही विज्ञापन देता है, किसी विज्ञापन एजेंसी की मार्फत नहीं ।

Defence Arrangements at Borders with West Pakistan

7494. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any joint measures have been taken by the Central and State Governments of Punjab, Rajasthan, Gujarat and Jammu and Kashmir to strengthen the Defence arrangements at the borders between these States and West Pakistan ; and

(b) if so, the steps taken during the past three years particularly for boosting the morale of the communities living in the border areas and to improve their means of transport and communications ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). Our plans make adequate provision for defence arrangements along the Punjab, Rajasthan, Gujarat and Jammu and Kashmir borders with West Pakistan. There is proper co-ordination between the Central and State Governments regarding measures necessary for defence and the State Governments are fully co-operating in matters such as construction of strategic roads, raising of Home Guards and institution of civil defence measures etc.

केन्द्रीय सूचना सेवा

7495. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सूचना सेवा के वर्ग 4 में 200 से अधिक अधिकारी पूर्णतया तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं; और

(ख) सरकार का विचार उन्हें किस तरह नियमित करने का है और कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 108 अधिकारी इस समय तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं ।

(ख) उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा, जिसकी चालू साल में होने की संभावना है, के आधार पर नियमित किया जाएगा । तदर्थ आधार पर नियुक्त 14 व्यक्ति, जो निर्धारित अर्हताएं पूरी करते हैं तथा आयु सीमा के अन्दर हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे । तदर्थ आधार पर नियुक्त अधिकायु व्यक्तियों को, की गई सेवा अवधि से लिए मान्यता देने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि वे परीक्षा में बैठने की पात्रता रख सकें । इस प्रकार आयु सीमा में छूट करने से 24 और व्यक्ति परीक्षा में बैठने के पात्र हो जाएंगे। ज्यों ही संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित व्यक्ति उपलब्ध हो जाएंगे शेष 70 अधिकारियों को सेवा से मुक्त करने की आवश्यकता होगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के निरीक्षण केन्द्र

7496. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया में कई निरीक्षण केन्द्र बंद कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयोग के पास कार्यकारी शक्तियां न होने के कारण वह प्रभावी रूप से कार्य करने में असमर्थ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके बारे में जेनेवा सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों को स्थिति से अवगत कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीनती इन्दिरा गांधी) : (क) लाओस और वियतनाम स्थित कमीशन अपने कर्मचारियों की संख्या में कमी कर रहे हैं और इसमें कुछ टीमों को अस्थायी तौर पर वापस हटाना भी शामिल है । कंबोडिया स्थित कमीशन में कमी करने का विचार नहीं है क्योंकि वह पहले ही बहुत छोटा है ।

(ख) और (ग) . ये कमीशन इसलिए स्थापित किए गए थे कि संबंद्ध पक्षों द्वारा कंबोडिया, लाओस और वियतनाम से संबद्ध जेनेवा करार की व्यवस्थाओं के अमल की देख-रेख

और नियंत्रण रखा जाए। जहां तक लाओस का सवाल है, बाद में 1962 में जो जेनेवा करार हुआ था वह इस कमीशन की वर्तमान गतिविधियों का आधार है। इन करारों के अंतर्गत करारों की व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी करार के पक्षधरों की है और कमीशन तो सिर्फ इसकी देख-रेख और नियंत्रण रखता है। इस कमीशन को चार्टर के अनुसार कार्य करना होता है जोकि जेनेवा शक्तियों द्वारा उसे दिया गया था और कमीशन को कार्यकारी शक्तियां देने के लिए जेनेवा शक्तियों से कहने के किसी सुझाव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

तिब्बती शरणार्थी

7497. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष में कितने तिब्बती शरणार्थी भारत आये थे;

(ख) ये तिब्बती शरणार्थी किस-किस आदिम जाति के हैं तथा क्या वे सब लोग तिब्बत में वर्तमान चीनी शासन के प्रति विद्रोही हैं;

(ग) ये तिब्बती शरणार्थी किस-किस दर्रे से आये हैं तथा भारत में उनको प्रविष्ट होने देने से पहले उनकी छानबीन तथा जांच-पड़ताल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा उन्हें भारत में किन-किन भागों पर बसाया गया है तथा कितनी-कितनी संख्या में ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 945

(ख) इन कबीलों के नाम हमें मालूम नहीं हैं। ये सब शरणार्थी भारत-तिब्बत सीमा के निकटवर्ती इलाकों के हैं। चीनी प्राधिकारियों के धार्मिक अत्याचारों के कारण उन्हें अपना घरबार छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी है।

(ग) यह सूचना देना शरणार्थियों के और तिब्बत में इनके परिवारों के जो लोग रह गए हैं उनके हित में न होगा। जहां तक उनकी छानबीन करने के प्रबंधों का प्रश्न है, इस सदन में कई बार इसका ब्योरा बताया जा चुका है और अभी हाल ही में 18-12-1967 को तारांकित प्रश्न सं० 722, 21 फरवरी, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1479 और 3-4-1968 को अतारांकित प्रश्न सं० 6282 के उत्तर में बताया गया था।

(घ) 113 तिब्बती शरणार्थियों को लद्दाख में, करीब 125 को हिमाचल प्रदेश में और बाकी को मैसूर में बसाने का विचार है।

मारवाड़ी सहायता द्वारा वियतनाम को भेजे गए उपहार

7498. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता स्थित मारवाड़ी सहायता समिति ने हाल में उत्तर

और दक्षिण वियतनाम को उपहार भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य के; और

(ग) यदि हां, तो उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम को कितने-कितने मूल्य के तथा कितनी-कितनी मात्रा में उपहार भेजे गये ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) . भारत सरकार को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

भारत तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच बातचीत

7499 **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पारस्परिक हित वाले विश्व के मामलों पर समय-समय पर विचार विनिमय के लिये भारत पश्चिम जर्मनी करार के अंतर्गत भारत तथा जर्मनी के बीच बातचीत की तिथि निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैठक की कार्यसूची को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा-गांधी): (क) जी नहीं

(ख) और (ग) . इस बारे में विचार हो रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही कोई निर्णय ले लिया जाएगा।

आकाशवाणी में वर्क-मुंशी

7500. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 11 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3685 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में कार्यभारित कर्मचारियों में कितने वर्क-मुंशियों को अब तक नियमित किया गया है; और

(ख) ऐसे सब कर्मचारियों को नियमित करने में कितना समय लगने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) . अभी तक कोई भी वर्क-मुंशी नियमित पद पर नहीं रखा गया है। तो भी, यह प्रश्न विचाराधीन है और निर्णय करने में कुछ और समय लगेगा।

आकाशवाणी में वर्क-मुंशी

7501. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में वर्क-मुंशियों और क्लर्कों के लिये मूल अर्हतायें समान हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्लर्कों के पदों पर वर्क-मुंशियों को नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) आकाशवाणी में वर्क-मुंशियों और क्लर्कों के लिये मूल अर्हतायें समान हैं अर्थात् मैट्रिकुलेशन, परन्तु क्लर्कों के लिये टाइप का ज्ञान अतिरिक्त अर्हता है। क्लर्क ग्रेड दो के लिये आयु सीमा 21 वर्ष है जबकि वर्क-मुंशियों के लिये 35 वर्ष। वर्क-मुंशी वर्क-चार्ज्ड व्यक्तियों में से रखे जाते हैं।

(ख) वर्क-चार्ज्ड मुंशियों को नियमित आधार पर रखने का प्रश्न विचाराधीन है।

Indo-Nepal Agreement

7502. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that mutual agreement was signed between the Governments of India and Nepal in 1950, according to which Indian citizens could own and cultivate land in Nepal, but the Government of Nepal later on framed some rules and have acquired the lands of Indian citizens in Nepal ;

(b) whether the Government of India propose to enter into an agreement with the Government of Nepal according to which the Indian citizens in Nepal could get back their land; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The 'mutual agreement' signed between the Governments of India and Nepal in 1950 was the Treaty of Peace and Friendship. Article VII of the Treaty of Peace and Friendship provides that "the Governments of India and Nepal agree to grant, on a reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other the same privileges in the matter of residence, ownership of property, participation in trade and commerce, movement and other privileges of a similar nature." Details regarding land and tenancy rights of Indian citizens in Nepal have been furnished to the House on many occasions. The Hon'ble Member may kindly refer to the detailed statement made in this House on December 2, 1966, by the Minister of State for External Affairs, and to replies given :

(i) on 29th May, 1967 to Unstarred Question No. 768

(ii) on 20th November, 1967 to Unstarred Question No. 1069 and

(iii) on 4th December, 1967 to Unstarred Question No. 2855.

Government have not received any information about HMG of Nepal having acquired the lands of Indian citizens in Nepal.

(b) and (c). Do not arise.

बर्मा के साथ द्विपक्षीय सम्बन्ध

7503. **श्री रा० बरुआ :**
श्री मोहन सिंह ओबराय :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या बर्मा के जनरल नेविन के हाल के दौरे के बाद बर्मा तथा भारत के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों में अधिक सहयोग के लिये कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उठाये गये अथवा उठाये जाने वाले कदमों का ब्योरा क्या है तथा दोनों देशों के बीच और अच्छे सम्बन्ध बनाने में इससे कितनी सहायता मिलेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) ब्योरों को प्रकाशित करना उचित नहीं होगा क्योंकि वे गोपनीय प्रकार के हैं ।

भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिये भोजन

7504. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं को पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाता; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं । भारतीय सशस्त्र सेनाओं को पौष्टिक और पर्याप्त तौर पर सन्तुलित खुराक मिलती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आयोजन के सिद्धान्त

7505. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या तीन योजनाओं की क्रियान्विति से प्राप्त अनुभव के आधार पर सरकार ने आयोजन के कोई मूलभूत सिद्धान्त बनाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे सिद्धान्त क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). संविधान में, राज्य की आर्थिक और सामाजिक नीति के विषय में

सामान्य निदेश निर्दिष्ट किये गये हैं और क्रमिक योजनाओं में सुनियोजित विकास के उद्देश्यों और सिद्धान्तों का परिष्कार किया गया है। तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय आयोजन की नीति निश्चित की जा गई है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है। बहरहाल, समय-समय पर स्थिति बदलती रहती है और नई समस्यायें पैदा होती रहती हैं व नये अनुभव प्राप्त होते रहते हैं। अतः प्रत्येक पंचवर्षीय योजना को अपने विशिष्ट पूर्वापर सम्बन्धों को ध्यान में रखना होता है और तदनुसार वांछित समायोजन करना पड़ता है।

राज्यों की आय

7506. **श्री अम्बचेजियान :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने एक समान आधार पर राज्यों की आय का अनुमान लगाने के लिये एक विशेष एकक स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह एकक कब स्थापित किया गया था ; और

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन को एक निश्चित अवधि के लिए राज्यों की आय के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन प्रत्येक राज्य के अलग-अलग आय के अनुमान तैयार करने के लिये राज्यों के सांख्यिकीय कार्यालयों को मानक रीतिविधान की सुविधाएं प्रदान करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1960-61 से 1964-65 के लिये छै वस्तु-उत्पादन क्षेत्रों अर्थात् कृषि, पशुपालन, वनरोपण, मत्स्य-पालन, खनन एवं पत्थर खनन तथा कारखाना सम्बन्धी प्रतिष्ठानों के लिए तुलनात्मक अनुमान पहले से ही उपलब्ध हैं। शेष क्षेत्रों के अनुमानों की उपलब्धि राज्यों के सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा पूरा होने वाले कार्य पर निर्भर है।

Broadcast of 'Vividh Bharti' Programme from Patna/Varanasi Stations of A. I. R.

7507. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Vividh Bharati Programme from Patna Radio Station has now been discontinued resulting in adverse effect on the business of transistor dealers and lovers of Vividh Bharati programme possessing single-band transistor-sets ;

(b) if so, whether Government would consider the question of resuming Vividh Bharati programmes from Patna Radio Station ;

(c) whether Government have received requests to start broadcasting of Vividh Bharati Programmes from Varanasi Radio Station also ; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b). The Vividh Bharati Programme was discontinued from Patna Station of All India Radio with effect from the 17th December, 1967 on grounds of economy, but on representations made by listeners, it has since been resumed from the 25th February, 1968.

(c) Yes, Sir.

(d) Varanasi is an Auxiliary Centre of Lucknow-Allahabad Stations and there is no proposal at present, to convert it into a Vividh Bharati Centre.

Indians Abroad Working Against Gazetted Posts

7509. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indians working against Gazetted Posts in each foreign country ; and

(b) the number of the Indians sent abroad by Government during the last ten years who have not returned to India and are continuing in service there ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The requisite information in respect of Gazetted officers of the Indian Foreign Service, the Information Service and the Indian Foreign Service Branch 'B' is furnished in the enclosed statement. **[Placed in Library See No. L. T.-904/68]**

(b) I presume the Hon. Member has in mind the number of Indian officials of the Ministry of External Affairs who have been continuously abroad for a period of 10 years or more. This number is 42 covering all categories of officials.

Transmitter Manufacturing Factories

7510. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of transmitter manufacturing factories in the country and the names of foreign companies, country-wise, with whose collaboration they have been established and the capital invested thereon separately ; and

(b) the number of foreign technicians appointed in those factories and the amount being saved by Government as a result of the establishment of these factories ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). Transmitters and Trans-receivers are regularly manufactured in the country only in Bharat Electronics Ltd., the Bangalore and the Hyderabad Division of Hindustan Aeronautics Ltd. These Factories have composite facilities and undertake the manufacture of not only transmitters but also other items of electronic equipment and compo-

nents. The information asked for in the Question in respect of these two Factories is as under :

Bharat Electronics Ltd.

The Factory was initially set up in collaboration with M/s Campagnie General De Telegraphic Sans Fil, France. To meet the diversified users' requirements, the following Collaboration Agreements for the manufacture of transmitter or Trans-receivers have been concluded with foreign firms subsequently :—

(a) UK	..	M/s Mullard, M/s Plessey, M/s A. T. & E, and M/s Marconi
(b) West Germany		M/s Siemens and Halske
(c) Japan	..	M/s N. E. C.
(d) USA	..	M/s RCA and Bendix

2. The present paid up share capital of BEL which consists of an Equipment and a Component Division is Rs. 5.21 crores.

3. The total number of foreign technicians employed in the Factory at present is six. During 1966-67, the foreign exchange savings in the value of completed production of equipment worth Rs. 646 lakhs was Rs. 436 lakhs.

Hindustan Aeronautics Ltd. (Hyderabad Division) :

4. The Factory undertakes the manufacture of electronic equipment and has been established with the collaboration of Government of USSR. The capital cost of Hyderabad Electronic Factory is about Rs. 7.48 crores. It will not be in public interest to give other details.

Fuel for Indian Aircraft

7511. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the names of the Companies which supply fuel at various Indian Airforce Headquarters and the places where these Companies are functioning ;

(b) whether Government have received any complaints regarding the supply of inferior quality fuel by these Companies ; and

(c) if so, the action taken against them ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) The Indian Oil Company, Burmah Shell and ESSO are supplying fuel to the Indian Air Force. At most of the Stations the Indian Oil Company is supplying the fuel.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

आकाशवाणी केन्द्र, दरभंगा

7512. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 14 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 329 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा में आकाशवाणी केन्द्र के लिए वित्तीय मंजूरी इस बीच मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). जी नहीं। साधनों के अभाव में 1968-69 में दरभंगा में आकाशवाणी का एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

दरभंगा रेडियो स्टेशन

7513. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 20 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4511 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा में ट्रांसमीटर और स्टूडियो स्थापित करने के लिये उपयुक्त स्थान चुनने के लिये किये गये प्रारम्भिक सर्वेक्षण का ब्योरा क्या है ;

(ख) इस परियोजना पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वित्तीय कठिनाई के कारण ऐसी सभी परियोजनाओं को स्थगित किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनमें से कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की जा रही हैं और कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) दरभंगा में कुछ स्थान देखे गये हैं जो प्रारम्भिक परीक्षण पर ट्रांसमीटर और स्टूडियो लगाने के लिये उपयुक्त दिखाई देते हैं परन्तु वित्तीय स्वीकृति के अभाव में इस योजना पर आगे कार्रवाई स्थगित कर दी गई है।

(ख) इस योजना पर कुछ खर्चा लगभग 33 लाख रुपये है जिसमें से 16.5 लाख ट्रांसमीटर लगाने, 15.5 लाख रुपये स्टूडियो और कार्यालय पर तथा 1 लाख रुपये श्रवण सुविधाओं पर खर्च होने का अनुमान है।

(ग) तथा (घ). वित्तीय कठिनाई के कारण, 1968-69 में कई परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करना सम्भव न हो सका परन्तु अन्य बातों और आवश्यक साधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए इन पर फिर 1969-70 के बजट के लिए विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय संगीत तथा नाटक प्रभाग का क्षेत्रीय केन्द्र

7514. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 20 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4508 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब कार्य का लक्ष्य तेजी से बढ़ रहा है, तो स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित अथवा भर्ती न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) केन्द्रीय संगीत तथा नाटक प्रभाग के दरभंगा (बिहार) के क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा दिये गये 196 कार्यक्रमों में से कितने कार्यक्रम मैथिली भाषा में थे और कितने कार्यक्रम बिहार की अन्य भाषाओं में तथा हिन्दी में दिये गये थे और किस-किस तारीख को तथा कहां-कहां पर ; और

(ग) वर्ष 1968-69 में 600 कार्यक्रमों के लक्ष्य में से कितने कार्यक्रम मैथिली में आयोजित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) गीत और नाटक प्रभाग कलाकारों को नौकरी पर रखने से पहले कोई प्रशिक्षण नहीं देता अलबत्ता, अनुभवी कलाकारों को जो स्थानीय बोलियों और लोक रंजन के परम्परागत तरीकों से परिचित हों, भर्त्ती किया जाता है और आवश्यकतानुसार समय-समय पर उन्हें मार्ग निदर्शन और आदेश देकर विभिन्न कार्यक्रमों के लिए तैयार किया जाता है ।

(ख) 1967-68 में 194 कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 140 मैथिली में, 40 भोजपुरी में और 14 हिन्दी तथा अन्य बोलियों में थे । इनका (अंग्रेजी उत्तर के साथ देखें ।) विवरण संलग्न ब्योरे में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-905/68]**

(ग) लगभग 300 ।

गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारी

7515. **श्री बलराज मधोक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंग्रेजों ने कमीशन प्राप्त अधिकारियों, जो सभी अंग्रेज होते थे, और सैनिकों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिये गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पद्धति चलाई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सेना के भारतीयकरण से गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारी का संवर्ग अनावश्यक हो गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारी का संवर्ग पूर्णतया समाप्त करने के बारे में सुझाव दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सदस्य महोदय का इशारा शायद, कनिष्ठायुक्त अफसरों की प्रणाली की ओर है, जो पहले वायसराय कमीशंड अफसर कहलाते थे । यह पद सब-यूनिटों के कमांडर प्राप्त करने के पुरस्थापित किया गया था, न कि केवल सैनिकों और ब्रिटिश अफसरों के बीच सम्पर्क के तौर पर ।

(ख) जी नहीं । कनिष्ठायुक्त अफसर अब भी आवश्यक माने जाते हैं ।

(ग) तथा (घ). जे० सी० ओ० काडर की उपयोग्यता के प्रश्न पर समय-समय पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है, और फैसला किया गया है, कि इसे लाभकर कृत्य का अभिनय करना है, और इसे जारी रहना चाहिए ।

चलचित्रों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

7516. **श्री रामचरण :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में तैयार किये गये भारतीय चलचित्रों के निर्यात से गत दो वर्षों में कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

बिक्री के लिए कारतूस देना

7517. **श्री रामचरण :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय खुले बाजार में बिक्री के लिये 12 बोर के दुनाली बन्दूक के लगभग 25 लाख कारतूस देने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कारतूसों का थोक/फुटकर दाम कितना होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 12 बोर साटगन के लगभग 25 लाख कारतूस खुले बाजार के व्यापारियों को विमुक्त किये जा रहे हैं ।

(ख) प्रत्येक 100 कारतूसों का थोक क्रय मूल्य 81 रुपये और परचून क्रय मूल्य 90 रुपये है ।

अमरीका तथा रूस द्वारा भूमिगत परमाणु परीक्षण

7518. **श्री समर गुह :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) परमाणु परीक्षण रोक संधि किये जाने के बाद से अमरीका तथा रूस ने कितने भूमिगत परमाणु परीक्षण किये हैं ; और

(ख) क्या ये भूमिगत परीक्षण अन्य सभी हस्ताक्षरकर्त्ता देशों द्वारा परमाणु फिशन की वैज्ञानिक विधि तथा टैक्नोलोजी के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिये भूमिगत मास फिशन परीक्षणों के लिये समान अवसर प्रदान करते हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परमाणु परीक्षण रोक सन्धि के हस्ताक्षरकर्त्ता देशों के लिये यह आवश्यक नहीं कि वे उनके द्वारा किये गये भूमिगत परमाणु परीक्षणों के बारे में जानकारी दें । इसलिये, अमरीका तथा रूस द्वारा किये गये भूमिगत परीक्षणों के बारे में भारत सरकार को सरकारीतौर पर कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) जी, नहीं ।

Talks by Ex. M. Ps. In Rural Programme Broadcasts

7519. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the talks or speeches by the former Members of Lok Sabha are included in the rural programmes broadcast by the Stations of All India Radio ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir. Competent persons including some former Members of Lok Sabha who are conversant with rural and agricultural problems are invited to broadcast in the rural programmes from Stations of All India Radio.

(b) Does not arise.

नेपाल नागरिकता अधिनियम

7520. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) नेपाल नागरिकता अधिनियम अथवा नेपाल सरकार द्वारा पारित किये गये नियमों की वे मुख्य बातें क्या हैं, जिनका नेपाल में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर कुप्रभाव पड़ता है ;

(ख) क्या इस नये अधिनियम के उपबन्धों का भारतीय नागरिकों के नेपाल जाने या वहां बसने से सम्बन्धित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या यह अधिनियम किसी प्रकार से भारत में बसे गोरखाओं और उनके व्यवसाय पर कोई प्रतिबन्ध लगाता है ; और

(घ) क्या यह अधिनियम भारत सरकार से पूर्ण परामर्श के पश्चात् पारित किया गया था ?

प्रधान मन्त्री अणु शक्ति मन्त्री योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) नेपाल की सरकार द्वारा पास किये गये 1964 के नेपाल नागरिकता अधिनियम से और बाद में 1967 में जो संशोधन किया गया था, उससे नेपाल में भारतीय नागरिकों पर कोई असर नहीं पड़ता। नेपाल में रहने में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों पर 1950 में दोनों देशों के बीच सम्पन्न भारत-नेपाल शान्ति एवं मैत्री सन्धि की व्यवस्थाएं लागू होती हैं।

(ख) 1967 के संशोधन में नियमों एवं विनियमों को उदार बना दिया गया है जिससे कि ऐसे लोग सुविधापूर्वक नेपाल की नागरिकता ले सकें जो वर्षों से नेपाल में रह रहे हैं और अभी तक नेपाल की नागरिकता के लिए प्रार्थना नहीं की है। यह उल्लेखनीय है कि जो भारतीय राष्ट्रिक बसने के लिये नेपाल जाना चाहते हैं उन्हें नेपाल सरकार द्वारा समय-समय पर बताये गये विनियमों का पालन करना होता है। जब कभी ये विनियम दोनों देशों की सरकारों के बीच 1950 में सम्पन्न शान्ति एवं मैत्री सन्धि की व्यवस्थाओं से मेल नहीं खाते वहां सम्बद्ध मामले

की ओर नेपाल सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है और उसी का निर्णय अन्तिम होता है ।

(ग) गोरखा जाति के लोग नेपाल और भारत दोनों ही जगहों पर बसे हैं । जो गोरखा भारतीय नागरिक हैं और भारत में ही धन्धे से लगे हैं उन पर नेपाल द्वारा पास किये गये किसी कानून का कोई असर नहीं पड़ता ।

(घ) चूंकि नेपाल एक स्वायत्तता प्राप्त और स्वतन्त्र देश है, इसलिये इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि नेपाल सरकार ऐसे अधिनियमों के बारे में भारत सरकार से परामर्श करे जो प्रदेश में रहने वाले लोगों पर लागू होते हैं और जिनका भारतीय नागरिकों पर कोई असर नहीं पड़ता ।

Pension to Families of Military Personnel Killed During Conflicts with China and Pakistan

7521. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether pension is being paid to the families of the military personnel killed during the conflicts with China and Pakistan under the same rule ;

(b) if so, the rates at which the pension is being paid to the said families ;

(c) whether it is also a fact that the widows and children of the said killed personnel are being paid pension separately ; and

(d) if so, the rates at which pension is being paid to them ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). Yes, Sir. A statement is enclosed. **[Placed in Library. See No. L. T.-906/68]**

(c) No.

(d) Does not arise,

I. A. F. Helicopter Crash

7522. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri J. B. Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an I.A.F. helicopter met with an accident at Bareilly airport in Uttar Pradesh in March, 1968 ;

(b) whether the causes of the accident have been enquired into ; and

(c) if so, the result thereof?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). There was no I. A. F. Helicopter accident at Bareilly airport in March, 1968. However, there were two minor I.A.F. aircraft accidents at Bareilly during March 1968 and those are being investigated by Courts of Inquiry.

भारतीय सांख्यिकी संस्था कर्मचारी संगठन

7523. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकी संस्था कर्मचारी संगठन, कलकत्ता के एक प्रतिनिधि मण्डल ने, जो हाल ही में प्रधान मंत्री तथा कुछ केन्द्रीय मंत्रियों से मिला था, अनुरोध किया है कि इस संस्था में कम्प्यूटर की सेवा लागू करने का प्रस्ताव इस कारण त्याग दिया जाये, कि इसके कारण अनेक कर्मचारी बेकार हो जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग के आंकड़ों को व्यापक रूप से तथा शीघ्रतापूर्वक विश्लेषण के लिए परम्परागत सारणीकरण मशीनों की विद्युच्चालित संगणकों द्वारा अनुपूर्ति के निमित्त एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । वर्तमान कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय किया जायेगा और संगणकों के चालू होने पर जहां तक सम्भव है कर्मचारियों की छटनी नहीं की जायेगी ।

थुम्बा स्टेशन से दूसरे राकेट का छोड़ा जाना

7524. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 मार्च, 1968 को थुम्बा राकेट लांचिंग स्टेशन से दूसरा राकेट छोड़ा गया था ;

(ख) उस पर कितना खर्च आया है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस राकेट के छोड़ने पर भारत द्वारा किया गया इंक्रिमेंटल व्यय लगभग बारह हजार रुपये था ।

(ग) परीक्षण सफल रहा तथा उसके परिणाणों का मूल्यांकन किया जा रहा है ।

भारतीय प्रतिरक्षा संस्थानों में विदेशी लोग

7525. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रतिरक्षा संस्थानों में काम करने वाले विदेशियों की संख्या कितनी है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Land for Ex-Servicemen in Madhya Pradesh

7526. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether land has been allotted to all ex-Army Officers and Jawans in Madhya Pradesh ;

(b) if not, the number of persons still on the waiting list and the reasons for not allotting land to them so far ;

(c) whether some complaints have been received regarding land being uneven and uncultivable and priority not being given to them in the matter of allotment ; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) to (d). Information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the House when received.

Central Scheme for Madhya Pradesh

7527. **Shri G. C. Dixit :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no Central Scheme was included for Madhya Pradesh during the First and Second Five Year Plans ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative the places where the schemes were started ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) A statement is placed on the Table of the House.

Statement

S. Nos.	Name of the Scheme	Location
1.	Bhilai Steel Plant	Bhilai
2.	Heavy Electrical Plant	Bhopal
3.	Nepa Paper Mills	Nepa Nagar

Apprentices in Jabalpur Gun Factory

7528. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether some persons were recruited as Apprentices in Jabalpur Gun Factory, Madhya Pradesh, from 1964 to date under the Apprentices Act, 1961;

(b) the number of Apprentices who completed their training and were awarded certificates;

(c) whether all such Apprentices have been provided with employment; and

(c) if so, their number?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) Yes, Sir. 858 Trade Apprentices have been recruited since January, 1964.

(b) 354 apprentices have completed their training. Final Certificates have been issued to 15 trainees. Besides, Provisional Certificates have been issued to another 15 trainees. The final certificates are issued by the Director General, Employment and Training under the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation.

(c) No, Sir.

(d) 39 trainees were offered employment and absorbed. 68 trainees were switched over for training in the Artisan Training Scheme and will be absorbed if they qualify in the trade test on completion of this training.

टेलीविजन सम्बन्धी कामों के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी

7529. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति टेलीविजन में विभिन्न कार्य करने के लिये मिल सकते हैं परन्तु केवल इस कारण कि आकाशवाणी के कुछ इंजीनियरी कर्मचारी उन नौकरियों पर, जो उनके लिये उपयुक्त नहीं हैं, पहले ही कार्य कर रहे हैं; उनकी योग्यता का लाभ नहीं उठाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उचित नौकरियों पर उपयुक्त व्यक्तियों को लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). फिल्म इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया तथा इसी प्रकार के अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, जिनकी सेवायें टेलीविजन केन्द्र के विभिन्न कामों में उपयोग की जा सकती हैं, आवश्यकतानुसार समय-समय पर रखे गये हैं और रखे जा रहे हैं।

टेलीविजन केन्द्र में, कैमरसमैन और विजन मिक्सर्स के काम करने वाले इंजीनियरों के स्थान पर धीरे-धीरे फिल्म संस्थान के प्रशिक्षित व्यक्तियों को रखने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

टेलीविजन में विशेष प्रशिक्षण

7530. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से व्यक्तियों का जिन्होंने विदेशों में टेलीविजन में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था, टेलीविजन केन्द्र (आकाशवाणी), दिल्ली से अन्य स्थानों को तबादला किया जा रहा है जहां पर उनको दिये गये प्रशिक्षण का कोई लाभ नहीं उठाया जा रहा हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके प्रशिक्षण को टेलीविजन केन्द्र में लाभ न उठाने और उनका किसी अन्य स्थान पर तबादला करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) अब तक 43 अधिकारियों ने विदेशों में टेलीविजन का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है । इनमें से दो की मृत्यु हो गई है और 3 अधिकारियों ने आकाशवाणी की नौकरी छोड़ दी है और 2 दूसरी जगह प्रति नियुक्ति पर हैं । शेष 36 में से 13 दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र में काम कर रहे हैं और 7 टेलीविजन की योजना और विकास से सम्बन्धित हैं । उन सभी का, जो आकाशवाणी में हैं, टेलीविजन के काम में उपयोग किया जा रहा है ।

(ख) फिलहाल केवल एक टेलीविजन केन्द्र ही दिल्ली में काम कर रहा है, आकाशवाणी की चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र का विस्तार करने के अतिरिक्त, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में भी टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है । उम्मीद है कि जब ये केन्द्र स्थापित हो जायेंगे, हमारे पास उपलब्ध प्रशिक्षित इंजीनियरों की सेवाओं का पूरी तरह उपयोग किया जायेगा ।

Factory for Manufacturing Military Vehicles

7531. **Shri Ram Avatar Sharma**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government contemplate to set up a factory at Bhopal, Madhya Pradesh for manufacturing military vehicles ;

(b) If so, the time by which the construction of the said factory is likely to be started and completed ; and

(c) the estimated annual production of the factory ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) There is no proposal to set up a factory at Bhopal for manufacturing military vehicles. A Vehicles Factory is, however, being established at Jabalpur.

(b) The construction of the factory is in progress and it is expected that the factory would commence production during 1970.

(c) The proposed capacity is 13,200 vehicles annually, of these 6,000 will be Shaktiman 3-ton trucks and the balance Nissan vehicles.

बुलन्दशहर में सिनेमा के प्लाट

7532. **श्री राम चरण :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बुलन्दशहर की मेसर्स गोपी मल एण्ड कम्पनी को फरवरी, 1968 में वहां हुई प्रदर्शनी में चारों सिनेमा प्लाट लेने की अनुमति दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी को चारों सिनेमा प्लाट क्यों दिये गये जबकि इस कम्पनी का अपना कोई भी सिनेमा नहीं है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). यह मामला राज्य सरकार की सीमा के अन्तर्गत आता है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मेसर्स गोपीमल एण्ड कम्पनी को चार प्लाट उनको सबसे ऊंची बोली देने के आधार पर अलाट किये थे। चारों प्लाट बोली देने वाले लोगों की विशेष और निरुविरोध प्रार्थना पर इकट्ठे कर दिये गये थे। नये सिनेमा बनाने के लिए यह शर्त आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास पहले भी कोई सिनेमा हो।

कच्चाटीबू द्वीपसमूह में उत्सव

7533. **श्री मयाबन :** **श्री दण्डपाणि :**
श्री नारायणन् : **श्री सुब्रावेलू :**
श्री दीवीकन : **श्री चित्तिबाबू :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हाल ही में हुए कच्चाटीबू उत्सव में भारतीय यात्रियों के लिये पीने के जल तथा शिविर आदि की सुविधाओं की व्यवस्था के लिये भारत सरकार ने कोई प्रबंध किये थे;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय यात्रियों पर भारी प्रतिबंध लगाये थे; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी नहीं। पिछले वर्षों की तरह इस प्रकार के प्रबंध सामान्यतः स्वयं यात्री ही करते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के लिये हिन्दी की परीक्षा

7534. **श्री सुब्रावेलू :** **श्री दंडपाणि :**
श्री दीवीकन : **श्री नारायणन् :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्देश जारी किये हैं कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी

हिन्दी परीक्षा पास करने पर ही स्थायी बनाये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये निर्देश हाल ही में संशोधित राज-भाषा अधिनियम का उल्लंघन नहीं है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां। स्थायी किये जाने से पहले, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को हिन्दी में एक सरल परीक्षा पास करनी होती है।

(ख) जी, नहीं।

प्रतिरक्षा अधिकारियों के लिये किराये पर लिये गये भवन

7535. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा कार्यालयों के लिये सरकार के अलावा अन्य एजेंसियों से कौन-कौन से तथा कितने भवन किराये पर लिये गये हैं; और

(ख) प्रत्येक भवन के लिये पृथक-पृथक कितना वार्षिक किराया दिया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसन्धान तथा विकास संगठन में पदोन्नतियां

7536 **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अनुसंधान तथा विकास संगठन में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों में से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों के पदों पर विभागीय पदोन्नतियां विषय ग्रुपों की नियतन के आधार पर की जाती हैं तथा मिले-जुले रोस्टर के आधार पर नहीं की जाती हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके कारण कुछ विषयों में रखे गये बहुत से वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों को अन्य विषयों में रखे गए उनके सहयोगियों की तुलना में बहुत बाद में तरक्की मिलती है हालांकि उनके पास अधिक योग्यता तथा प्रयोगशाला का अनुभव होता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) कुछ विषयों में अनुसन्धान और विकास कार्यों में, अन्य की तुलना में तेजी से प्रसार हुआ है। फलस्वरूप ऐसे विषयों में पदोन्नतियां भी अधिकतर तेजी से हुई हैं।

अनुसन्धान तथा विकास संगठन

7537. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1962 से वर्षवार 17 विषय ग्रुपों में से प्रत्येक में अनुसंधान अधि-छात्रवृत्ति/प्रशिक्षु योजना सहित वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों में से विभागीय पदोन्नतियों तथा सीधी भर्ती द्वारा पृथक-पृथक उनके मंत्रालय के अनुसंधान तथा विकास संगठन में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों के कितने पद भरे गये ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : सूचना संलग्न अनुबंधों (क) और (ख) पर विवरणों में दी गई है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-907/68**] । नियमों के अन्तर्गत जूनियर साइंटिफिक अफसरों के ग्रेड में 50 प्रतिशत तक रिक्त स्थान पदोन्नति द्वारा पूर्ण किए जा सकते हैं। पदोन्नत होने वालों की संख्या अनुमेय संख्या से कम रही है क्योंकि अधिकतर रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट एस्टेब्लिश्मेंट्स लेबारेटरियां 1962-64 के बीच अस्तित्व में आईं, और पदोन्नति के लिए विभागीय उम्मीदवार प्राप्य|अर्ह न थे।

Draft Fourth Five Year Plan

7538. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of the National Development Council was convened in March, 1968 for the purpose of laying down certain guidelines for the preparation of the Draft of the Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the decisions taken in that meeting ; and

(c) the time by which the draft of the Fourth Plan would be ready ?

Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir. The National Development Council is expected to meet in May, 1968.

(b) Does not arise.

(c) The draft Fourth Plan is likely to be ready by the end of this year.

चलचित्र वित्त निगम

7539. **श्री गाडिलिंगन गौड :**

श्री अ० दीपा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलचित्र तैयार करने के लिये ऋण देने के सम्बन्ध में चलचित्र वित्त निगम इस समय किस प्रक्रिया का अनुसरण कर रहा है;

(ख) क्या चलचित्र निर्माताओं ने ऋण देने की वर्तमान प्रक्रिया की कड़ी आलोचना की है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रक्रिया में परिवर्तन करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और क्या उससे चलचित्र निर्माताओं की आवश्यकतायें पूरी होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) फिल्म वित्त निगम से ऋण के लिए आवेदन-पत्रों पर निगम के उप-नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, सभी आवेदन-पत्र निर्धारित फार्म में, आवेदन-पत्र फीस, संग्रह एवं सेवा प्रभार, फिल्म की रूप रेखा और विस्तृत स्क्रिप्ट के साथ प्रस्तुत करने होते हैं। आवेदन-पत्र की आरंभिक जांच किए जाने के बाद, स्क्रिप्ट, कथा, बजट, रिकार्ड और निर्माता, निर्देशक, कलाकार आदि के काम की व्यावसायिक दृष्टि से जांच की जाती है। तकनीकी सलाहकार की रिपोर्ट पर चार सदस्यीय स्क्रिप्ट समिति, जो उन लोगों में से लिये जाते हैं जिनको फिल्म क्षेत्र का ज्ञान है और अनुभव रखते हैं, आगे विचार करती है और वह आवेदन-पत्र के गुणों, ऋण, देने की राशि, आदि पर अपने विचार देती है। अंत में वे सभी आवेदन-पत्र, जो निगम की राय में ऋण के लिए पात्रता रखते हों, निदेशकों के बोर्ड के सामने उनके निर्णय के लिए रख दिए जाते हैं।

बोर्ड द्वारा ऋण मंजूर किए जाने के बाद, आवश्यक औपचारिकताएं जैसे ऋण करार का भरना, ऋण के लिए जहां आवश्यक हो वहां जमानत, आदि पूरी की जाती हैं। ऋण की प्रत्येक किश्त को देने से पहले, निर्माता को निगम की पूर्व स्वीकृति के लिए शूटिंग कार्यक्रम या रिकार्डिंग कार्य, जिस पर ऋण की किश्त खर्च की जानी है, के खर्चे का विस्तृतसेट-वार ब्योरा प्रस्तुत करना होता है। आम तौर पर चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित सही लेखा भी जिसमें पिछली प्रत्येक किश्त का इस्तेमाल और फिल्म की शूटिंग के काम की प्रगति दिखाई गई हो, अगली किश्त देने से पहले दिखाना होता है।

(ख) से (घ). ऋण की किश्तें देने के लिए अपनाई जाने वाली, प्रक्रिया और पूरी की जाने वाली आवश्यक बातों के बारे में शिकायतें/आलोचनाएं हुई हैं। उठाई गई कुछ बातों पर अच्छी तरह विचार किया गया और जहां वांछनीय हुआ उपनियमों में संशोधन किया गया। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये, अनुभव के आधार पर यदि आवश्यक हुआ तो फिर संशोधन किया जायेगा।

लंदन में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण

7541. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि महात्मा गांधी की कांसे की मूर्ति का अनावरण समारोह आगामी मई महीने के मध्य में लंदन में आयोजित किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो उस मूर्ति की लागत किसने वहन की है;

(ग) क्या उस समारोह में भाग लेने के लिये भारत सरकार को आमंत्रित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां। 17 मई 1968 को।

(ख) ब्रिटिश सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 4,000 पौंड़ नियत किए थे और भारत के लोगों ने 2,600 पौंड़ चंदे में दिए थे। स्थानीय 'बौरो कौंसिल' ने भी इसके लिए लंदन के 'टेवीस्टोक स्क्वेअर' में जमीन दान में दी है।

(ग) और (घ). इस अवसर के लिए हमारे हाई कमिश्नर को आमंत्रित किया गया है और उनसे भाषण देने का भी अनुरोध किया गया है, वे भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करेंगे।

परमाणु बम लेकर भारत के ऊपर से उड़ने वाले विमान

7542. **श्री स्वैल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या परमाणु बम लेकर चलने वाले विदेशी विमानों की भारत के ऊपर से उड़कर जाने की आदत बन गई है ;

(ख) क्या सरकार ने किसी समय किसी देश को इसका विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो विरोध का क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं। हमें इसकी जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

योजना आयोग द्वारा काम का वर्गीकरण

7543. **श्री क० लकप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल में काम का कोई वर्गीकरण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत, योजना आयोग में कार्यात्मक स्तरों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश से है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने आयोजन तंत्र सम्बन्धी अपने अन्तिम प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि योजना की

तैयारी से सम्बन्धित विभाग में योजना आयोग में सदस्य से नीचे केवल तीन कार्यात्मक स्तर होने चाहिए। इनमें सलाहकार, विषय विशेषज्ञ और विश्लेषक हों। सरकार को यह सिफारिश स्वीकार्य है।

योजना आयोग के अन्तर्गत प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्थाएं

7544. **श्री क० लकप्पा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) योजना आयोग के परामर्श पर देश में पिछले दस वर्षों में, राज्यवार तथा विषयवार, कितनी प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थायें खोली गई हैं;

(ख) उनके क्या परिणाम निकले; और

(ग) योजना आयोग की अनुसन्धान कार्यक्रम समिति द्वारा कितनी अनुसन्धान योजनायें शुरू की गईं और उनका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-908/68**]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की शौर्य परम्परा

7545. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों की विभिन्न अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की रण-शौर्य परम्पराओं का कोई अनुमान अथवा सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) क्या ऐसे अनुमान के लिये विभिन्न जनमत संग्रह अभियानों के दौरान संकलित की गई नस्लों सम्बन्धी वैज्ञानिक टिप्पणियों तथा अन्य ऐतिहासिक तथ्यों की जांच की गई थी ; और

(ग) सशस्त्र सेनाओं की भर्ती संबंधी नीति का वैज्ञानीकरण करने के लिये क्या ऐसा कोई अध्ययन करने का प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। सरकार की वर्तमान नीति ऐसी है कि भर्ती में उदारता बरती जाए। लड़ाका और गैर-लड़ाका जातियों के बीच भेदभाव, कि जो स्वतंत्रता से पहले विद्यमान था, हटा दिया गया है। सशस्त्र सेनाओं के राष्ट्रीय चरित्र को बनाए रखने के लिये जाति, विश्वास, सम्प्रदाय, धर्म रिहाईश के प्रदेश और क्षेत्र का विचार किए बिना अब भर्ती सभी श्रेणिणों के लिए खुली है। जहां संभव हो सके विद्यमान जाति के आधार पर संविरचना को क्रमश: समाप्त किया

जा रहा है । तदपि, सभी भर्ती करने वाले अफसरों को निर्देशन जारी किए गये हैं कि, अन्य बातें समान होने पर तरजीह अनुसूचित जातियों/वर्गों के व्यक्तियों को दी जाए ।

भारत-पाकिस्तान वार्ता

7546. **श्री न० कु० सोंधी :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच हाल में कुछ मामलों पर जिसमें दोनों देशों के बीच दूर-संचार सेवा शामिल है, वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या विचार-विमर्श किया गया और उसका क्या परिणाम रहा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). हाल में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच दो बैठकें हुई थीं ।

(1) कच्छ न्यायाधिकरण फैसले के अनुसार गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान के सीमांकन की पद्धति के बारे में विचार-विमर्श और निर्णय करने के लिए 4 से 6 मार्च, 1968 तक नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी । सीमांकन कार्य के तकनीकी पहलुओं पर कई निर्णय लिये गये । तारांकित प्रश्न सं० 793 का उत्तर देते हुई 20 मार्च, 1968 को सदन की मेज पर इस बैठक की कार्रवाइयों की एक प्रति रख दी गई थी ।

(2) भारत और पाकिस्तान के दूरसंचार प्रशासन विभागों के प्रतिनिधियों की एक बैठक 30 मार्च से 2 अप्रैल, 1968 तक नई दिल्ली में हुई । कराची में 11 अक्तूबर, 1967 को जिस करार पर हस्ताक्षर हुए थे, उसको दृष्टि में रखते हुए इस बैठक में दूरसंचार सेवाओं की कार्य-प्रणाली पर पुनर्विचार किया गया और इन सेवाओं में और अधिक सुधार करने के उपायों पर भी विचार किया गया । दूरसंचार सेवाओं के संबंध में वित्तीय व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया गया । इस करार पर अभी भारत और पाकिस्तान सरकारों से अनुमोदन प्राप्त होना बाकी है । इस बैठक की प्रेस विज्ञप्ति को संचार मंत्री ने 2 अप्रैल, 1968 को लोकसभा में पढ़कर सुना दिया था ।

जम्मू और काश्मीर में सैनिक इन्जीनियरी सेवा के असैनिक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

7547. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा कश्मीर में सैनिक इंजीनियरी सेवा के असैनिक

कर्मचारियों ने हड़ताल करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि सरकार द्वारा उनकी शिकायतें दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० रं० कृष्ण) : (क) तथा (ख). जम्मू तथा काश्मीर एम० ई० एस० कर्मचारी संघ ने 15 मई, 1968 को सांकेतिक हड़ताल करने की धमकी दी है, अगर फील्ड सेवा रियायतों को बहाल करने की मांग पूरी न की गई।

(ग) जैसा की लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 544, दिनांक 27 मार्च, 1968 के उत्तर में बताया गया है असैनिक रक्षा कर्मचारियों को लड़ाका सेविवर्ग के देय रियायतों के सादृश्य के आधार पर फील्ड सेवा रियायतें प्रदान की गई थीं। लड़ाका सेविवर्ग के संबंध में यह रियायतें हटा लेने पर, रक्षा असैनिकों के संबंध में भी वह हटा ली गई थीं, और उनके साथ ही साधारण आदेशों के अन्तर्गत उन पर लागू अन्य कई रियायतें लागू कर दी गई हैं।

वृत्त-चित्र

7548 **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म डिवीजन द्वारा 1967-68 में कितने वृत्त-चित्र बनाये गये और उनके नाम क्या हैं;

(ख) उनमें से कितने निजी चलचित्र निर्माताओं के माध्यम से बनाये गये हैं; और

(ग) फिल्म डिवीजन के लिये चलचित्र बनाने के लिए निजी चलचित्र निर्माताओं को चुनने की प्रक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 85. एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है (अंग्रेजी उत्तर के साथ देखें) **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-909/68]**

(ख) और (ग) .23. फिल्म डिवीजन स्वीकृत निजी फिल्म निर्माताओं का एक पैनल रखता है। इस पैनल का हर साल पुनर्विलोकन किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो एक समिति की सिफारिशों पर (जिसमें फिल्म से सम्बन्धित एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति भी होता है) इसमें संशोधित किया जाताहै। समिति निर्माताओं की सिफारिश उनके साधनों, शार्ट फिल्म निर्माण में उनका अनुभव और सरकार का उनके कार्य स्तर से परिचय के आधार पर करती है। ऐसी फिल्मों को बनाने के लिये जिसमें खास टैकनीक की जरूरत नहीं है, फिल्म डिवीजन स्वीकृत पैनल में से सभी निर्माताओं से टेन्डर आमन्त्रित करता है। ऐसी फिल्मों के लिये जिसमें खास हैन्डलिंग की जरूरत है, पैनल में से कुछ चुने निर्माताओं से टेन्डर आमन्त्रित किये जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में कुछ फिल्में

बातचीत के आधार पर पैनल से बाहर भी, प्रसिद्ध निर्माताओं को, उनके झुकाव, स्तर आदि को देखते हुए बनाने के लिये दे दी जाती हैं ।

'प्रेम पुजारी' चलचित्र तैयार करना

7549. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में 'प्रेम पुजारी' नामक चलचित्र तैयार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त चलचित्र बनाने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की स्वीकृति दी गई है; और

(ग) उक्त चलचित्र के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). विदेश में शूटिंग के लिए विदेशी मुद्रा के रिलीज करने के बारे में निर्माता की प्रार्थना अभी सरकार के विचाराधीन है ।

नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

7550. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली में हाल ही में एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये की गई व्यवस्था का ब्योरा क्या है और कौन-कौन से देश इस समारोह में भाग लेने के लिये तैयार हो गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां; किन्तु बहुत सी कठिनाइयों को दूर करना है ।

(ख) ब्योरा अभी तैयार नहीं किया गया है ।

आपात कमीशन-प्राप्त अधिकारी

7551. **श्री तुलशीदास जाधव :**
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने व्यक्तियों को आपात कमीशन दिया गया; और

(ख) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, जो प्रशिक्षित तथा अनुभवी हैं, सेवा-मुक्त करने तथा अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों की, जो न तो प्रशिक्षित हैं और न ही अनुभवी हैं, भर्ती करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-910/68]

(ख) उन आपाती-कमीशन-प्राप्त अफसरों की विमुक्ति, कि जो स्थायी कमीशन दिये जाने के लिये उपयुक्त नहीं पाए गए, निम्न कारणोंवश अनिवार्य हो गई है :

(1) उस समय सेना की आवश्यकता को पूरा करने के लिये चयन-स्तर को घटाकर आपाती-कमीशन प्राप्य-अफसरों को आपाती-कमीशनें प्रदान की गई थीं।

(2) इन अफसरों में से कुछ एक उच्चतर आयु या निम्न चिकित्सा श्रेणी के होने के कारण स्थायी कमीशन के लिए अर्ह नहीं हैं।

(3) इन सभी अफसरों को रख लेने से न केवल सेना की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि अफसरी काडर के सेवा ढांचे में असन्तुलन भी पैदा हो जायेगा।

सेना को तरुण और दक्ष बनाए रखने के लिये तथा अफसरों के नियमित रिजर्व के निर्माण के लिये जवान अफसरों को नियमित और निरन्तर प्रवाह बनाए रखने के लिये अल्पकालीन सेवा कमीशन पुरस्थापित की गई है।

समाज विज्ञान अनुसन्धान समिति

7552. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **प्रधान मन्त्री** 16 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2238 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) समिति ने कब अपना प्रतिवेदन पेश किया;

(ख) इस समिति के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सिफारिशों को विशेषकर संगठनात्मक ढांचे के बारे में कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर अथवा संसद् पुस्तकालय में रखी गई थी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) समाज विज्ञान अनुसंधान समिति ने अभी अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

विदेश स्थित भारतीय राजदूतों के लिये मार्गदर्शी नियम

7553. **श्री क० लकप्पा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पिल्ले समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश पर विदेश स्थित भारतीय राजदूतों को कोई मार्गदर्शी नियम जारी किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). भारतीय विदेश सेवा के संबंध में समिति (पिल्ले समिति) की सिफारिशों का पालन करते हुए विदेश स्थित भारतीय प्रतिनिधियों को कई निदेश और अनुदेश जारी किये गये हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार के पहलुओं से भी संबंध रखते हैं जैसे कौंसली मामलों पर ध्यान देना, शिष्टाचार के मानदंडों और जनसाधारण के साथ व्यवहार करने की पद्धतियों में सुधार करना, संसद् सदस्यों समेत गण्यमान्य व्यक्तियों का स्वागत करना और उनको सुविधाएं प्रदान करना, विदेशों के साथ हमारे आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों का संचालन करना और विदेशों में प्रचार करना ।

Promotion of Inspectors in National Sample Survey

7555. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the basis of promoting inspectors in the National Sample Survey to the post of Assistant Superintendent and whether any relaxation is given to scheduled castes people in the matter of promotion in view of their representation being too small in the Department ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The posts of Assistant Superintendents in the National Sample Survey are filled partly by direct recruitment and partly by promotion on the basis of selection on merit. Posts are reserved in favour of Scheduled Castes, in the direct recruitment quota ; and in the promotion quota, cases of scheduled caste candidates are considered sympathetically.

चलचित्रों का निर्यात

7556. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित निम्नलिखित चलचित्र पिछले पांच वर्षों में विदेश भेजे गये थे, (एक) लव इन टोकियो, (दो) आकली, (तीन) गंगा जमुना, (चार) ज्वेल थीफ, (पांच) अमन, (छ) वक्त ;

(ख) यदि हां, तो किस वर्ष में तथा उपरोक्त अवधि में किस देश में यह चलचित्र प्रदर्शित किये गये थे;

(ग) उपरोक्त अवधि में इन चलचित्रों को यदि कोई विदेशी मुद्रा दी गई थी, तो कितनी;

(घ) इन फिल्मों के निर्माताओं के नाम तथा पूरे पते क्या हैं और क्या इन फिल्म निर्माताओं ने इन चलचित्रों को निजीतौर पर भेजा है अथवा सरकार द्वारा उन्हें भेजा गया था; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

अमरीकी सैनिक दल की यात्रा

7557. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1968 के पहले सप्ताह में एक अमरीकी सैनिक दल भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उस दल ने भारतीय सेना के तीनों सर्विस चीफों से बातचीत की थी, और यदि हां, तो किन-किन विषयों पर बातचीत हुई थी ; और

(घ) यह यात्रा कहां तक लाभदायक सिद्ध हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). यूनाईटिड स्टेट्स नेशनल बार कालिज के निर्देशन कर्मचारिगण और अफसर छात्रों के एक दल ने 4 से 9 अप्रैल तक भारत का भ्रमण किया था । उनका भ्रमण उनके भ्रमण कार्यक्रम में विभिन्न देशों के अध्ययन भ्रमण के सम्बन्ध में था। दल ने रक्षा मंत्री और सेवाध्यक्षों से सदभावना भेंटें की थीं । व्यापक रुचि के विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किए गए थे ।

विदेश भेजी गई फिल्मों के लिये विदेशी मुद्रा

7558. **श्री जुगल मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) साजिश, (दो) सफरी, (तीन) इन्टरनेशनल कुक, (चार) गोल्ड मेडल, (पांच) मेरा नाम जोकर, (छः) माई लव चलचित्रों की विदेशों में शूटिंग करने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ;

(ख) इन चित्रों के निर्माताओं के नाम तथा पते क्या हैं और इन चलचित्रों की किस तारीख को तथा किस वर्ग में विदेशी मुद्रा दी गई है ;

(ग) क्या इस विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें आई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि भारत में निर्मित चलचित्रों की विदेशों में शूटिंग करने के लिये कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). प्रत्येक मामले में विदेश में शूटिंग करने के लिए दी गई विदेशी मुद्रा की राशि इस प्रकार है :

फिल्म का नाम	निर्माता का नाम तथा पता	स्वीकृत राशि	जिस तारीख को राशि रिलीज की गई
1. सफरी	मैसर्स पुंच्छे आर्ट्स इन्टरनेशनल सेकसारिया बगेली, जुहू चर्च, जुहू, बम्बई-54।	8,000 पौंड (इसमें से 500 पौंड रिलीज किये गये) निर्माणाधीन फिल्म	2-3-68
2. माई लव	मैसर्स अतूल आर्ट्स, मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्ज, पैडर रोड, बम्बई-26	50,000 रुपये (इसमें जितनी राशि रिलीज की गई, वह इस प्रकार है):	
		150 पौंड	7- 4-66
		476 पौंड	15-10-66
		476 पौंड	11-11-66
		1,102 पौंड	
3. मेरा नाम जोकर	मैसर्स० आर० के० फिल्म, चैम्बुर, बम्बई।	4 लाख की अनुमानित आवश्यकता की स्वीकृत दे दी गई है। इसमें से, 1.5 लाख रुपये अप्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा होगी और शेष 2.5 लाख रुपये एअर इण्डिया को रुपयों में दी जाने वाली वह राशि होगी जो विदेशी व्यक्तियों के भारत आने का हवाई जहाज का भाड़ा होगा ।	3-4-68

फिर भी निर्माता को 9,200 रुपये की राशि रिलीज की गई है ताकि निर्माता व्यापार और बातचीत के लिये रूस जा सके। (रिलीज की गई राशि 9200 रुपये)।

साजिश, इन्टरनेशनल कुक और गोल्ड मेडल के निर्माताओं को कोई भी विदेशी मुद्रा नहीं दी गई है।

(ग) विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं मिली है। ताहम, दी लव के निर्माताओं मैसर्स अतूल आर्ट्स, बम्बई ने गारन्टी-बान्ड की शर्तों के अनुसार तय की गई विदेशी मुद्रा नहीं लौटाई है और उनके विरुद्ध कार्यवाही चल रही है।

(घ) जी, नहीं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अमरीका के स्थायी वीजा-प्राप्त भारतीयों को वियतनाम युद्ध में अमरीकी सेना में भर्ती होने पर मजबूर करने का संयुक्त राष्ट्र अमरीका का कथित फैसला

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, हमें इस विशेष ध्यान दिलाने सम्बन्धी सूचना के बारे में आज सुबह पता लगा है जबकि 'टाइम्स आफ इंडिया' में इस बारे में सूचना दी हुई है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि यह सूचना सदस्यों को परिचालित किये जाने से पूर्व प्रेस में कैसे पहुंच गई और कम से कम उस सदस्य को जिसके नाम में यह प्रस्ताव है, इस बारे में पहले बताया जाना चाहिए था, अन्यथा सदस्यों से पहले प्रेस को मालूम हो जाता है।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : The Hon. Member is correct in suggesting that in future the members in whose names the Call Attention Notice stands should be informed in advance.

अध्यक्ष महोदय : आपका कहना ठीक है। मैंने इस प्रस्ताव को कल दोपहर बाद स्वीकृत किया था। मुझे लगभग आधे दर्जन प्रस्ताव नित्य मिलते हैं, मैं उन्हें तुरन्त स्वीकार नहीं करता। मैं उन्हें सम्बन्धित मंत्रियों के पास भेजता हूं और 24 घण्टे का उन्हें समय देता हूं। कल शाम इस पर मैंने स्वीकृति दी थी। सदस्य महोदय को सूचना देने में शायद कुछ विलम्ब हो गया।

श्री लकप्पा (तुमकुर) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देवें ।

"अमरीका के स्थायी बीजा प्राप्त भारतीयों को वियतनाम युद्ध में अमरीकी सेना में भर्ती होने के लिये मजबूर करने का अमरीका का कथित फैसला ।"

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : अमरीकी कानून के अनुसार 18 से 26 वर्ष के नीचे की आयु के सभी विदेशी जो एक वर्ष से अधिक समय तक अमरीका में रह चुके हैं और जो बीजा की किसी विशिष्ट श्रेणी तथा छात्रों के अन्तर्गत नहीं आते, उन्हें अमरीकी सेना में भर्ती होने के लिये कहा जा सकता है । जब कोई विदेशी अमरीका का बीजा लेता है तो उसे एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं जिसमें वह अन्य बातों के अलावा यह वचन देता है कि वह आवश्यकता पड़ने पर अमरीकी सेना में भर्ती होने के लिये तैयार है । इसलिये स्थायी बीजा प्राप्त जो भारतीय अमरीका में हैं, उन्हें अमरीकी सेना में भर्ती होने के लिये मजबूर किया जा सकता है । यदि वे अमरीकी सेना में भर्ती होना नहीं चाहते, तो वे अमरीका छोड़ने के लिये स्वतंत्र हैं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार, अमरीकी सैलेक्टिव सर्विस एक्ट के अन्तर्गत कुछ भारतीय राष्ट्रजनों को भर्ती के लिये बुलाने के नोटिस दिये गये इनमें से किसी भारतीय ने वियतनाम युद्ध में भाग लिया है अथवा नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं है ।

श्री लकप्पा : क्या अमरीका में रह रहे भारतीयों को जो विभिन्न व्यवसाय में तथा प्रोफेसर्स, डाक्टर्स, इंजीनियर्स, तकनीशियन हैं, वियतनाम युद्ध के लिये जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या वहां स्थित भारतीय दूतावास ने इस बारे में जानकारी प्राप्त की है ? क्या भारत सरकार इस बारे में विस्तृत जांच करेगी और वक्तव्य देगी ?

श्री ब० रा० भगत : वाशिंगटन स्थित हमारे दूतावास में अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 9 भारतीय राष्ट्रजनों को अमरीकी सेना में जबरदस्ती भर्ती होने के लिये बुलाया गया है । जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि उनमें से किसी ने युद्ध में भाग लिया है अथवा नहीं ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : The matter is basically related to the grant of citizenship. Foreign Nationals have to reside in America for a period exceeding one year, are required to take permanent visa, but they still retain their original citizenship. Those of Indian Nationals who have been drafted into the U. S. Army hold Indian passports and are Indian citizens. Under this U. S. selective services Act, a situation may arise when an Indian National might be forced to fight against his own country. I want to know from the Government whether they are going to any international court of law with this issue of original citizenship or they are taking up this matter at any other level.

Shri B. R. Bhagat : No question of original citizenship involved in it and there is no need to raise this matter at any international level. There is no obligaion on them to join the U. S. Army. Those who have been residing there and are holding permanent visa are free to leave that country if they do not want to join their army. When they themselves have signed a declaration that they are liable to be drafted for armed services, I do not know what help the Government can give. Besides, after taking a permanent visa, one gets almost all the rights of citizenship of that country.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Sir, I think the Hon. Minister is referring to 'Immigration visa' when he says 'permanent visa' because nothing of this name exists in U. S. A. There are two kinds of visas in the U. S. A. viz. Visitation visa and Immigration visa. There who want to accept the citizenship of that country are required to apply for the latter and after a certain period of 4 or 5 years, they are granted citizenship. This is a sort of stepping stone, and the holders of this visa get all the rights of citizenship with the exception of the one to contest elections etc. Now my question is whether these call-up notices have been given to Indian nationals only or persons from other countries have also been included. My second question is whether the Government proposed to cancel the visas or passports of such Indian Nationals as have applied for the citizenship of the U. S. A. so that it could be made clear and known to them that we have no obligation to retain their citizenship if they chose to accept the citizenship of that country.

Shri B. R. Bhagat : Sir, I have no objection to agree with the Hon. Member that there are two kinds of visas in the U. S. A. But as he himself had written permanent visa in his call Attention Notice, I was refering it as 'permanent visa' instead of 'Immigration Visa'. I think the Hon. Member has now corrected himself.

जहां तक अमरीकी सेना में भर्ती होने के लिये मजबूर किये जाने के प्रश्न का सम्बन्ध है, केवल भारतीयों के साथ ही ऐसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है अपितु सभी देशों के लोगों को बुलाया जा रहा है ।

जहां तक नागरिकता को बनाये रखने अथवा छीनने का प्रश्न है, ऐसा करने के लिये कार्यपालिका को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है । संसद द्वारा पारित इस देश के नागरिकता अधिनियम में व्यवस्था है कि जब तक कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग नहीं करता अथवा वह कोई अन्य नागरिकता ग्रहण नहीं करता, कोई व्यक्ति उसकी नागरिकता नहीं छीन सकता ।

जहां तक दायित्व का सवाल है, जब उन्होंने खुद घोषणा-पत्र पर स्वेच्छा से तथा जान-बूझकर हस्ताक्षर किये हैं और वचन दिया है कि वे आवश्यकता पड़ने पर अमरीकी सेना में भर्ती होने के लिये तैयार हैं, तो मैं नहीं जानता सरकार अथवा वहां स्थित दूतावास क्या मदद दे सकता है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वृत्तचित्रों तथा समाचारदर्शनों के बारे में प्रसारण तथा सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर निर्णय

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : मैं वृत्तचित्रों तथा समाचार दर्शनों के बारे में प्रसारण तथा सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति की सत्रह अन्य सिफारिशों पर किये गये निर्णयों को बताने वाले दूसरे विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०**-901/68]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

उनतीसवें प्रतिवेदन तथा पैंतालीसवें प्रतिवेदन से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही-सारांश

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या (नन्द्याल) : मैं (एक) रेलवे मंत्रालय, वाणिज्यिक मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित विषय रेलवे कर्मचारियों के लिये स्वीकृत यात्रा सुविधाओं के बारे में उनतीसवें प्रतिवेदन और (दो) वित्त मंत्रालय-प्रतिरक्षा आय-व्ययक की समीक्षा-राजस्व मांगों के समेकन के बारे में पैंतालीसवें प्रतिवेदन से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही-सारांशों की प्रत्येक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

अठाइसवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का अठाइसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सत्रहवां प्रतिवेदन

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से जो 16 अप्रैल, 1968 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

"That the House agrees with the Seventeenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 16th April, 1968."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से, जो 16 अप्रैल, 1968 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

"That the House agrees with the Seventeenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 16th April, 1968."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सामान्य आयव्ययक, 1968-69—अनुदानों की मांगें—जारी

GENERAL BUDGET, 1968-69—DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों पर और आगे विचार करेगी। कल श्री पें० वेंकटासुब्बय्या बोल रहे थे ; वह अब अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या (नन्द्याल) : आकाशवाणी ने यद्यपि अपने ग्रामीण कार्यक्रमों में तथा उन कार्यक्रमों में जो सीधे किसानों तक पहुंचते हैं, कुछ सुधार अवश्य किया है फिर भी कुछ मामलों में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। चौथे आम चुनावों के बाद कुछ ऐसी समस्यायें पैदा हुई हैं जिनसे निपटने के लिये राष्ट्रीय सहमति तथा सामूहिक रूप से विचार करने की जरूरत है। दूसरा पहलू साम्प्रदायिक दंगों का है जो धर्म निरपेक्षता तथा राज्य क्षेत्रीय अखण्डता के लिए खतरनाक हैं, इन मामलों में आकाशवाणी का यह कर्तव्य है कि वह इन्हें जनता के समक्ष सही ढंग से प्रस्तुत करे। इन मामलों के सम्बन्ध में आकाशवाणी का कार्य उतना अच्छा नहीं रहा है।

सामयिक समस्याओं पर आकाशवाणी की वार्ताओं में हम प्रायः उन्हीं लोगों को सुनते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों ने उस पर एकाधिकार जमा लिया है। परिवार नियोजन से लेकर वैदेशिक-कार्य तक के कार्यक्रमों के लिये हमेशा उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है और किसी भी ऐसे विख्यात व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जाता जो इन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाल सके। क्या आकाशवाणी ने इन महत्वपूर्ण समस्याओं पर अपनी राय व्यक्त करने के लिये देश के बड़े-बड़े तथा प्रमुख दार्शनिकों, शिक्षा विशारदों, राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों आदि को बुलाने का कभी प्रयत्न किया है? आज देश के सामने जटिल राजनैतिक तथा सामाजिक समस्याएं हैं—साम्प्रदायिक सामन्जस्य की समस्या है, राज्यक्षेत्रीय अखण्डता की समस्या है, काश्मीर की समस्या है ; इसी तरह कई समस्याएं हैं, किन्तु आकाशवाणी ने इस दिशा में—अर्थात् इन मामलों पर लोगों के समक्ष सही तथा रचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए क्या किया? आकाशवाणी

के प्रसारणों में, काश्मीर के सम्बन्ध में हमारी नीति को एक विशेष झुकाव दिया गया है जो किसी व्यक्ति विशेष को ही नायक बना देगी, चाहे वह हमारे आदर्शों और सिद्धान्तों के प्रतिकूल ही क्यों न हो। मंत्री महोदय को इस मामले में छानबीन करनी चाहिए।

समाचार प्रसारणों और 'टुडे इन पार्लियामेन्ट' और अन्य विषयों के टीकाकारों के चयन के लिये, पत्रकारों तथा अन्य सुप्रसिद्ध लोगों की एक पदालि बनायी जानी चाहिए ताकि वह कुछ ही लोगों का एकाधिकार न बन जाये।

आकाशवाणी से समाचारों के प्रसारण में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की अपेक्षा विरोधी दल के सदस्यों की आवाज को अधिक महत्व दिया जाता है, यह रवैया ठीक नहीं है। संसदीय कार्य-वाही वृत्तान्त में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले सभी सदस्यों के साथ न्यायपूर्ण बर्ताव किया जाना चाहिए।

जहां तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, 'वन्दना' स्तर पूरी तरह गिर गया है। इस कार्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है। 'वन्दना' में ऐसे भक्ति गीत सुनाये जाने चाहिए जो केवल कर्ण प्रिय ही नहीं अपितु हृदय को प्रभावित करने वाले भी हों।

जहां तक आकाशवाणी के संगठनात्मक पहलू का प्रश्न है, वह नौकरशाही का अड्डा है। इस संस्था में राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाले तथा योग्य और प्रसिद्ध व्यक्तियों को लिया जाना चाहिये। कर्मचारियों के चयन का एकमात्र आधार तथा कसौटी योग्यता होनी चाहिए। लेकिन इस सम्बन्ध में जहां तक मेरी जानकारी है, वहां पर पक्षपात ज्यादा होता है। इस मामले में अच्छी तरह विचार करने और स्थिति में सुधार करने की जरूरत है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि आकाशवाणी के लिये एक स्वायत्तशासी निगम होना चाहिए। परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हमारे जैसे विकासशील देश के लिए यह जरूरी है कि इस पर संसद् द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जाए या इसके लिये एक ऐसी सांविधिक समिति बनाई जाये जो इसके कामों की बराबर जांच करती रहे और समय-समय पर सुझाव देती रहे ताकि वह हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल कार्य कर सके।

जहां तक वर्तमान सलाहकार समितियों का सम्बन्ध है मैंने उनके नामों की एक लम्बी सूची देखी है। ऐसी विभिन्न सलाहकार समितियों में लगभग 305 व्यक्ति काम कर रहे हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि वे क्या काम कर रहे हैं। ऐसी सलाहकार समितियों में अवश्य ही सुधार किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उनकी संख्या में अधिक से अधिक कमी की जानी चाहिए। इसके अलावा ऐसी समितियों में योग्य व्यक्ति ही रखे जाने चाहिए।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा फिल्म उद्योग गलत हाथों में चला गया है तथा यह उद्योग सर्वाधिक असंगठित है तथा गलत लोग इसका अधिक से अधिक अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। मंत्री महोदय को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और इस बारे में सुधार करने

के लिये कार्यवाही करनी चाहिए। हमारे देश में बहुत से समाचार-पत्र छपने शुरू हो गये हैं तथा उनका सार्वजनिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्हें यथाशीघ्र रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

Shri George Fernandes (Bombay South): It is a matter of great regret that the financial condition of the artistes of A. I. R. is very deplorable. It is not satisfactory at all. There have been certain aristes of A. I. R. who have died pennyless and their families had to depend on charity. This matter is all the more serious because the A. I. R. earned Rs. 10 crores and thirty-seven lakhs during 1967-68 against expectation of Rs. 8 crores and 93 thousands and thus had a surplus amount of Rs. 2 crores and 10 lakhs. I would, therefore, urge upon the Minister to take some stern steps to improve the financial condition of these people. I am also of the view that the contract system of these artistes should be stopped and they should be allowed to work till their health allows them.

The number of bureaucrats is increasing in A. I. R. who are working on behalf of the Ministry. Therefore if we want to improve the working of the A. I. R. it is necessary that its work should be taken from the hands of these bureaucrats and a corporation set up to run it.

As far as A. I. R. and newspapers of our country are concerned, I think these institutions have become subservient of Government. In the matter of news broadcasts of the A. I. R. undue importance is given to the personal matters of Ministers and other U. I. Ps. It is not a good thing and should be put an end to.

Now I would like to ask as to what is the purpose of A. I. R. The purpose of the A. I. R. is to educate the people. But instead of educating the people it is being used for Government propaganda. Take the case of kutch. In regard to the kutch Tribunal Award it was propagated that we have saved some territory from going over to Pakistan. But the fact is that we are actually giving away 350 square miles of our territory to Pakistan. Thus we find that Government does not depict clear picture to the people. Hence I would like to submit that such misleading and false propaganda should be done away with.

We have been observing for some time past that Government has been declaring that they want to end the monopoly of chain of newspapers but the fact is that it is going on increasing. No one should be allowed to have a Chain of newspapers and small newspapers sbould be encouraged.

At the end I would like to say something about chand Committee, Chand Committee has submitted its report. The Hon. Minister has said that that report has been considered. I would request that the recommendations made in that report should be implemented as early as possible.

As far as the canteen of A. I. R. is concerned I would submit that its condition is not satisfactory. The seating arrangement and the snacks served there are not good. I would, therefore, appeal that steps should be taken to improve the service of this canteen.

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूं। भारत जैसे देश में जहां अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या लगभग 35 करोड़ है, जनता को सामान्य जानकारी देने के मामले में आकाशवाणी महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। वार्षिक प्रतिवेदन में यह नहीं बताया गया है कि भारत के कितने गांवों के सामुदायिक केन्द्रों में रेडियो लगाए जायेंगे। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

अब मैं समाचारों के चयन के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। राजनीतिक समाचारों को चुनते समय निष्पक्ष रूप से काम किया जाना चाहिये। परन्तु हम देखते हैं कि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। वहां के उम्मीदवारों के नामों की कुछ दिन पहले घोषणा की गई थी। परन्तु नामों की सूची में विरोधी दल के किसी भी उम्मीदवार के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। केवल चुनाव में खड़े होने वाले कांग्रेसी नेताओं के नामों का ही उल्लेख किया गया है। इसके अलावा राजस्थान विधान सभा में हाल में इस सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव रखा गया था कि किसी समाचार विशेष को आकाशवाणी के समाचार बुलिटेन में शामिल नहीं किया गया। यही कारण है कि चन्दा समिति ने यह सिफारिश की थी कि इस मंत्रालय को समाप्त कर दिया जाना चाहिये तथा प्रसारण के काम को निगम को सौंप दिया जाना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक यह राजनीतिक पक्षपात चलता रहेगा। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। यदि कल को कोई और दल सत्ता में आ जायेगा तो वह भी ऐसा ही करेगा।

लोकतंत्र में राजनीतिक प्रसारणों का बहुत महत्व होता है। इंग्लैण्ड में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को प्रत्येक राजनीतिक मामले में भाग लेने के लिये कहा जाता है परन्तु भारत में ऐसा क्यों नहीं होता है ? भारत में भी प्रत्येक राजनीतिक प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिये जिसमें राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाना चाहिये।

अब मैं कुछ एक बातें स्कूल प्रसारणों के बारे में कहना चाहूंगा। वर्तमान स्थिति बहुत असंतोषजनक है। आजकल स्कूल कार्यक्रम के लिये एक सप्ताह में दो से छः प्रसारण होते हैं। जापान जैसे देश में एक सप्ताह में 86 प्रसारण होतें हैं। भारत में भी ऐसे प्रसारणों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये।

मैं एक सुझाव समाचार-पत्र परिषद के बारे में देना चाहूंगा। हमारे दैनिक समाचार-पत्रों में काफी पूंजी जमा हो गई है। प्रत्येक वर्ष यह पूंजी अधिक ही अधिक होती जाती है। आज 80 प्रतिशत समाचार-पत्रों पर कुछ ही एकाधिकारवादियों का नियंत्रण है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि सरकार को समाचार-पत्र उद्योग में पूंजी के जमाव तथा एकाधिकारवाद पर विचार करने लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग नियुक्त करना चाहिये।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि यदि आप प्रसारण व्यवस्था को कुशलता से चलाना चाहते हैं तो तत्सम्बन्धी कर्मचारी संतुष्ट होने चाहिये। इसके लिये कर्मचारियों के सहयोग की भी आवश्यकता है। किन्तु हम देखते हैं कि आज स्थिति बड़ी असंतोषजनक है। कलाकारों को ही

ले लीजिये। उनको पांच वर्षों के लिये नियुक्त किया जाता है। यह अच्छी बात नहीं है। उनकी नौकरी को सुरक्षित रखने के लिये उचित व्यवस्था की जानी चाहिये। उन्हें 55 अथवा 58 वर्ष तक की आयु तक लगातार नौकरी दी जानी चाहिये। आप फिल्म उद्योग में काम करने वाले लाखों व्यक्तियों के प्रश्न को ही ले लीजिये। ऐसे बहुत से कर्मचारियों को बहुत ही कम वेतन मिलता है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय उनके लिये क्या कर रहे हैं? उनके लिये भी एक मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जाना चाहिये।

बच्चों के साहित्य का भी बहुत महत्व होता है। उनके साहित्य की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि बच्चों के लिये अधिकांश पुस्तकें हिन्दी में लिखी जाती हैं। कुछ पुस्तकें अंग्रेजी में भी तैयार की जाती हैं परन्तु प्रादेशिक भाषाओं में कोई पुस्तक तैयार नहीं की जाती है। एक ही भाषा में पुस्तकें तैयार करना बहुत मंहगा पड़ता है इसलिये प्रादेशिक भाषाओं में भी उनका अनुवाद करके उन्हें प्रकाशित करने का प्रत्यन किया जाना चाहिये। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि मंत्री महोदय इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि चूंकि प्रादेशिक भाषाओं में बच्चों के साहित्य का समुचित विकास नहीं हो पाया है इसलिये यह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों के साहित्य की ओर ध्यान दें।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Sir, the Ministry of Information and Broadcasting has its special importance because it is closely connected with the people for twenty-four Hours. But it is a matter of great regret that a very short time has been allotted to such an important Ministry.

Being a journalist I know that the Hon. Minister Shri Shah is known to have a soft corner for the small language newspapers. Therefore it was hoped that such newspapers would flourish under his administration. But that hope has not proved true and the Ministry has continued to follow a wrong policy regarding those newspapers. It was said that much assistance was being given to small newspapers. But the experience has shown that a few top newspapers have got a major portion in advertisments. It is a matter of great sorrow that 66 per cent avertisements have been given to English newspapers even though their circulation is only 20 per cent. But why these newspapers have been given preference. They have been given preference because they are newspapers of big businessmen who want to dominate in every sphere of life. As far as the small newspapers are concerned they cannot stand in competition with big newspapers. Therefore my submission is that if we want to protect small newspapers, then the only way left for us is to change the policy in this regard as urgently as possible.

Then it was said that a corporation should be set up for A. I. R. I do not support this idea at all. It would not be in the interest of the country to do so, because we generally find that the corporations are mismanaged.

As far as film industry is concerned it is facing a serious crisis. Some steps should be taken to resolve that crisis. Steps should also be taken to imrprove the standard of films.

At the end I would again like to suggest that as far as staff artistes are concernd they should be absorbed parmanently. The contract system should be discontinued. If it cannot be discontinued it should at least be minimised.

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के इस तर्क-संगत दृष्टिकोण के लिये आभारी हूं परन्तु यदि वे अपनी शिकायतों के हर पहलू पर अच्छी प्रकार दृष्टि डालते तो उन्हें ज्ञात होता कि किसी भी शिकायत के ठीक अथवा गलत होने का पता लगाना कितना कठिन है। फिर कुछ आंकड़े प्रस्तुत करके मैं ये गलत-फहमियां दूर करने का प्रयत्न करता हूं। सत्य यह है कि हमारे पास 36 मुख्य केन्द्र, 27 सहायक केन्द्र, 26 विविध-भारती केन्द्र तथा 57 प्राप्ति केन्द्र हैं। वर्ष 1966 में देशीय-सेवा के लिये हमें 9,73,321 पत्र मिले तथा विदेश-सेवा के लिये 1,55,690। हम 51 उपभाषाओं, 87 आदिम-भाषाओं तथा 21 विदेशी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अखिल भारतीय कार्यक्रमों में संगीत के 811, वार्ताओं और परिसंवादों के 632, नाटकों के 132, रूपकों के 123 तथा संगीत-नाटकों के 53 कार्यक्रम प्रसारित हुये। मुझे विश्वास है कि इन आंकड़ों को देखकर दोनों ही पक्ष यदि मुझे शाबाशी न देंगे तो कम से कम अपने दिमाग से गलत फहमियां तो अवश्य ही निकाल देंगे।

सबसे पहले मैं आकाशवाणी को निगम बनाने से सम्बन्धित कठिन प्रश्न को लेता हूं। चन्दा समिति की सिफारिशों को मानने में हमारी कई कठिनाइयां हैं। 163वीं सिफारिश में कहा गया है कि निगम बन जाने पर भी आकाशवाणी में कोई मनोवैज्ञानिक परिवर्तन नहीं हो पायेगा। इसे तो एक राष्ट्रीय अधिकरण बनाया जाना चाहिये ताकि इसमें प्रमुख राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व हो और यह वित्त के मामले में भी स्वतंत्र हो।

एक दूसरी सिफारिश में व्यक्त है कि अध्यक्ष सहित इस निगमं के सात से अधिक सदस्य न हों और वे राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हों और जिनको ईमानदारी, योग्यता तथा स्वतंत्र-रूप से कार्य करने में प्रसिद्धि प्राप्त हो।

एक अन्य सुझाव है कि रेलवे बोर्ड, परमाणु शक्ति आयोग तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद भी कई कारणों से इसके लिये समुचित नमूने नहीं कहे जा सकते हैं।

फिर यह भी कहा गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव सरकार द्वारा किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, लम्बे समय के लिये निष्पक्ष और आर्थिक आयोजन के लिये इसे वित्तीय स्वायत्तता की भी अनुमति हो।

यही विभिन्न आवश्यकताएं बताई गई हैं।

इसके लिये मुझे 10-11 करोड़ रुपये चाहिये जबकि आमदनी केवल 7-8 करोड़ रुपये है। न जाने यह कैसे आत्म-निर्भर और स्वतंत्र रह सकेगा। यही कठिन प्रश्न उत्पन्न हो गया है तथा माननीय सदस्य स्वयं सोचें कि उनकी यह शिकायत कहां तक ठीक है कि सरकार निर्णय करने में बिलम्ब कर रही है।

इसके अतिरिक्त निगम की मांग के बारे में केवल श्री कण्डप्पन, श्री सोलंकी तथा एक अन्य सदस्य ही बोले हैं। अतः यह कहना गलत है कि सदन ने यह चाहा है, अन्यथा सब ओर से इसकी मांग होती।

फिल्मों के बारे में यह आम शिकायत है कि चोर बाजारी होती है, फिल्म दिखाने वाले ऊंचे दाम लेते हैं, मनोरंजन कर बहुत अधिक है ... यह ठीक है किन्तु मैं सिनेमा कलाकारों अथवा सिनेमाघर के मालिकों के सम्बन्ध में क्या कर सकता हूं और सिने-कलाकार भारी शुल्क मांगते हैं और वह भी नकद। छबि-गृह स्वामी ऊंची प्रवेश-दरें मांगते हैं। कोई कहता है कि सिने-उद्योग का राष्ट्रीयकरण करो तो दूसरा कहता है—मत करो। यदि सिने-उद्योग पर नियंत्रण नहीं होगा तो शिकायतें कैसे दूर हो सकती हैं? क्या मैं सदा ही उनमें समझौते कराता रहूंगा, जो कि मैं अब तक पूरे प्रयत्न से करता आ रहा हूं। कोई सख्त कदम आप उठाने नहीं देते। यदि मनोरंजन कर अधिक है — तो वह राज्य सरकारों के कारण है। सौभाग्य से कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं। यह अच्छी बात है। शोर मचाइये, मुझे भी सहायता मिलेगी। माना कि इससे कुछ कर्मचारी प्रभावित होंगे परन्तु इस प्रकार उनका पेट ज्यादा दिन तक तो नहीं भरा जा सकता। मुझे विश्वास है कि इसके लिये जब मैं कोई कठोर कार्यवाही के लिये सदन से कहूंगा तो मुझे सभी का एक मत से समर्थन मिलेगा।

समाचार-पत्रों के बारे में कुछ सदस्यों की शिकायत है कि उनका केन्द्रीयकरण होता जा रहा है। मैं तो अखबारी-कागज पर 11 करोड़ से 13 करोड़ तक खर्च कर रहा हूं। हमने वर्ष 1961 को आधार तथा 1957 को बिक्री माना है और इसी हिसाब से तदर्थ वेतन-वृद्धियां दी हैं। कोई भी श्रृंखला-पत्र कोई नया पत्र नहीं निकाल सकता और न ही हम उसे अखबारी कागज देंगे। केवल 50,000 प्रतियों की बिक्री वाले पत्र को कागज तथा विज्ञापनों के लिये, 2,000 की बिक्री वाले पत्र को तदर्थ विज्ञापन भी दिया जाता है। इससे अधिक क्या करें? यदि वे धन चाहते हैं तो सहकारिता स्थापित कर लें। प्रेस परिषद कहती है कि प्रेस स्वतंत्र नहीं है तथा संसद् ने उन्हें कोई कार्यपालिका शक्ति नहीं दी है। परन्तु वे यह भी सुझाव दें कि उनकी बात को कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है। मैं उतना ही कर सकता हूं जितना मेरी शक्ति में है। मैं प्रेस परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष तो नहीं हूं। फिर भी मैंने छोटे पत्रों को 50% तथा मध्य श्रेणी के पत्रों को 25% बृद्धि दी है और बड़े पत्रों की प्रतिशतता घटा कर $12\frac{1}{2}$ से केवल पांच कर दी है। यह शिकायत भी उचित नहीं कि हमने बच्चों के प्रकाशन

प्रादेशिक भाषाओं में नहीं प्रकाशित किये हैं। भारत का इतिहास, भारत के गौरव, भारत की लोक कथायें आदि अनेक प्रकाशन निकले हैं।

यह भी एक शिकायत है कि भाषा-एकक नहीं बने हैं। दिल्ली में समाचार सेवा प्रभाग में हीन्दी तथा अंग्रेजी के साथ-साथ 16 भाषा-एकक और भी हैं तथा ये एकक प्रतिदिन 41 बुलेटिन निकालते हैं। ग्यारह प्रमुख भाषाओं में प्रतिदिन तीन-तीन बुलेटिन निकलते हैं तथा काश्मीरी, डोगरी तथा सिन्धी में दो-दो बुलेटिन निकलते हैं। एक बुलेटिन गोरखानी भाषा में भी निकलता है।

संस्कृत में भी बुलेटिन निकालने का प्रयत्न किया गया था परन्तु सीमित साधनों तथा बहुत कम श्रोताओं के कारण यह विचार स्थगित कर दिया गया।

अन्य प्रादेशिक भाषाओं में हम तमिल और सिंहली भाषा का भी विदेशी-सेवा में प्रयोग करते हैं। सिन्धी कार्यक्रम भी कई केन्द्रों से प्रसारित किया जाता है।

यह भी शिकायत रही है कि हमारे बुलेटिनों में विदेशी समाचार बहुत अधिक होते हैं। परन्तु यह शिकायत गलत है। यदि इस सम्बन्ध में बुलेटिनों के आंकड़े देखे जायें तो माननीय सदस्य संतुष्ट हो जायेंगे कि उनमें विदेशी समाचार अधिक नहीं होते हैं।

एक शिकायत हुई कि समाचार-बुलेटिनों में विपक्षी नेताओं तथा दलों के सम्बन्ध में बहुत संक्षिप्त रूप से बताया जाता है तथा इसके लिये बहुत ही कम समय दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है। 'टुडे-इन-पार्लियामेन्ट' तथा स्पाट-लाइट कार्यक्रमों के लिये पत्रकारों की एक सूची है जिसमें समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है। स्पाट-लाइट कार्यक्रम में 30 पत्रकारों की सूची रहती है।

यह सत्य है कि हिन्दी के बारे में अभी काफी कुछ किया जाना है। परन्तु इस संदर्भ में कुछ कठिनाइयां हैं। वैसे हमारे पास एक हिन्दी समाचार-सम्पादक भी है परन्तु अंग्रेजी भाषा के मुकाबले में यह प्रगति कम है।

हिन्दी एकक प्रतिदिन 16 समाचार-बुलेटिन तैयार करता है जिनमें से तेरह तो सीधे ही हिन्दी में तैयार होते हैं। शेष तीन के बारे में भी यथोचित कर्मचारीवृन्द उपलब्ध होने पर प्रबन्ध कर लिया जायेगा। वैसे हिन्दी-एकक सामायिकी, आज का प्रसंग आदि छोटे-छोटे कार्यक्रम भी हिन्दी में ही तैयार करता है। इसके अतिरिक्त "संसद-समीक्षा" भी प्रतिदिन प्रसारित होती है।

विदेशों में नियुक्त विशेष संवाददाताओं द्वारा दिये गये संवादों के दुरुपयोग के बारे में भी शिकायत की गई है। आकाशवाणी के समाचार-सेवा प्रभाग में नियमित रूप से नियुक्त दो विशेष संवाददाता बेरूत तथा सिंगापुर में हैं जो कि क्रमशः पश्चिम एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया

के समाचार नियमित रूप से भेजते हैं। वहां से प्राप्त सारे संदेशों में से बहुत ही कम को ही अस्वीकार किया गया है।

छोटे-छोटे अखबारों को स्थानीय विज्ञापन मिलते हैं। जो व्यक्ति आकाशवाणी के व्यापार विभाग की सेवा में विज्ञापन देता है किन्तु अखबारों में विज्ञापन नहीं देता, उसे पूरा लाभ नहीं होता क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन देकर लोगों की उत्सुकता बढ़ाई जाती है और वह उत्सुकता अखबारों में दिये गये विस्तृत विज्ञापन द्वारा ही शान्त होती है।

जहां तक विदेशों के लिये प्रसारणों का सम्बन्ध है, यद्यपि हम कई भाषाओं में प्रसारण कर रहे हैं तथापि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दो अधिक शक्ति वाले शार्ट वेव ट्रांसमीटर और दो विशिष्ट शक्ति वाले मीडियम वेव ट्रांसमीटर निकट भविष्य में लगाये जायेंगे ; एक 1968-69 में लगाया जायेगा और दूसरा 1969-70 में।

एक शिकायत यह थी कि केरल के ट्रांसमीटर को हटाया जा रहा है। यह गलत है। वहां एक और अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है। केरल के मुख्य मंत्री ने जमीन के मूल्य की सयस्या भी हल कर ली है।

एक शिकायत यह भी की गई थी कि स्कूलों और कालेजों के पत्र-पत्रिकाओं आदि के लिये अखबारी कागज का कोटा नहीं दिया जाता। मैं इस शिकायत पर यथाशीघ्र विचार करूंगा। जहां तक नेपा का सम्बन्ध है हम इसके उत्पादन को 30,000 टन से बढ़ाकर 75,000 टन कर रहे हैं। हम इसकी किस्म को सुधारने के लिए रासायनिक गूदे का आयात करेंगे। हम महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में खोई का कारखाना स्थापित करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं।

सिनेमाघरों की कमी की भी शिकायत की गई है। श्री अमृत नाहाटा ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार को फिल्मों के व्यापार में धन लगा कर प्रवेश करना चाहिए। लेकिन इन फिल्मों की सहायता के लिये 100 करोड़ या 80 करोड़ रुपये का प्रबन्ध करना सम्भव नहीं है।

मुझे हैरानी है कि यह कहा गया है कि अखबारी कागज में कालाबाजार होता है। अब छोटे अखबार अखबारी कागज को नहीं लेते। यदि इसका कालाबाजार होता तो छोटे-छोटे अखबार इसे अवश्य लेते और इसे आगे कालाबाजार में बेचते। पोस्टरों के बारे में भी शिकायत की गई है। यह शिकायत सही है किन्तु यह मेरे अधिकार-क्षेत्र में नहीं आती। यह तो राज्य का विषय है।

कहा गया है कि पत्रकारों के लिये प्रशिक्षण सुविधायें नहीं हैं। किन्तु मेरे विचार में कई कालेज मौजूद हैं जो पत्रकारिता में प्रशिक्षण देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 की सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं

The following demands for the year 1968-69 in respect of the Ministry of Information and Broadcasting were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
57	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	17,46,000
58	प्रसारण	8,45,81,000
59	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	5,05,12,000
120	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	6,68,96,000

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिए परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
79	परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय	1,12,31,000
80	सड़कें	12,78,40,000
81	व्यापारिक समुद्री बेड़ा	1,98,67,000
82	प्रकाश स्तम्भ और प्रकाशपोत	1,16,17,000
83	परिवहन और नौवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	3,24,23,000
128	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	34,42,32,000
129	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	1,79,17,000
130	परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	2,33,05,000

श्री मो० रु० मसानी (राजकोट) : मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि सड़क परिवहन तथा सड़क विकास के बारे में स्थिति पहले से काफी खराब हो गई है। किस्म तथा मात्रा की दृष्टि से भी इस देश की सड़कों तथा उन पर परिवहन की दशा दयनीय है। 100 वर्गमील क्षेत्र में 24.3 किलोमीटर सड़कें हैं। इस प्रकार हम संसार में सबसे पीछे हैं।

जब हम देश के कुछ भागों में जाते हैं तो हम पाते हैं कि यह 24.3 किलोमीटर वाला आंकड़ा भी गुमराह करने वाला है। उड़ीसा में 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल 8 किलोमीटर सड़कें हैं। इससे स्पष्ट है कि देश के कुछ भागों में स्थिति आदिम काल जैसी ही है।

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि सड़कों की मील संख्या 1951 में 2.49 लाख से बढ़कर 5.99 लाख हो गई है। मेरे विचार में माननीय मंत्री स्वीकार करेंगे कि सड़कों की बहुत सी अतिरिक्त संख्या सरकार के अधिकारियों की कल्पना में ही है, देश की भूमि पर नहीं।

सड़कों की तह की स्थिति भी पहले की भांति अपमानजनक है। आधुनिक प्रयोजनों के लिये सड़कों की तह 18 से 20 इंच गहरी होनी चाहिए। भारत में औसत तह 9 से 10 इंच है जो कि जितनी होनी चाहिये उससे आधी है। इसलिए हमारे यहां रफ्तार बहुत कम होती है और इस कारण देश की परिवहन क्षमता का कम उपयोग होता है। यात्रियों को अधिक कठिनाई होती है और लागत भी अधिक होती है और इस प्रकार देश हर तरह से पिछड़ जाता है।

सरकार ने पिछले बीस सालों से सड़कों पर आवश्यक धन खर्च नहीं किया है। दुःख की बात यह है कि यह स्थिति कई रिपोर्टों के पेश किये जाने के बावजूद है। पहली रिपोर्ट सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति ने 10 वर्ष पूर्व पेश की थी। यह कहा गया था कि सभी सिफारिशों को मान लिया गया है किन्तु उनको कार्यान्वित नहीं किया गया।

1967-68 में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सड़क परिवहन से कर से प्राप्त होने वाले राजस्व के रूप में 425 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी। चीफ इन्जीनियरों ने अनुमान लगाया था कि तीसरी योजना में सड़क परिवहन से लगभग 800 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। वास्तव में सड़क परिवहन से 1264 करोड़ रुपये की आय हुई जो कि उनके अनुमानों से 50 प्रतिशत ज्यादा है। दूसरी ओर चीफ इंजीनियरों ने तीसरी योजना के दौरान 59 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया था। किन्तु केवल 45.95 करोड़ रुपए–22 प्रतिशत कम खर्च हुए। सड़कों के साथ तीसरी योजना में यह बर्ताव किया गया।

चौथी योजना के मसौदे में कहा गया था कि सड़क परिवहन पर वार्षिक व्यय 152 करोड़ रुपये होना चाहिए। किन्तु इतनी मामूली राशि भी खर्च नहीं की गई। 1967-68 में 90.32 करोड़ रुपये ही खर्च किये गये।

सड़कों पर विदेशी मुद्रा भी खर्च नहीं होती । यह बात एकदम झूठ है कि धन की कमी है । धन को रेलवे आदि पर व्यय किया जा रहा है । सरकार ने धन का दुरुपयोग ही नहीं किया है बल्कि उन्हें रेलों और अन्य उपकरणों पर खर्च किया है जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ । लोक लेखा समिति के 22वें प्रतिवेदन में इस बात का समर्थन किया गया है ।

सड़क परिवहन चलाने की बुनियादी संचालन लागत में पैट्रोल तथा सड़क कर आदि के करों पर 55.6 प्रतिशत व्यय हुआ है । केसकर समिति के अनुसार सड़कों पर माल भाड़ा उसी दर से नहीं बढ़ा है । केसकर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि चालन लागत में करों के कारण सड़क परिवहन के विकास में अवश्य ही नुकसान हुआ है । यह भी कहा गया है कि घटिया तह होने के कारण हमारे देश में परिवहन चालन की लागत पर 1966 से 1971 तक 727 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होने का अनुमान है । इसी कारण हम हमेशा कहते हैं कि सड़कें हों या न हो किन्तु देश को सड़कों पर खर्च करना पड़ता है । बल्कि यदि सड़कें न हों तो और ज्यादा खर्च करना पड़ता है । समिति के दो गैर-सरकारी सदस्यों ने सुझाव दिया था कि वाणिज्यिक गाड़ियों पर उत्पादन शुल्क में छूट दी जाये ; डीजल पर उत्पादन शुल्क की दर कम की जाए और गाड़ियों के टायरों पर दोहरा उत्पादन शुल्क समाप्त किया जाये । यदि केसकर समिति की इन सिफारिशों पर अमल किया जाये तो देश में परिवहन के विकास को इतनी गति मिलेगी जितनी कि गत '20 वर्षों में नहीं मिली ।

एक और स्थायी मंत्रणा समिति स्थापित करने की सिफारिश बेकार है । विशेषज्ञों की की सलाह की कोई कमी नहीं है । कमी इस बात की है कि सड़क परिवहन की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता । रेलवे पर धन बर्बाद किया जा रहा है और सड़कों के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार किया जा रहा है । इसके लिए किसी विशेषज्ञ समिति की जरुरत नहीं है । रेलवे बोर्ड इस देश में सबसे बड़ा राज्य एकाधिकारी है । यह देश को धोखा दे रहा है और धन को नष्ट कर रहा है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : भारतीय नौवहन का हमारे वाणिज्य में महत्वपूर्ण स्थान है । नौवहन भारत में कोई नई चीज नहीं है । वेदों में भी नौवहन का उल्लेख है । कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नौवहन का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है । सिकन्दर भी भारत में निर्मित जहाज में मैकडोनिया गये थे । आइने अकबरी में 40,000 में भी नौवहन का उल्लेख मिलता है । इससे भारत में नौवहन का आकार और विकास स्पष्ट हो जाता है । बहुत से अन्य उल्लेख भी मिलते हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि हम 18वीं शताब्दी तक नौवहन के मामले में सबसे आगे थे । लेकिन मशीनी नौवहन के आविष्कार के बाद हम नौवहन के मामले में पिछड़ गये ।

भारत में नौवहन उद्योग की प्रगति 1919 के बाद शुरू हुई । 1947 में, जब हम स्वतंत्र हुए, हमारे पास लगभग 1,00,092 टन जी० आर० टी० था । हाल ही में हमने इसे 20 लाख जी० आर० टी० तक बढ़ा दिया है । चौथी योजना के अन्त तक 50 लाख टन जी० आर० टी० का लक्ष्य रखा गया है । इस लक्ष्य को पूरा किया जाना चाहिए ।

नौवहन ही एक ऐसा उद्योग है जिसमें अधिक धन लगाये बिना आरम्भ से ही विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। नौवहन के तैयार होते ही इससे विदेशी मुद्रा की आमदनी होने लगती है। भारत में कोई उद्योग इतनी विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं कर सकता जितनी विदेशी मुद्रा यह उद्योग अर्जित कर सकता है। हम हर साल लगभग 55 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाते हैं। लेकिन जहाज खरीदने में कठिनाई ऋणों की कमी की है। अब जापानी ऋण नहीं मिलता है। इंगलैण्ड और पश्चिम जर्मनी अल्पावधि ऋण देने की पेशकश कर रहे हैं जो कि हमारे अनुकूल नहीं है। मुझे जापान की फर्म के एक प्रतिनिधि से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने 8-10 वर्षों के आस्थगित भुगतान पर हमें ऋण देना स्वीकार किया है। जब हमें जापान से यह सुविधा मिल रही है तो हम अपने उद्योग का अपनी इच्छानुसार विकास कर सकते हैं।

रुपये में भुगतान केवल युगोस्लाविया ही स्वीकार करता है। जब युगोस्लाविया और बलगारिया जहाज दे सकते हैं तो भारत की स्थिति, जो काफी बड़ा है, इनसे भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसलिये हमने कोचीन में एक दूसरा जहाज निर्माण कारखाना बनाने का निर्णय किया है। कोचीन शिपयार्ड पर और अधिक धन खर्च किया जाना चाहिए। जब तक हम अपना सामान स्वयं विदेशों में नहीं ले जायेंगे या वहां से नहीं लायेंगे तब तक हम अधिक नहीं कमा सकेंगे।

आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा क्योंकि हम चौथी योजना में केवल 267 करोड़ रुपये खर्च करने की बात सोच रहे हैं जबकि हमने केवल 1966-67 में 116 करोड़ रुपये भाड़ा दिया। संभवतया हम अपनी आय से अधिक खर्च कर रहे हैं। हमने अधिक जहाज बनाने पर जोर न दिया तो हमें इस व्यापार से घाटा होगा।

जहाज बनाने में मशीनों की जरूरत होती है। जब तक हम अपनी मशीनें नहीं बनाएंगे तब तक हमारे लिये जहाज बनाना भी कठिन होगा। इसलिए दोनों काम साथ-साथ करने होंगे। हमें खुशी है कि "मैन" जैसी बड़ी संस्था भारत में समुद्री जहाजों के इंजनों का निर्माण शुरू करने के लिये एक सहयोगी फर्म खोलने की बात सोच रही है। जब तक जहाज बनाने और समुद्री जहाजों के इन्जनों के बनाने के काम में समन्वय नहीं होगा तब तक हम विश्व में व्यापार करने के लिये पर्याप्त जहाज नहीं बना सकेंगे।

हमारे देश में एक नौवहन विकास समिति है। चूंकि इस समिति के लिए धन की आवश्यकता है, इसलिए वित्त मंत्री को इस समिति के लिये धन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि नौवहन के विकास में बाधा न हो।

किसी देश की सम्पन्नता व्यापार तथा निर्यात पर निर्भर करती है। इसलिए निर्यात करने के लिए हमारे पास अधिक जहाज होने चाहिए अन्यथा निर्यात उद्योग का विकास नहीं होगा। विदेशों में अपना सामान भेजने के लिये हमारे पास अधिक जहाज होने चाहिए। इसलिए हम जब तक नौवहन पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम अपनी इच्छानुसार सम्पन्न नहीं हो सकेंगे।

Shri Ram Singh Ayarwal (Sagar) : Our country is still very backward in the matter of road development and traffic problems are getting more acute in the absence of proper communication facilities. This problem should be attended to urgently.

There should be proper planning of traffic in the country to put it on proper lines. For having this kind of planning, we should introduce a course of traffic engineering in the colleges.

Bridges and culverts have not been constructed on a number of national highways. It causes a lot of difficulty, especially during rainy season. Instead of laying stress on the highways, it would perhaps be more useful if we take to regional planning.

[श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Shri C. K. Bhattacharyya in the Chair]

There are no proper road signals on the national highways. This difficulty is experienced at various places. Thus the motorists are exposed to a great danger. The Administration should give due attention to it.

It is also seen that national highways pass through congested areas in the cities which necessitates the slowing down of traffic. Therefore, there should be by-passes for these highways to avoid the main cities.

Some times roads are constructed keeping in view the political interests and the roads of public interest are not constructed. This should be looked into.

Sometimes financial grants are made available for various projects towards the end of the year leaving very little time for completion of the job. This results in money being spent in a hurry and in a haphazard manner. This should be looked into.

Instructions should also be issued so that before taking up the construction of a road, all the bridges and culverts on the proposed road are constructed first.

In a statement, Dr. Rao had stated that a traffic scheme of Rs. 50 crores has been formulated. I have come to know that one-man commission has been set up in this regard. I hope this scheme would be implemented very soon.

The Government should also see that proper road communication is provided in the villages, especially in the forest areas. Maximum grants should be given to the States for this purpose. Madhya Pradesh is one of the States which is badly in need of road development.

Shri Nar Dev Snatak (Hathras) : The shipping industry has a vital role to play in the modern times. From the point of view of defence, commerce and passenger traffic, it is necessary that we have a large number of ships. We have got a few ships only and they are not able to meet the requirements of the country. This is due to the fact that we have very low production of ships in our country. Had we got our own ships, we would have not spent so much on the transport of wheat which we had purchased from foreign countries in the recent past. The Government should, therefore, take steps to manufacture more ships in the country.

Then, it is also very important that a country had a net-work of roads. Here also we are not upto the mark. It is true that efforts have been made to develop roads in the country,

but still we are lagging behind. If we look to our countryside, we will find that much remains to be done. During the monsoons, our villages lost all contact with the towns. Hence, it is necessary that roads are constructed throughout the country on a planned basis as soon as possible.

After the Chinese attack on our country in 1962, the importance of roads, especially in the Northern region, has increased a great deal. There is another factor also. We have many places of pilgrimage in the mountains, such as Badrinath, Kedarnath and so on. The pilgrims are visiting them almost throughout the year. Therefore there is the need to build all-weather roads in that region.

The Grand Trunk Road is a very old and long road. A part of it is in Uttar Pradesh. It is in a very bad condition. The Government should take urgent steps for its repairs.

A bridge over Jamuna at kalpi and another over Ganga River at Hardwar was sanctioned as early as in the First Five Year Plan. But it is unfortunate that no steps have been taken in this direction. We have a net-work of rivers in the country but very few of them have bridges. We should have bridges over all big rivers in the country so that they can provide a link between the cities and the villages.

Bus Services are not adequate in the capital. Private buses plying in the capital are over-crowded and they are exposed to accidents. Efforts should be made to put bus services in the capital on proper footing.

श्री कमलनाथन (कृष्णागिरि) : सड़क और समुद्री यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से परिवहन और नौवहन मंत्रालय के लिये नियत किया गया धन पर्याप्त नहीं है । सड़क परिवहन से इतनी अधिक आय होने पर भी सरकार सड़क परिवहन के विकास की ओर समुचित ध्यान नहीं दे रही है ।

मद्रास सरकार कुमारी अन्तरीप से मद्रास को जोड़ने वाली ईस्ट कोस्ट रोड के निर्माण की लम्बे समय से मांग करती आ रही है । राज्य सरकार के हर सम्भव प्रयत्न के बावजूद भारत सरकार इस परियोजना को इसलिये चालू नहीं करना चाहती है कि प्रस्तावित सड़क वर्तमान राष्ट्रीय राजपथ संख्या 45 के समानान्तर होगी । यह तर्क सही नहीं है ।

पूर्वी तटवर्ती सड़क हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहती है और इससे संचार व्यवस्था भंग हो जाती है । इसलिए तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक ऐसी सड़क की आवश्यकता है जो हर ऋतु में चालू रहे ।

इसके अलावा प्रस्तावित तटवर्ती सड़क मद्रास, नागापत्तिनम और टूटीकोरिन बन्दरगाहों को मिलायेगी और इससे रामनाथापुरम् जिले के पिछड़े क्षेत्रों को बड़ा लाभ होगा । भारत सरकार को पूर्वी तटवर्ती सड़क के बारे में आर्थिक दृष्टि से विचार करना चाहिए और इस परियोजना का काम अन्तर्राज्यीय आर्थिक विकास योजना के अधीन चालू कर देना चाहिए ।

रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से मिलाने वाले पम्वन पुल की परियोजना भी पिछले अनेक वर्षों से ज्यों की त्यों पड़ी हुई है । संभवतया इस परियोजना की ओर अब समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

परिवहन मंत्रालय द्वारा तमिलनाड सरकार के लिए 1967-68 के दौरान अनुदानों के अधीन बहुत कम धन नियत किया गया । आरम्भ में 4 लाख रुपये दिये गये और तत्पश्चात् 5 लाख रुपये कर दिये गये । सरकार कह सकती है कि कोई कार्य नहीं था, इसलिये धनराशि नियत नहीं की गई । लेकिन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किसी परियोजना का काम हाथ में लेने से किसने रोका । कागजों पर मंजूरी देने और इसे पूरा न करने का कोई लाभ नहीं है ।

सेतुसमुद्रम परियोजना को भी अनिश्चित काल तक के लिये रोका जा रहा है और परियोजना के प्रतिवेदन को भी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है । इस परियोजना को कम से कम चौथी पंचवर्षीय योजना में अवश्य लिया जाना चाहिए ।

यह संतोष का विषय है कि टूटीकोरिन बन्दरगाह परियोजना के लिए मंजूरी मिल गई है लेकिन इस परियोजना के लिये इस वर्ष के बजट में बहुत कम धन रखा गया है । इस तरह इस परियोजना को पूरा करने में कई वर्ष लग जायेंगे । इस विषय में फिर से विचार किया जाना चाहिए और इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिये अधिक धन रखा जाना चाहिए ताकि इसे शीघ्र पूरा किया जा सके ।

यह बड़ी खुशी की बात है कि मंत्री महोदय देहाती सड़क के विकास में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं । मेरे चुनाव क्षेत्र में पिछड़ा पहाड़ी क्षेत्र है । वहां पर देहाती लोगों को सड़क यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं है । मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें ।

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
81	35	श्री यशवंन्त सिंह कुशवाह	देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये व्यापारिक बेड़े का विकास करने में असफलता ।	100 रुपये
79	36	श्री रामावतार शास्त्री	विभागीय व्यय में कमी करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
79	37	श्री रामावतार शास्त्री	सचिवों की संख्या कम करने में असफलता ।	100 रुपये
79	38	श्री रामावतार शास्त्री	तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
79	39	श्री रामावतार शास्त्री	स्टाफ कारों के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
80	42	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय सड़क निधि को बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
80	43	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय सड़कों के निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
80	44	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय राजपथों का विस्तार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
80	45	श्री रामावतार शास्त्री	देश के सभी भागों में राजपथों का जाल फैलाने में असफलता ।	100 रुपये
80	46	श्री रामावतार शास्त्री	राष्ट्रीय राजपथों की मरम्मत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
80	47	श्री रामावतार शास्त्री	सीमावर्ती सड़कों के निर्माण की ओर पर्याप्त ध्यान देने में असफलता ।	100 रुपये
80	48	श्री रामावतार शास्त्री	देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये सीमावर्ती सड़कों के निर्माण-कार्य में विस्तार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
80	49	श्री रामावतार शास्त्री	सीमावर्ती सड़कों के रखरखाव पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
80	50	श्री रामावतार शास्त्री	राष्ट्रीय राजपथों के रखरखाव पर समुचित ध्यान देने में असफलता ।	100 रुपये
80	51	श्री रामावतार शास्त्री	सड़कों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान देने में असफलता।	100 रुपये
80	52	श्री रामावतार शास्त्री	राष्ट्रीय राजपथों के उपागमन मार्गों के निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
80	53	श्री रामावतार शास्त्री	राष्ट्रीय राजपथों सम्बन्धी नये कार्यों की मंजूरी देने में असफलता।	100 रुपये
80	54	श्री रामावतार शास्त्री	राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिये पर्याप्त धन देने में असफलता ।	100 रुपये
80	55	श्री रामावतार शास्त्री	पार्श्व सड़कों के निर्माण की ओर अत्यधिक ध्यान देने में असफलता ।	100 रुपये
80	56	श्री रामावतार शास्त्री	अन्तर्राज्यीय सड़कों के विस्तार के लिये धन देने में असफलता।	100 रुपये
80	57	श्री रामावतार शास्त्री	अन्तर्राज्यीय सड़कों का और विस्तार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
80	58	श्री रामावतार शास्त्री	पटना में गंगा नदी पर पुल बनाने की योजना तैयार करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
80	59	श्री रामावतार शास्त्री	उत्तर और दक्षिण बिहार को मिलाने के लिए पटना में गंगा नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
80	60	श्री रामावतार शास्त्री	बक्सर में गंगा नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
80	61	श्री रामावतार शास्त्री	राज्यों का केन्द्रीय सड़क निधि से अधिक धन देने में असफलता ।	100 रुपये
80	62	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों को सड़क बनाने के लिये अधिक अनुदान देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
80	63	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों को सड़क बनाने के लिये चौथी योजना में 400 लाख रुपये के आवंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
80	64	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय सड़क निधि से 1970-71 में समाप्त होने वाले पांच वर्षों में सड़कें बनाने के लिये 19 करोड़ रुपये के आवंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
81	65	श्री रामावतार शास्त्री	हज यात्रियों के लिये यातायात की असन्तोषजनक व्यवस्था ।	100 रुपये
81	66	श्री रामावतार शास्त्री	समुद्री व्यापार को बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
81	67	श्री रामावतार शास्त्री	छोटे बन्दरगाहों के विकास में असफलता ।	100 रुपये
81	68	श्री रामावतार शास्त्री	बन्दरगाहों पर होने वाली चोरियों को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
81	69	श्री रामावतार शास्त्री	बन्दरगाहों की असन्तोषजनक व्यवस्था को सुधारने में असफलता ।	100 रुपये
81	70	श्री रामावतार शास्त्री	बड़े बन्दरगाहों के विकास के कार्य को शीघ्र सम्पन्न करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
81	71	श्री रामावतार शास्त्री	व्यापारिक बेड़े के संतोषजनक निर्माण में असफलता ।	100 रुपये
81	72	श्री रामावतार शास्त्री	व्यापारिक बेड़े के निर्माण में देश को आत्मनिर्भर बनाने में असफलता ।	100 रुपये

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj): Mr. Chairman, I will concentrate myself on two or three points. First of all I would like to point out it is unfortunate that we have not so far been able to have co-ordination between the rail and road transport. There is competition between these two systems of transport, which is harmful to both. It will be of much profit to the road transport as well as to the Railway, if some arrangement is made, by which a proper co-ordination is made between the road and Rail transport. The road transport can work as a feeder to the Railways. If that is done it will be profitable to both.

Something has already been said in regard to sea Vessels. I would like to say something about river Vessels. I want to point out that in Bihar, the river transport in Ganga is on a decline. Formerly numerous vessels used to be seen in the Ganga, but now their number has decreased. One of the reasons for this decrease in river transport is that the Khalasis and other workers employed in the vessels used to come from East Pakistan. So it is necessary that we should train our own workmen, not only in Bihar but also in West Bengal and Assam, otherwise our river transport will be doomed.

So far as the roads are concerned the condition of road bridges in Bihar on G. T. Road is worse than the condition of road bridges on this road in U. P. and west Bengal. The result

is that where as in West Bengal and U. P. permits are issued to carry a load of 34 thousand pounds on a bridge, the maximum load that is allowed to be carried in Bihar on a bridge is 24 thousand pounds. It results in many difficulties. So I request that these bridges should be repaired and strengthened.

The 90 mile track from G. T. Road to Rajendra Bridge Mokama is under the control of the local Government. The result is that this track is narrow and weak. It would be of great use if this track of 90 miles is taken away from Bihar Government and linked with G. T. Road.

The lateral road project in North Bihar is not only necessary for North Bihar, but it is absolutely necessary from the defence and security points of view. It appears that some difficulties have cropped up in the completion of this project. These difficulties must be over come and this project must be completed, otherwise there will be a danger for our defence and security.

It is a good thing that a bridge has been constructed in Bakshar. I welcome it. It is also a good thing that a bridge has been completed at Mokama. But it is very sad that no bridge over Ganga river has been constructed in Patna. In the absence of a bridge over Ganga in Patna, the Capital of Bihar, this city has almost been cut off from North Bihar. People have either to go by vessels or take a long and circuitous route for reaching Patna. This results in much wastge of time. Moreover during rains, the railway launches are also stopped and the passengers are put to great difficulties. It is, therefore, absolutely necessary that a bridge should be constructed on Ganga in Patna and the construction of this bridge should not be ignored any longer.

I want to draw your attention, Sir, that there is always rush of expenditure at the fag end of the financial year in Government departments in order that the moneys sanctioned might not lapse. This leads to a great deal of wastage. It should, therefore, be provided that the money not spent during a financial year would not lapse, but could be carried over to the next year.

Shri Chandra Shekhar Singh (Jahanabad): Although more than 20 years have alapsed since when the Congress had been in power, yet the conditions of our country are the same, as they prevailed before independenc. Even today there is much dearth of roads and in many parts of the country people have to cover long distances on foot. So far as Bihar is concerned there is no bridge on Ganga near Patna. In the absence of a bridge on Ganga in Patna, north Bihar is cut off from South Bihar causing great inconvenience to the people and affecting their trade and commerce. Today the entire Bihar is saying with one voice that a bridge should be constructed in Patna on Ganga without any delay.

It is very unfortunate that despite the repeated assurance of the Hon. Minister, little action has been taken regarding the construction of a bridge in Patna on Ganga and the result is that the people of Bihar have lost their faith in Central Government. So I request that this project may be taken up immediately, so that the people of Bihar may feel that their demands are being considered sympathetically by the Central Government.

Next I want to point out that it appears that the work of construction of border roads has stopped. Similary, the work on the High way connecting Nepal with Champaran and

Muzaffarpur is proceeding with a very slow pace. That is not good because border roads are important from the security point of view. The work on National Highway Nos. 28, 30 and 32 should be completed this year.

The Grand Trunk Road is a historic road, but its condition is very bad. It is the largest road in the country. It is very unfortunate that proper attention is not being paid to its repairs and maintenance. I suggest that proper repairs of this road should be done and it should be widened.

It is being heard that Government propose to stop the ferry service in Ganga river from Patna. I oppose it. It should not be done. If it is done, it will render thousands of workers jobless. Moreover in addition to traffic point of view this service is also very important from business point of view. I suggest that instead of stopping this ferry service in Ganga and Baharamputra from Patna, Patna should be made the Headquarter of this service. In no case this service should be stopped unless alternate arrangements are made.

The Buxar bridge over Ganga that has been sanctioned should be completed soon. I want to stress that the condition of roads all over the country is deteriorating day by day. I am not saying this for Bihar only, but for the entire country. Proper attention should be paid for the repair of roads. Roads are very important for the national defence point in addition to their other uses. Special attention should be given for the construction of Border Roads.

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : Mr. Chairman, it is true that we have not been able to develop our roads to the extent we desired. While taking part in the debate a majority of the Hon. Members have concentrated their attention towards the development of roads and have highlighted their importance for the economic development of the country. Out of the total cut motions received in regard to the Demands of this Ministry a majority of them pertain to roads. This shows that the Hon. Members are very much concerned about to development of roads. While admitting that we have not been very successful in developing the roads to the extent we desired, I want to say that our targets of the 20 year road plan from 1941 to 1961 have been achieved to a considerable extent, but our plan for the 20 year road development from 1961 to 1981 have fallen through. The Hon. Members are aware that the main reason for this set back in the development of our roads was aggression on this country by China and Pakistan. Our economy suffered as a result of these aggressions and that lead to heavy cuts in the funds allotted for the development of roads. The grants for development of roads have been reduced year after year. For instance in the year 1966-67 a sum of Rs. 51.64 crores was allotted for the development of roads. The amount sanctioned for the year 1967-68 was only 42.62 crores and it has further been reduced for the year 1968-69. In the present budget a provision of only Rs. 34.50 crores has been made. So it is evident that our allocations have been reduced year after year. We have been trying our best for the development of roads, within these limited allocations.

My Hon. friend Shri Masani has alleged that roads are conducted in maps only. I contradict this statement. I admit that we have not been able to construct the roads to the extent we desire, but I assure the Hon. House that if necessary funds are granted to my Ministry, we will be able to make much headway in the construction of roads with the co-operation of State Governments. My Ministry is mainly concerned with National Highways. The Hon. Members are aware that at the time of independence the mileage of our National

Highways was only 13,400. Since independence the mileage of our National Highways had gone up from 13,400 to 14,957. But much remains yet to be done. For instance there are tracks totalling 250 miles where roads are to be constructed, 17 new bridges are to be built, 350 miles of road level has to be raised and about 10 thousand miles of roads are to be doubled.

I accept the Hon. Members' allegation that the condition of the roads is worse due to disrepair. But at the same time I want to say that it is all due to paucity of funds, because due to shortage of funds we could not do the repair work. Moreover that does not mean that nothing has been done. There are certain things that had been done deserve to be mentioned. The work of the bridge over Ganga near Allahabad which had been held up was being expedited and a large bridge was expected to be ready in the next few years. Similarly it has been agreed to construct a bridge over Narmada in Baroch, which will be ready in the next few years. It will greatly facilitate transport. In Bengal also, we are taking up the construction of a road from Kolaghat to Haldia.

Now I come to the question of development of roads of inter-state and economic importance. Here also we have been handicaped by the shortage of funds. Even then certain important projects are being done. So far as the question of the development of roads of inter-State and economic importance is concerned, the most important work that is being done is the construction of West Coast Road. This road is being constructed on the Arabian Sea Coast in the States of Maharashtra, Goa, Mysore and Kerala. The work is progressing with high speed. In addition to this several bridges have been constructed and the largest among them is the Gangoli bridge. The construction work on several other bridges is under progress.

Then comes the question of lateral roads. Under this a scheme was prepared to construct a 1000 miles long road from Bareilly in U. P. to Amingaon in Assam. The construction work of this road was started. I am sorry to state that at present the construction work of this road has been stopped due to shortage of funds. The road is incomplete. We have already spent a sum of nearly Rs. 45 crores. But the work had to be discontinued, as the Finance Ministry did not agree for further allocation of funds. We are taking up this matter with the Ministry of Finance and if that Ministry agrees to allot us Rs. 27 or 28 crores, we will be able to complete this road and open it for traffic.

Recently it has been decided to construct a bridge over river Ganga in Buxar. The expenditure of this bridge will be shared equally by the Central Government and the Governments of U. P. and Bihar.

So far as the question of Border Roads is concerned, I want to say that it is Defence Ministry responsibility and hence I am not in a position to say much about it. The border roads are under the Ministry of Defence and there is a separate Board for this purpose.

However, I would like to say that much success has been achieved in the construction of roads of strategic importance. The work on the strategic roads is going on with high speed, particularly in Gujarat, Rajasthan, Punjab and Jammu and Kashmir.

Two Hon. Members—Shri Ayarwal and Shri Kamalnathan have drawn our attention towards the necessity of the development roads in rural areas. In this connection I want to point out that my Ministry has always been stressing the need of rural roads from very begin-

ning. When the Draft for the Fourth Five Year Plan was being prepared, it was suggested by us that 20 per cent of funds allocated by State Governments for construction of roads should be earmarked for rural roads and that 40% of that expenditure would be met by the Centre. As the Hon. Members know that the Fourth Five Year Plan is now being redrafted, and I hope that the importance of rural roads will be recognised therein.

The Hon. Members—Shri Mrityunjay Prasad and Shri Chandra Shekhar Singh—have highlighted the importance of construction of a bridge on Ganga in Patna. I want to make it clear that the construction of bridge on Ganga does not come under the sphere of the Centre, because it is not on the National Highway. However in the Fohrth Five Year Plan a provision had been made to advance Rs. 45 crores to Bihar Government for constructing bridges over Ganga.

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : The Hon. Minister has just stated that it is the responsibility of the Government to incur expenditure for the construction of inter-State roads. I want to know why Government have deferred the construction of a road from Bilaspur to Surguja. There was a plan to construct a bridge over Jamuna from Bilaspur to Hamirpur. I want to tell the Hon. Minister that the construction of that bridge is a dire necessity for the residents of that area. I would request to Hon. Minister to visit that area and himself verify whether my statement contains facts or not ?

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : The history of twenty years rule of this Government has proved that the policy of this Government is "after the death, doctor comes" i. e. steps are taken, when the mischief has been done. So far as the construction of roads is concerned there are many examples to prove that Government has been following this policy. For instance it was after the Chinese occupied our territory in NEFA that our Government thought of constructing roads there. Similarly, the road work in Ladakh was started only when the Chinese occupied Aksai Chin. Though the question of the construction of lateral roads was being raised since past many years, but the constrction of a lateral road from Bareilly to Amingaon was started only one year after the Chinese aggression and as soon as Chinese withdrew their aggression, the construction work of this road was stopped. It is a very sad state of affairs. I want to know whether Government will restart the construction of this road only after the next aggression of China.

It has been observed in the Reports of keshkar committee that while States spend more on the maintenance of roads, a very little attention is being paid by Centre in this regard. The Report says "It will be seen that the States by and large, spend more on road maintenance and development than the revenue they realise from the road transport industry, though there is a considerable divergence between the States. In the case of Central Government, the expenditure on road development and maintenance is considerably less than the revenue they realise from the road transport industry. As against a revenue of the order of Rs. 232 crores during the year 1964-65, the expenditure incurred by the Centre on road development and maintenance was only 67 crores."

So the condition of our roads will become bad to worse, if the Centre continues to take the same atitude in future.

The condition of our ports is going from bad to worse. The condition of our port works is very pitiable. You will be surprised to know that only 11.5 per cent port workers have been provided with quarters.

I represent a State which is most backward in the country. Bihar and particularly north Bihar is a very underdeveloped region. Three bridges at Bhagalpur, Monghyr and Patna should be constructed to link North Bihar with South Bihar. If that is done, this will not only be of great benefit to the people of those areas but it will also prove strategically advantageous.

श्री आर० एस० अरुमुगम (तेनकासी): मैं परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं, पर इस सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। भारत में इस समय जितने भी छोटे-छोटे बन्दरगाह हैं उनमें तूतीकोरन बन्दरगाह व्यापार की दृष्टि से सर्वप्रथम है और इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। सरकार ने इस बन्दरगाह को बड़ा बनाने का निश्चय किया है और 24·40 करोड़ रुपये की कुल अनुमति लागत में से 5 करोड़ रुपये तीसरी पंचवर्षीय योजना में मंजूर किये हैं। पर इस काम में अभी तक जो प्रगति हुई है वह संतोषजनक नहीं है। इस काम को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिक धन नियत करने की आवश्यकता है।

बन्दरगाह की रेलवे लाइन पर तूतीकोरन तिरुनेलवेली सड़क पर एक ऊपरी पुल बनाया जा रहा है। भविष्य में रेल परिवहन की प्रत्याशा में यह दुहरी रेलवे लाइन के लिए बनाया जाना चाहिए।

सेतुसमुद्रम परियोजना यथासंभव शीघ्र पूरी की जानी चाहिए। इसके पूरा होने पर तूतीकोरन बन्दरगाह को अधिक महत्व ही नहीं मिल जायेगा वरन् तूतीकोरन से मद्रास तक की दूरी में भी 434 मील की कमी हो जायेगी।

मैं टी० एस० डफरिन समिति का सदस्य हूं। टी० एस० डफरिन, बम्बई, बहुत पुराना है और उसे यथासम्भव शीघ्र बदला जाना चाहिए।

मद्रास-कुमारी अन्तरीप में अनेक रेलवे फाटक हैं जिनके बन्द करने से सड़क परिवहन में असुविधा होती है। अतः इस राजमार्ग पर ऊपरी पुल बनाये जाने चाहिए।

सड़क निर्माण कार्य के लिए जो धन दिया जाता है वह पर्याप्त नहीं होता अतः इसके लिए सरकार को अधिक धन नियत करना चाहिए।

मोटरगाड़ी अधिनियम में कुछ संशोधन विचाराधीन हैं जिनके सम्बन्ध में मैं पांच बातें कहना चाहता हूं। पूरे भारत में मोटरगाड़ियों पर लगाये जाने वाले करों की दरों में समानता नहीं है। मद्रास राज्य में बस चलाने वालों पर बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि अधिक संख्या में बस चलाने वालों को अस्थायी परमिट देकर छोटे बस रास्तों पर बस चलाने दिया जाता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

मोटरगाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत परमिट देते समय अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को

प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो बस कण्डक्टर और ड्राइवर दुर्व्यवहार करते हों उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए मोटरगाड़ी अधिनियम में स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक): हुगली नदी में तलकर्षण के लिए प्रतिवर्ष सरकार 5 करोड़ रुपये से अधिक खर्चा कर रही है। बहुत पहले सरकार के सामने यह प्रस्ताव आया था कि हल्दिया बन्दरगाह बनाया जाये ताकि हुगली नदी में तलकर्षण पर हो रहे इस भारी खर्चे करने की जरूरत ही न रहे। आखिरकार सरकार ने हल्दिया परियोजना का काम आरम्भ कर दिया जोकि 1967 में खत्म होना था और उस पर 40 करोड़ रुपये लागत आनी थी। पर छोटे-छोटे कारणों को लेकर इसे स्थगित किया जा रहा है। इस देरी की वजह से सरकारी खजाने से काफी खर्चा हो जाता है। अब सरकार को यह परियोजना यथासम्भव शीघ्रता से पूरी कर देनी चाहिये।

इसी प्रकार चार वर्ष तक हीला-हुज्जत के बाद केन्द्रीय सरकार ने कोलाघाट और हल्दिया के बीच राजमार्ग बनाना स्वीकार कर लिया। वर्तमान सड़क की दशा अच्छी नहीं है और हल्दिया में निर्माण कार्य के लिए इस सड़क से ही टनों माल लाया ले जाया जाता है। यह राजमार्ग अब तक तैयार हो जानी चाहिए थी।

जियोनरवाली में तटवर्ती जहाज निर्माण प्रांगण, एक जहाज मरम्मत प्रांगण और एक जहाज तैराने का प्रांगण मिलाकर बनाना कहां तक सम्भव होगा। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए।

राजमार्ग संख्या 25 पर काल्पी में जमुना नदी पर एक सड़क पुल बनाया जाना चाहिए। यह पुल पहली पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था पर उसका निर्माण आरम्भ नहीं किया गया जबकि प्रतिरक्षा की दृष्टि से उसका होना बहुत जरूरी है।

Shri Hem Raj (Kangra): Our 20 year planning for roads construction which envisaged that no village in the country would be left farther than 5 miles from the main road, has flopped due to lack of funds. It is now high time when the Transport Ministry should acquire enough funds. It should emphasize the fact that road transport has given Rs. 431 crores to the Government and this entire money should be allotted for the development of roads and road transport. Since the railways cannot feed the villages it is necessary that proper development of approach roads should be taken up. In hilly areas, road construction is all the more important.

While Government are taking so much interest in the construction of 1000 mile long lateral road in the eastern wing, they have taken no notice of western wing connecting Bareilly, Dehradun, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. That wing has also become equally important from strategic and security point of view. We hope that the Hon. Minister will give due attention to it. As regards the Union Territories the administrators have been given only Rs. 15 lakhs for road construction. This amount is too meagre and should be increased to Rs. 1 crores.

The Inter-State Transport Commission should be a sufficiently powerful body to settle inter-State transport disputes.

The Hindustan Tibet road passes through Narkanda which is at a height of nearly 10,000 feet. Due to snowfall, the road is closed for 2 to 3 months in winter season. Therefore, a road should be built from Kiratpur via Soni Luri connecting it with the Hindustan-Tibet road, so that it may become an all weather road.

श्री चक्रपाणि : परिवहन तथा नौवहन बहुत उपेक्षित रहे हैं और खेद है कि हमारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुधा विदेशी जहाजों द्वारा ढोया जाता है जिससे हमें करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि होती है। यह स्थिति सरकार की नीतियों के कारण उत्पन्न हुई है।

सरकार ने गत तीन योजनाओं में नौवहन विकास निधि को 110 करोड़ रुपये का ऋण दिया किन्तु पोतों का देश में ही निर्माण न करके विदेशों से पोत आयात किये गये।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड का कार्य भी बहुत असंतोषजनक है। यहां 1966-67 में 4.91 करोड़ के पोतों का निर्माण हुआ परन्तु इन्हें बेचने के लिए उसने दो करोड़ की अर्थ सहायता मांगी है जो रियायत के रूप में ग्राहकों को दी जाएगी। इस वर्ष यही राशि बढ़कर $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये हो गई है।

कोचीन के दूसरे पोत निर्माण कारखाने को देखते हुए भी सरकार की इस क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त न करने की नीति स्पष्ट होती है। इसकी ओर शायद इसलिये उपेक्षा की जा रही हैं क्योंकि यह केरल में है। सरकार को केरल में छोटे-छोटे पत्तनों के विकास में राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए।

गैर-सरकारी जहाजी कम्पनियों ने गत वर्ष भारी लाभ कमाये हैं क्योंकि सरकार ने इन्हें भारी सहायता दी है।

कलकत्ता की नौवहन कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सरकार द्वारा उचित कार्यवाही न करने के कारण 3,000 कर्मचारियों को खपाया नहीं जा सका।

सड़क परिवहन कर्मचारियों के लिए बने मजूरी बोर्ड ने अन्तरिम राहतों का मजाक उड़ाया है। इनकी दशा में कोई सुधार नहीं किया गया।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की दशा भी बिगड़ती ही जा रही है और मजूरी बोर्ड की सिफारिशें पूरी-पूरी लागू नहीं की गईं।

सड़क परिवहन तथा गोदी और पत्तन कर्मचारियों की हड़तालें देश के विभिन्न भागों में हो रही हैं और यदि सरकार ने समय पर कार्यवाही न की तो भय है कि स्थिति कहीं काबू से बाहर न हो जाए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर): मंत्री महोदय प्राध्यापक होने के नाते नौवहन की समस्याएं भली भांति समझ सकते हैं, योजना बनाने वाले के नाते इस सम्बन्ध में योजना भी

खूब बना सकते हैं, किन्तु जहां इसे क्रियान्वित करने की बारी आई वहां शायद वह असफल रहे हैं।

देश को 24 से 30 करोड़ रुपये की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा केवल ढुलाई पर ही व्यय करनी पड़ती है और अब जबकि हम अधिक मात्रा में कच्चा तेल और तेल उत्पाद आयात तथा निर्यात करने जा रहे हैं, इस ओर ध्यान देने की और भी अधिक आवश्यकता है।

अनुमान है कि 1965-66 में विदेशों में भारतीय माल की ढुलाई पर 210 करोड़ रुपये व्यय हुए जिसमें से 170 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में थे। अब जबकि हमारा व्यापार 13 से पचास प्रतिशत तक बढ़ जायेगा तो मंत्री महोदय बताएं कि हम इस क्षेत्र में कितनी प्रगति कर पाएंगे।

इस संबंध में मैं प्रदीप पत्तन का उल्लेख करूंगा। इसकी क्षमता 20 लाख टन की है किन्तु खेद है कि केवल 6 लाख टन माल का ही निर्यात किया गया है। यह सरकार द्वारा योजना न बनाने के कारण हुआ है। इसी बीच जापान खनिज लोहे के आयात के लिए अन्य मंडियां खोज रहा है जबकि हमारा खनिज लोहा इस क्षेत्र में बेकार पड़ा रहेगा। सरकार को इस ओर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

खेद है कि प्रदीप पत्तन की क्षमता घटती जा रही है यद्यपि यह संतोष की बात है कि रेलवे ने कटक से प्रदीप तक रेलमार्ग का निर्माण करना मान लिया है किन्तु एक और रेलमार्ग बिम्लगढ़ से तालचेर तक का भी निर्माण होना चाहिए।

परिवहन मंत्रालय को चाहिए कि जहां भी खनिज सम्पत्ति हो, कोयला हो, वन हों अथवा उद्योग हों, वहां सड़कों का जाल बिछाया जाना चाहिए।

लघु पत्तनों के संबंध में मुझे मंत्रालय की 1967 की रिपोर्ट देख कर आश्चर्य हुआ कि उड़ीसा का नाम उसमें नहीं है। यद्यपि वहां 3 अथवा 4 छोटे पत्तन हैं।

भारत में सड़क यातायात कुल यातायात का 22 प्रतिशत है जबकि अमरीका में यही प्रतिशतता 92 है, इटली में 72 है और ब्रिटेन में 59 है। साथ ही देश में 70 प्रतिशत सड़कें पूरे वर्ष के लिए उपयोगी नहीं हैं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। खेद है कि उड़ीसा की सड़कों के विकास के लिए सबसे कम राशि दी जाती है। आशा है सरकार इस ओर भी ध्यान देगी।

Shri Ram Charan (Khurja): The coast line of Russia and India is almost the same but whereas Russia has 1300 vessels, we have only 52 which can tranship only 14 per cent of our Cargo. This is the State of affairs after 20 years of Independence. Only 20 per cent of oil being imported comes through Indian vessels resulting in collossal wastage of foreign exchange.

Tuticorin was surveyed for the construction of a port there but nothing has been done after the receipt of Survey Report. Similarly, Mangalore port has also not been taken in hand. It has taken more than six years to commission the fifth berth of Kandla port and yet it is not complete. The Committee on Estimates in their 97th Report have pointed out the inadequacy of dry docking facility at Bombay and Calcutta ports.

It is regrettable that Government has dropped the scheme of making Sea water potable on the plea that it involves huge expenditure. U. S. A. has evolved a much cheeper method in this regard. We should also evolve some such method to utilise Sea water for human consumption.

Facilities for reparing ships are very inadequate. Due attention should be paid to this matter. Our light-houses are of old type. Proper attention is not paid to their repairs and maintenance. Then the question of loading and unloading capacity is also there. We have to detain ships for longer times due to inadequate port capacity and have to pay huge amounts by way of wharfage charges.

Now coming to Road Transport, it is a matter of regret that the recommendations of the Keskar Committee have not been implemented so far. Steps should be taken to implement these recommendations. At present passenger tax varies in different States. It ranges from 3 per cent to 25 per cent. There is no passenger tax in Orissa and West Bengal. We should adopt a uniform policy in this regard. It should be made uniform throughout India. Similar is the case with the price of vehicles. Price of vehicles should also be made uniform throughout the country.

As regards Border Roads, the Road from Bareilly to Assam should be completed expeditiously. Certain officers want to delay its completion. It should not be allowed to happen. On account of inordinate delay in its completion, and subsequent rise in the prices of materials the revised estimates have already gone-up four times to that of the original estimated cost. This road is very important from defence point of view.

Condition of roads in my constituency is very bad. These roads require immediate improvement in their condition and it should be done. There is no bridge between Delhi and Mathura. A bridge should be constructed near Jebra Town in Buland Shahr District. This bridge is essential even from defence point of view. The Uttar Pradesh Government had conducted a survey for the construction of a bridge at this point but they dropped the idea due to paucity of funds. The bridge if constructed, would also result in economic development of the area.

श्री दत्तात्रेय कुंटे (कोलाबा): आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि बम्बई पत्तन के अलावा जिसके सुधार के लिए प्रतिवर्ष लाखों रुपये खर्च किये जाते हैं, बम्बई तट पर अन्य सभी बन्दरगाहों की हालत बहुत खराब है। 1948 तक इन बन्दरगाहों पर जोधन खर्च किया जाता था वह घाट शुल्क में से आता था। यह घाट शुल्क यात्रियों की सुविधाओं के लिए लगाया जाता है। किन्तु सरकार ने इस राशि को अभीष्ट प्रयोजन पर खर्च न करके उसे रावे, डबोल तथा दूसरे स्थानों पर कुछ पोतघाट बनाने के लिए खर्च किया। वर्ष 1948 में सरकार ने महसूस किया कि जनता के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी है और इस धन का वह गलत प्रयोग कर रही है। 1846 से यह घाट शुल्क

लगता आ रहा है लेकिन इस राशि से कोई सुधार नहीं किया गया। इस दिशा में आज भी जो कुछ किया जा रहा है, वह भी प्रगतिजनक नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार इस तटीय नौवहन यातायात को राज्य परिवहन विभाग को सौंप दे। वर्तमान स्थिति यह कि इन बन्दरगाहों के बीच नौवहन के काम लगी 50-60 वर्ष पुरानी जो सिंधिया कम्पनी थी, उसे महाराष्ट्र सरकार के कुछ झगड़ा होने के कारण हटा दिया गया है और जो दूसरी नई कम्पनी वहां आई है, वह यात्री-यातायात में रुचि नहीं रखती है बल्कि माल के यातायात में रुचि रखती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस कम्पनी को अपने हाथ में ले ले और उसका प्रबन्ध राज्य परिवहन विभाग को सौंप दे।

बम्बई के निकट मांडवा नामक एक स्थान है जहां से 6 लाख यात्री प्रतिवर्ष बम्बई आते हैं। लेकिन वहां उतरने की सुविधा क्या है ? वहां केवल छोटे से 21 लौंच हैं। गत वर्ष तक वहां एक स्टीम लौंच था जो एक ट्रिप में 500 यात्रियों को ले जा सकता था। स्टीम लौंचों के लिये भी कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं जब यात्रियों को तथाकथित पोतघाटों तक पहुंचने के लिए और भी छोटी नावों में जाना पड़ता है और राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस यातायात को यदि राज्य अपने हाथ में ले ले, तो उसे पर्याप्त लाभ होगा और यात्रियों को भी समुचित सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी।

इसी प्रकार अरन बन्दरगाह पर नौसेना ने 3 करोड़ रुपये की लागत से एक घाट बनाया है लेकिन इतना होने के बावजूद यात्रियों को छोटी नौकाओं में जाना पड़ता है और ये छोटी नौकाएं भी घाट तक नहीं पहुंच पातीं क्योंकि पानी नीचे चला गया है। परिवहन तथा नौवहन मंत्री को नौसेना से आग्रह करना चाहिये कि वह इस घाट के एक छोटे से हिस्से को यात्री यातायात के लिये प्रयोग करने दें क्योंकि अरन एक स्थान है, जहां से लोग बम्बई जा सकते है और वह बम्बई से केवल 6 मील की दूरी पर स्थित है और वहां बिजली पानी आदि हर बात की सुविधा भी है।

बम्बई-पूना सड़क पर भारत में सबसे अधिक यातायात रहता है। लेकिन इसकी चौड़ाई वही हैं जो पहले थी। इस सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से पेट्रोल शुल्क के रूप में भारी धन राशि वसूल की जाती है, फिर भी इस सड़क को चौड़ा नहीं किया गया है। यह वास्तव में एक राष्ट्रीय राजपथ है जो हैदराबाद, बंगलौर तथा अन्य स्थानों को जाता है। लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

हमारे पास बम्बई, मरमागांव तथा कोचीन जैसे महत्वपूर्ण पत्तन हैं और मंगलौर तथा रत्नागिरी जैसे छोटे पत्तनों का विकास हो रहा है, लेकिन दुःख की बात यह है कि इन पत्तनों को सड़कों द्वारा समुचित रूप से नहीं मिलाया गया है। दूसरे पर्यटकों के यातायात को ध्यान में रखकर पश्चिमी तट पर यदि बम्बई से कन्या कुमारी तक एक सड़क बना दी जाये तो यह कार्य बहुत अच्छा होगा और इससे इन क्षेत्रों में रहने वाली जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : ऐसा कहा गया है कि सड़क परिवहन सम्बन्धी विभिन्न समितियों की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है और उनकी उपेक्षा की गई है। किन्तु यह सच नहीं है। मसानी समिति की बहुत सी महत्वपूर्ण सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इस समिति ने जो कुछ सिफारिशें की हैं, वे सभी क्रियान्विन की जा चुकी हैं। माननीय सदस्य श्री मसानी को खुद मालूम है कि ऐसा करना अभी संभव नहीं है क्योंकि मोटर-गाड़ी (संशोधन) विधेयक पर, जो व्यापक है और जिसे पुरःस्थापित किया गया है, अभी विचार करना बाकी है।

जहां तक इस आलोचना का सम्बन्ध है कि सड़क करों, मोटर-गाड़ी करों तथा सड़क-प्रयोक्ता करों में भारी वृद्धि की गई है लेकिन इसके साथ उसके विस्तार आदि पर खर्च नहीं किया गया है, मुझे इस सम्बन्ध में केवल यह कहना है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि विभिन्न प्रकार के सड़क प्रयोक्ताओं से केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को जो राजस्व प्राप्त हुआ है वह सड़क-व्यय में हुई वृद्धि की तुलना में काफी कम है। सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों अथवा पार्श्ववर्ती सड़कों पर हम पिछले दो या तीन साल से काफी अधिक खर्च कर रहे हैं। मैं इस बात को भी मानता हूं कि राष्ट्रीय पथों तथा राज्य मार्गों पर और अधिक धन खर्च करना आवश्यक है, लेकिन एक ओर यह सुझाव देना कि सरकार को सड़कों पर और अधिक धन खर्च करना चाहिये और दूसरी ओर यह कहना कि सरकार को सड़क-करों में कमी करनी चाहिए, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं।

परिवहन समन्वय समिति के मत का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि हम रेलवे पर आवश्यकता से अधिक व्यय कर रहे हैं और हमें इस खर्च में कमी करके उसे सड़कों के निर्माण तथा विकास पर लगाना चाहिये। वास्तव में परिवहन समन्वय समिति का मत यह नहीं था, हमें रेलवे विनियोजन को सड़कों के लिये अपेक्षित विनियोजन के साथ सम्बद्ध नहीं करना चाहिये। हमें वास्तव में यह प्रयत्न करना चाहिए कि राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव के लिये अतिरिक्त धन किस प्रकार उपलब्ध कराया जा सकता है और हम सड़क परिवहन के लिये और धन उपलब्ध कराने का निरन्तर प्रयत्न भी कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ मैं गांवों में सड़कों के बारे में भी स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा क्योंकि कई सदस्यों ने इन सड़कों का उल्लेख किया है। गांवों में सड़कें पूर्णतः राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं और उस पर भी इन सड़कों को बनाने के लिये कई एजेंसियां हैं यथा ग्राम पंचायत, जिला परिषद्, सामुदायिक विकास संगठन आदि। योजना आयोग ने राज्य सरकारों से कहा था कि उन्हें अपने परिव्यय का 20 प्रतिशत गांवों में सड़कों के निर्माण के लिये नियत करना चाहिए। लेकिन इस दिशा में मैं समझता हूं, अभी तक कोई ठोस तथा महत्वपूर्ण कार्यवाही नहीं हुई है। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण परिवहन को सड़क परिवहन योजना में कारगर स्थान देने की पूरी कोशिश की जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का राजनीतिक दृष्टि से उतना महत्व नहीं रहता है जितना कि राजनीतिक केन्द्रों का रहता है।

माननीय सदस्य श्री मसानी ने केसकर प्रतिवेदन पर विचार करने की मांग की है। हमने सभा में इस पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव की सूचना दे दी है। कार्य मंत्रण समिति ने अभी तक इसके लिये कोई समय निश्चित नहीं किया है। मुझे आशा है कि इस प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये समय मिल जायेगा। सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस प्रतिवेदन को राज्य सरकारों के पास भेजा गया है और उनसे इस प्रतिवेदन के बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिये कहा जा रहा है। केसकर समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिये परिवहन विकास परिषद की एक बैठक जून में बुलाने का हमारा प्रस्ताव है जिसमें सड़क तथा सड़क परिवहन मंत्री भाग लेंगे और इस बैठक में जिन बातों पर सहमति हो जायेगी उन्हें संशोधन करने वाली उस विधेयक में सम्मिलित किया जायेगा और मोटर-गाड़ी करारोपण विधेयक में संशोधन करने के लिए प्रवर समिति के सामने रखा जायेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने पुलों, सड़कों तथा राज-पथों के बारे में कई सुझाव दिये हैं। उन सबके बारे में समय की कमी के कारण यहां पर विस्तारपूर्वक कह सकना संभव नहीं है। इस बारे में मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि इन सब सुझावों पर हम विस्तारपूर्वक विचार करेंगे और अपने आर्थिक साधनों के अनुसार इनको कार्य रूप देने का यथासंभव प्रयत्न करेंगे।

उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार में संचार साधनों की कमी है, यह मैं मानता हूं और इसके लिये वहां के लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है। यह सही है कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में पुलों और सड़कों की कमी है। इसका एक कारण यह है कि हमारा देश अल्प-विकसित है। पटना पुल के बारे में मेरे सहयोगी श्री भक्त दर्शन बता ही चुके कि इस पुल के बारे में राज्य सरकार ने अपनी अन्तिम योजना अभी तक तैयार नहीं की है। उन्हें परामर्श देने वाली एक फर्म है। मैं समझता हूं कि उसका प्रतिवेदन तैयार है। इस पुल पर 20-25 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। केन्द्रीय सरकार ने इसके लिये साढ़े चार करोड़ रुपये देने का वचन दिया है। गंगा पुल के लिए 9 करोड़ रुपये में से साढ़े चार करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को और साढ़े चार करोड़ रुपये बिहार को दिये जायेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि नौवहन की दिशा में हम अधिक प्रगति नहीं कर पाये हैं। हमें अब भी समुद्र से माल की ढुलाई के लिए विदेशी नौवहन पर निर्भर करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम देश में नौवहन बढ़ाने के बारे में सजग हैं और हमने नौवहन बढ़ाया भी है। 5-6 वर्ष पहले भारत के विदेश व्यापार का केवल 5.6 प्रतिशत माल भारतीय जहाजों द्वारा ढोया जाता था। इसमें यह प्रतिशत 13.6 के लगभग है। अभी हमारा व्यापार बढ़ रहा है। हम इसे 30 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहते हैं और अगले कुछ वर्षों में हम 50 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं जो अधिकतम सीमा है। अतः यह कहना गलत है कि भारतीय नौवहन की प्रगति संतोषजनक नहीं है। हम 20 लाख टन जी० आर० टी० तक पहुंच चुके हैं और लगभग 6 लाख टन का हमने क्रयादेश दिया है। हमने और टैंकर, जहाज आदि भी मंगाये हैं।

हम इस सम्बन्ध में पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के सहयोग से कार्य कर रहे हैं। कोचीन तेल शोधक कारखाना बन जाने पर हमारे टैंकर तेल की सप्लाई करेंगे। मद्रास तेल शोधक कारखाने के लिए 77,000 टन टैंकरों का क्रयादेश दे दिया गया है। जो इस कारखाने के चालू होने तक तैयार हो जायेंगे। बड़े जहाजों के लिए बन्दरगाह भी बनाया जा रहा है। इसी प्रकार हमारी योजना के अनुसार हल्दिया तेल शोधक कारखाना चालू होने से पहले सरकारी क्षेत्र में अपेक्षित टैंकर उपलब्ध हो जायेंगे।

डफरिन के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है। इस सम्बन्ध में मैं सभा को बताना चाहता हूं कि डफरिन के स्थान पर 'फ्लोटिंग शिप' चलाने के बारे में नीति सम्बन्धी निर्णय लिया जा चुका है। सरकार से धन की स्वीकृति मिल जाने पर हम 'फ्लोटिंग शिप' के क्रयादेश देंगे।

माननीय सदस्य श्री कुण्टे ने कोंकण के बारे में प्रश्न उठाया है। मैं इस सम्बन्ध में यह कह सकता हूं कि यूरान के लिए हम मुगल लाइन्स और जहाजरानी निगम से पूछ-ताछ करेंगे कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है।

बम्बई में तटीय नौवहन के बारे में माननीय सदस्य कुण्टे का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार कहती है कि जब तक केन्द्रीय सरकार उसे अनुमति नहीं देती तब तक वह कुछ नहीं कर सकती है। माननीय सदस्य ने तटीय नौवहन को अपने हाथ में लेने की बात भी कही है। यह प्रश्न इतना सरल नहीं है जितना कि माननीय सदस्य समझते हैं। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यदि महाराष्ट्र सरकार तटीय नौवहन के कार्य को अपने हाथ में लेना चाहती है तो केन्द्र को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है किन्तु हमें राज्य सरकार से इस बारे में कोई संकेत नहीं मिला है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इसमें अधिक कठिनाई अधिक भाड़े के कारण नहीं है। कठिनाई इस बात की है कि जहाज तट तक नहीं पहुंच सकते हैं। यात्रियों को कूद कर नावों में आना पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि समुद्र को गहरा करने का कार्य अच्छी तरह नहीं किया गया है। हम समुद्र को गहरा करने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि छोटे बन्दरगाहों का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। हम उन्हें तकनीकी सहायता देने के लिए तैयार हैं। समुद्र को गहरा करने के लिए हम ड्रेजर खरीदने के हेतु विदेशी मुद्रा देने के लिए भी तैयार हैं। महाराष्ट्र सरकार को छोटे बन्दरगाह ऐसी हालत में रखने चाहिए जिससे मालवाहक जहाज तट तक आ सकें और यात्रियों को सुविधाएं प्राप्त हो सकें। राज्य सरकार अपने इस उत्तरदायित्व से नहीं बच सकती हैं।

जहां तक तटीय नौवहन के सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की उप-समिति का प्रतिवेदन हमें मिल गया है और हम इस समय उस पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए भी धन की आवश्यकता है, इसलिए हमें इस पर आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। हम इस बारे में कारगर ढंग से यथासंभव कार्यवाही करेंगे।

कोचीन शिपयार्ड के बारे में माननीय सदस्य श्री चक्रपाणि का कहना है कि यदि विदेशों

से जहाज खरीदने के बजाय देश में ही जहाज बनाये जाते तो हम काफी विदेशी मुद्रा बचा सकते थे। इस सम्बन्ध में मैं अधिक विवाद में न पड़कर केवल यह कहना चाहता हूं कि कोचीन शिपयार्ड का कार्य हम तेजी से कर रहे हैं। इस शिपयार्ड के बारे में हमें जापान से संशोधित रूप-रेखा प्राप्त हो गई है। हमने इस बारे में आगे बातचीत करने से पहले जापान से कुछ और अनेक विषयों के बारे में जानकारी मांगी है। यदि हमें कोई संतोषजनक उत्तर मिला तो हम एक दल उस कम्पनी से बातचीत करने के लिए जापान भेजेंगे जिससे हम सहयोग लेना चाहते हैं। अगले कुछ दिनों में मैं केरल के मंत्री श्री इम्बीचीबावा के निमंत्रण पर केरल राज्य का दौरा करूंगा। वहां मैं सभी छोटे पत्तनों को देखूंगा। उसके बाद जो कुछ संभव होगा हम अवश्य करेंगे।

जहां तक तूतीकोरिन परियोजना का सम्बन्ध है, मैं यह पूरी तरह मानता हूं कि इस वर्ष इसके लिए नियत की गई धनराशि पर्याप्त नहीं है। मुझे आशा है कि हम इसके लिये कुछ और धन की व्यवस्था कर सकेंगे। मैं 6-7 जून को तूतीकोरिन परियोजना देखने जा रहा हूं। सेतु-समुद्रम परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार है। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि तूतीकोरिन परियोजना सेतुसमुद्रम परियोजना से सम्बन्धित नहीं है। सेतुसमुद्रम परियोजना एक बड़ी परि-योजना है। यह एक पृथक परियोजना है। इस परियोजना के लिए न केवल बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, अपितु इसके साथ अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न जुड़े हुए हैं। हमें इसके सभी पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार करना है। हम इस परियोजना को शीघ्र आरंभ करने का प्रयत्न करेंगे। माननीय सदस्यों को इसके बारे में धैर्य से काम लेना चाहिए। उन्हें इसके बारे में किसी प्रकार असंतोष प्रकट नहीं करना चाहिये। हम इस परियोजना को आरंभ करने के बारे में जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं। अतः माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे फिलहाल इसे शीघ्र आरंभ करने का प्रस्ताव न रखें।

माननीय सदस्य श्री सामन्त ने हल्दिया परियोजना की प्रगति के बारे में पूछा है। इस सम्बन्ध में मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हल्दिया परियोजना कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। हल्दिया में धातु अयस्क भरने तथा कोयला भरने के संयत्र लगाने के लिये ठेका दे दिया गया है। हमने हल्दिया की ओर जाने वाले एक नये राज-पथ बनाने की स्वीकृति दी है। हम यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं हल्दिया परियोजना यथाशीघ्र पूरी हो जाये जिससे कलकत्ता पत्तन की स्थिति में सुधार हो जाये। हल्दिया पत्तन को एक स्वतंत्र पत्तन न मानकर कलकत्ता पत्तन का ही एक अंग के रूप में बनाया जा रहा है। कलकत्ता के एक ओर फरक्का और दूसरी ओर हल्दिया पत्तन बन जाने से कलकत्ता पत्तन की दशा में पर्याप्त सुधार हो जायेगा और उस पत्तन पर सुविधाएं बढ़ जायेंगी।

मैं समझता हूं कि मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई प्रायः सभी बातों का उत्तर दे दिया है। अब मैं पुलों आदि के बारे में स्वयं कुछ सभा को बताऊंगा। यदि कुछ बातें रह भी गई हों तो उनका रिकार्ड हमारे पास है। उन पर हम विचार करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने जल परिवहन की ओर सरकार का ध्यान

दिलाया है । अन्तर्देशीय जल-मार्गों के विकास का मामला राज्यों के क्षेत्र में आता है । केन्द्रीय सरकार जब तक किसी जल-मार्ग को राष्ट्रीय जल-मार्ग घोषित नहीं करती तब तक वह राज्य सरकार के ही अन्तर्गत रहता है । किन्तु हम यह अनुभव करते हैं कि जल-मार्गों के विकास के लिए कुछ न कुछ कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए । इस कार्य के लिए न केवल मंत्रालय में अन्तर्देशीय परिवहन निदेशालय की जो तकनीकी सहायता की व्यवस्था करता है, स्थापना की है अपितु हम चुने हुए क्षेत्रों में विशिष्ट योजनाएं बनाने जा रहे हैं जो इस तरह बनाई जायेंगी कि अन्तर्देशीय जल परिवहन पूरे क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था के एक अंग के रूप में कार्य करेगी । हमने इसके लिए एक कर्णाधार समिति बनाई है जिसमें परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय और योजना आयोग के सदस्य हैं । यह समिति चुने हुए क्षेत्रों में अन्तर्देशीय जल परिवहन की संभाव्यताओं का अध्ययन करेगी । अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की संभाव्यताओं की जांच करने के लिए भी एक समिति बनाने का मेरा प्रस्ताव है । मैं चाहता हूं कि उसमें संसद्-सदस्य भी भाग लें ।

जहां तक नौवहन का सम्बन्ध है, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि पिछले तीन-चार वर्षों में नौवहन प्रौद्योगिकी तथा बन्दरगाह प्रौद्योगिकी में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिन्हें अपनाना हमारे लिए अनिवार्य हैं । यदि हम उन्हें नहीं अपनाते हैं तो हम कठिनाई में पड़ जायेंगे क्योंकि हमारा निर्यात भाड़ा दरों की प्रतियोगिता पर निर्भर करता है । इसलिए हमने अपने पत्तनों तथा जहाजी बेड़े के आधुनिकीकरण का एक बड़ा कार्यक्रम बनाया है ।

एक बड़ा बन्दरगाहों सम्बन्धी आयोग स्थापित कर दिया है । उसके सभापति श्री वैंकटारामन होंगे जो इस समय योजना आयोग के सदस्य हैं ।

हम मद्रास बन्दरगाह के बाहरी भाग को भी बढ़ा रहे हैं और शोधक कारखाने के समय यह तैयार हो जायेगा ।

हमने मरमागाव बन्दरगाह के लिये विश्व बैंक से ऋण का आवेदन-पत्र दिया हुआ है । गोआ की बन्दरगाह के नवीनकरण का कार्य भी हम कर रहे हैं ।

पारादीप बन्दरगाह के बारे में मैंने जापानी दल से बात की है और उन्होंने कहा कि बेलाडिला तो विशाखापटनम बन्दरगाह से अधिक निकट पड़ेगा ।

हम ट्यूटीकोरिन तथा मंगलौर में भी दो नये बन्दरगाह बना रहे हैं ।

उड़ीसा में हम छोटे बन्दरगाहों को भूले नहीं हैं और हम गोपालपुर के बन्दरगाह का कार्य ले रहे हैं । इसलिये यह कहना उचित नहीं कि हम उड़ीसा की अवहेलना कर रहे हैं ।

जब तक मैं इस मंत्रालय में रहूंगा मेरा प्रयास यह होगा कि कार्य जल्दी से किया जाये तथा बिना पक्षपात के किया जाये और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से किया जाये ।

अन्त में मैं मंत्रालय के अधिकारियों की प्रशंसा करूंगा जिन्होंने ठीक प्रकार से कार्य किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सारे कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये परिवहन और नौवहन मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गईं तथा पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं
The following demands for the year 1868-69 in respect of Ministry of Transport and Shipping were put to the vote of the House and were adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
79.	परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय	1,12,31,000
80.	सड़कें	12,78,40,000
81.	व्यापारिक समुद्री बेड़ा	1,98,67,000
82.	प्रकाश स्तम्भ और प्रकाशपोत	1,16,17,000
83.	परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	3,24,23,000
128.	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	34,42,32,000
129.	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	1,79,17,000
130.	परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	2,33,05,000

हल्दिया—बरौनी पाइपलाइन**
HALDIA—BARAUNI PIPELINE**

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : महोदय गत फरवरी में हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि हल्दिया से कुछ स्थानों पर जाने वाली पाइपलाइन जैसे महिशादल तथा गोलाघाट में कुछ खराबियां पाई गई। इसके बारे में तुरन्त मैंने एक प्रश्न पूछा और उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि एक मील लम्बी लाइन केवल एक स्थान पर लीक करती है। परन्तु मैंने वहां जाकर देखा कि दस मील के क्षेत्र में सैकड़ों खुरच लगी हुई हैं।

[**श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठसीन हुए**
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

** आधे घंटे की चर्चा
**Half-an-Hour Discussion

मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने यह तथ्य क्यों नहीं बताया क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री महोदय को ही पूरी सूचना नहीं दी गई हो ?

उसी उत्तर में आगे कहा गया कि इस मरम्मत पर ठीक व्यय का पता तो जांच पूरी होने के पश्चात् ही लग पायेगा। अब एक ठेका विदेशी कम्पनियों को दिया गया है जिनमें इटली की ई० एन० आई० है तथा अमरीका की बैचटल कम्पनी है। हम यह जानना चाहते हैं कि इस ठेके का जिम्मेदार कौन है तथा यह पाइपलाइन किसने दी थी। सरकार यह भी बताये कि भारतीय इंजीनियरों को इस कार्य के करने से क्यों रोका गया। क्या श्री पी० आर० नायक इसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं ? क्या उस अधिकारी ने इस बात पर बल नहीं दिया था कि यह लाइन रानीगंज क्षेत्र से खोदी जाये जब कि हमारे इंजीनियर कह रहे थे कि ऐसा करना कठिन होगा तथा वहां आग का भी डर है। क्या सरकार इस सारे मामले की जांच विभाग अथवा संसदीय समिति से करवाने को तैयार है ? क्या कारण है कि मंत्री जी को पूरी सूचना नहीं दी थी ?

कच्चे तेल तथा साफ किये पेट्रोल ले जाने के लिये केवल एक पाइपलाइन थी। शायद दोनों वस्तुओं के ले जाने का कार्य इससे नहीं हो सकता था। सरकार यह बताये कि प्रति मील पाइपलाइन पर कितना व्यय होता है तथा उसकी अदायगी सरकार करती है अथवा ठेकेदार। कुछ विशेषज्ञों का विश्वास है कि पाइपलाइन को जंग लग गया था तथा वहां के नमकीन पानी का उपचार भी हो सकता था। यदि ऐसी बात है तो इस लापरवाही के लिये कौन जिम्मेदार है ? सरकार को चाहिये कि केन्द्रीय जांच विभाग से इसकी जांच कराये।

हम यह भी जानना चाहते हैं कि रानीगंज की जांच तथा वहां के लोगों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके कारण भारतीय तेल कम्पनी तथा मंत्रालय की प्रतिष्ठा खराब होने का डर है। सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये। ऐसा दीख पड़ता है कि मंत्री महोदय को ठीक सूचना नहीं दी जा रही है। शायद उन्हें कह दिया होगा कि जहां जंग लगा हुआ है वहां मरम्मत कर दी है अथवा एक पाइपलाइन को काट दिया है। झौपघटा पर एक पाइपलाइन को काट दिया है। मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि इन मामलों की शीघ्र जांच करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइपलाइन में बहुत बदइन्तजामी है तथा वह विदेशी पूंजी और भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। आरम्भ के प्रतिवेदन में पाइपलाइन को जंग लगने से बचाने का उपाय था परन्तु क्योंकि ठेकेदारों के पास उसका सामान नहीं था, इसलिए कहते हैं कि मार्च, 1964 में श्री नायक ने उस रिपोर्ट में परिवर्तन कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया गया ; दूसरी बात यह है कि क्या कारण है कि रानीगंज कोयले की खानों में पाइपलाइन को तथा उसे वह कोयले के मैदानों से निकाल कर लाना चाहते थे परन्तु ऐसा नहीं करने दिया गया। इसके कारण इटली तथा अमरीका के कम्पनी

वालों को बचत हुई। पश्चिमी बंगाल तथा केन्द्रीय सरकार के परामर्शदाताओं ने इसके विरुद्ध सुझाव दिया था परन्तु उनकी बात नहीं मानी गई। यह क्यों हुआ ? पाइपलाइन में प्रतिवर्ष 20 लाख टन कच्चा माल ले जाने की क्षमता बताई जाती थी परन्तु वास्तव में यह 15 लाख टन से अधिक माल नहीं ले जा सकी थी फिर इसे कैसे पास कर दिया गया तथा सरकार ने उसे कैसे स्वीकार कर लिया गया ?

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि बिड़ला की एक कम्पनी माडर्न इण्डिया कांस्ट्रक्शन कम्पनी को 6 लाख रु० पेशगी दिया था ताकि हल्दिया में दो भण्डार के तालाब खोदे तथा उसके साथ यह शर्त लगाई थी कि यह राशि उत्तरोत्तर उनके बिलों में से वसूल की जायेगी परन्तु परियोजना मैनेजर ने ऐसा नहीं किया। क्या मंत्री महोदय इन पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देंगे ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सभापति जी, गत सत्र में मैंने इस प्रश्न को यहां उठाया था परन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह मामला बिगड़ता ही जा रहा है। कहा जाता है कि उस क्षेत्र में पाइपलाइनों के गलत ढंग से मिलाने के कारण सरकार को अब $1\frac{1}{2}$ करोड़ रु० अधिक व्यय करना पड़ रहा है। मंत्री महोदय ने कहा था कि वह श्री ए० के० राव द्वारा उसकी जांच करायेंगे। हमने श्री राय द्वारा जांच कराने का विरोध किया था क्योंकि उनका सम्बन्ध कुछ सम्बन्धित फर्मों से था। परन्तु बाद में पता नहीं उस जांच का क्या बना ? व्यय को कम बताने का प्रयत्न हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पाइपलाइन का सामान किस कम्पनी ने सप्लाई किया। समझ में नहीं आता कि इस देश को विदेशी कम्पनियों द्वारा लूटने की अनुमति क्यों दे रखी है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की ठीक प्रकार से जांच की जाये।

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : सभापति महोदय, मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि इस मामले में कुछ सदस्यों ने उत्तेजना पैदा कर दी है। ऐसा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि जैसे मंत्रालय हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा हो और तथ्यों को पेश नहीं किया हो। ऐसी बात नहीं है। कुछ आरोप मंत्रालय के सचिव पर लगाये गये हैं परन्तु वह निराधार हैं। यदि कोई अधिकारी बात-चीत करने के लिये भेज दिया जाये तो इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि वह धोखेबाजी के लिये वहां गया हो।

सच तो यह है कि यह पाइपलाइन जून, 1965 में पूरी हुई थी तथा जून 1966 तक इसकी हाइड्रोलिक टैस्टिंग पूरी हुई। टैस्टिंग के समय 15 स्थानों पर लीक करने का पता चला जिन्हें स्नाम्स नाम की कम्पनी ने अपने ही व्यय पर फरवरी, 1967 तक पूरा कर दिया।

इस लाइन को हल्दिया से बरौनी तक उल्टे रुख बहाव के लिये जुलाई, 1967 में टैस्ट किया था। तब पता चला कि उसमें दबाव बहुत कम था। जब भूमि खुश्क हुई तो लीक करने के स्थान का पता चल गया। फिर 20 किलो मीटर तक लाइन को खोला गया और पता चला कि पाइप-लाइन में 1.5 किलोमीटर तक लीक थी। स्नाम्स कम्पनी का कार्य इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करना तथा बनाना था और बैचटैल्स का कार्य हमें परामर्श देना था।

मैं यह स्वीकार करने को तैयार हूं हमारी ओर से भी इस मामले में कुछ देर हो गई है। उनकी ओर से भी इसमें लापरवाही हुई है। बोर्ड ने इस पर विचार किया और स्नाम्स साइपैम्स कम्पनी ने कुछ राशि बट्टे खाते में लिख दी है। अब हम उन्हें पाइपलाइन सप्लाई करेंगे। बैचटैल्स कम्पनी का ठेका समाप्त कर दिया है। भारतीय तेल निगम ने बड़े अधिकारियों की एक समिति नियुक्त कर दी है जो इस सारे मामले की जांच करेगी।

इन ठेकों के लिये बातचीत करने किसी भी अधिकारी को विदेश नहीं भेजा। ठेके पर हस्ताक्षर यहीं भारत में हुए थे।

रानीगंज पाइपलाइन के मामले को हमने जांच विभाग को दे दिया है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बृहस्पतिवार, 18 अप्रैल, 1968/29 चैत्र, 1890 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 18, 1968/Chaitra 29, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow—30-10-68—600.